सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या-1

(वाणिज्यिक)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिये

संख्या-1

(वाणिज्यिक)

राजस्थान सरकार

विषय-सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		(iii)
विहंगावलोकन		(v)
अध्याय-I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन		
प्रस्तावना	1.1	5
सरकारी कम्पनियाँ	1.2	5
सांविधिक निगम	1.3	21
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	1.4	29
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	1.5	36
राजस्थान वित्त निगम	1.6	40
राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	1.7	44
अध्याय-II		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाएं	2	47
राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल)	2अ	49
राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (आरएसएमडीसी)	2ब	75
अध्याय-III		
सांविधिक निगम से सम्बन्धित समीक्षा	3	109
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल - *सामग्री प्रबन्धन*	3	109
अध्याय- IV		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अन्य रुचिकर प्रकरण	4	137
सरकारी कम्पनियाँ	4अ	141
सांविधिक निगम	4ब	145

अनुबन्ध

	विषय-सूची	पृष्ठ संख्या
I.	ऐसी कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है परन्तु जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं थीं ।	169
II.	31 मार्च 1997 को अद्यतन पूंजी, बजट से जावक, बजट से दिया गया ऋण एवं बकाया ऋण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।	170
III	सरकारी कम्पनियों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम जिनके नवीनतम वर्ष के लेखों को 30 सितम्बर 1997 तक अन्तिम रूप दिया जा चुका था ।	172
IV.	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ साहाय्य, प्राप्त गारण्टी, तथा वर्ष के अन्त तक बकाया गारण्टी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।	176
V.	वर्ष 1996-97 के दौरान विनिर्माण करने वाली कम्पनियों की उपयोजित क्षमता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।	177
VI.	सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके नवीनतम वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ।	178
VII.	वर्ष के अन्त में निजी निक्षेप खाते में विभिन्न कम्पनियों/निगमों के पड़े हुए ऋण, इक्विटी एवं अन्य को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।	180
VIII.	ऐसे कार्यो का विस्तृत विवरण जो सामग्री/संयोजी सामग्री के अभाव में निर्धारित समय सारणी में पूर्ण नहीं किये जा सके ।	181

प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) सहित सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों के परिणामों का उल्लेख किया जाता है और यह प्रतिवेदन मार्च 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है । विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखापरीक्षा परिणाम भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार में दिये जाते हैं ।

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन की जाती है । कुछ ऐसी कम्पनियां भी हैं जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं है क्योंकि उनमें सरकार या सरकारी स्वामित्व/नियन्त्रण वाली कम्पनियां/निगमों द्वारा 51 प्रतिशत से कम अंशों को धारित किया गया है ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल और राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जो सांविधिक निगम हैं, के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक हैं । राजस्थान वित्त निगम और राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के सम्बन्ध में उन्हें सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये सनदी लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित लेखों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राजस्थान सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं ।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय अन्तर्विष्ट हैं। अध्याय-1 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों के सामान्य पहलुओं से संबन्धित है ।

अध्याय- II में दो समीक्षायें (i) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल) व (ii) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (आरएसएमडीसी) अन्तर्विष्ट हैं। आरएसजीएसएमएल से संबन्धित समीक्षा यह विशिष्टीकृत करती है कि पूर्व लक्षित मात्रा में गन्ना एवं चुकन्दर उपलब्ध नहीं होने, संयन्त्र की खराब कार्यचालन निष्पादकता एवं चीनी प्राप्ति में कमी के कारण मुख्य क्रिया-कलाप निरन्तर घाटे में चलता रहा । आरएसएमडीसी से सम्बन्धित समीक्षा यह विशिष्टीकृत करती है कि जिप्सम, लाइम स्टोन, रॉक फास्फेट एवं लिग्नाइट के अलावा अन्य खनिजों के खनन में 1991-92 से घाटा हुआ है । बेनिफिसियेशन संयन्त्र का अकुशल कार्यचालन, निम्नस्तरीय खनिज खनन तथा खनिज बाहर निकालने के लिए अनार्थिक संविदा करना घाटे के मुख्य कारण थे ।

अध्याय-III में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) के सामग्री प्रबन्धन पर समीक्षा अन्तर्विष्ट है। यह समीक्षा विशिष्टीकृत करती है कि आवश्यकता का निर्धारण किये बिना प्रापण किया गया जिसके परिणामस्वरूप अधिक सामग्री क्रय की गई । सामग्री क्रय के अविवेकपूर्ण निर्णय एवं प्रापण में देरी के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ ।

अध्याय- IV में हानि, मितव्ययता या कुशलता की कमी इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरण अंतर्विष्ट हैं । इस खण्ड में ऐसे मामले प्रतिवेदित हैं जो वर्ष 1996-97 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, और वे भी हैं जो पहले ध्यान में तो आये थे परन्तु उनका उल्लेख पिछले प्रतिवेदनों में नहीं है । वर्ष 1996-97 के बाद की अवधि के मामले भी जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया, सम्मिलित किये गये हैं ।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. 31 मार्च 1997 को 19 सरकारी कम्पनियाँ (तीन सहायक कम्पनियों सहित) तथा चार सांविधिक निगम थे ।

(अनुच्छेद 1.2.1 तथा 1.3.1)

उन्नीस सरकारी कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूंजी 290.92 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 284.19 **करोड़** रुपये राज्य सरकार द्वारा, 4.03 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा तथा 2.70 करोड़ रुपये अन्य द्वारा निवेशित थे । राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान पांच कम्पनियों से 5.03 करोड़ रुपये के लाभांश के विरुद्ध वर्ष 1996-97 के दौरान 6.50 करोड़ रुपये का लाभांश छः कम्पनियों से प्राप्त किया जो कि अंश पूंजी पर 2.29 प्रतिशत प्रत्याय निरूपित है ।

मार्च 1997 के अंत में 15 सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) के विरुद्ध बकाया ऋणों की राशि 692.15 करोड़ रुपये थी । सात कम्पनियों द्वारा लिये गये ऋणों का पुनर्भुगतान एवं छः कम्पनियों के प्रकरण में ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत था । 31 मार्च 1997 को ऐसी प्रत्याभूतियों की बकाया राशि 419.42 करोड़ रुपये थी ।

(अनुच्छेद 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5.2 तथा अनुबन्ध **II** व **IV**)

उन्नीस सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) में से 11 ने वर्ष 1996-97 के अपने लेखों को अंतिम रूप दिया था (सितम्बर 1997)। इनमें से सात ने कुल 3.35 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जबकि चार अन्य की कुल हानियाँ 0.12 करोड़ रुपये थी । शेष आठ कम्पनियों के लेखे एक से पांच वर्षो की अवधि के लिए बकाया थे ।नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार, पांच सरकारी कम्पनियों की संचित हानियाँ (27.61 करोड़ रुपये) उनकी प्रदत्त पूंजी (10.74 करोड़ रुपये) से अधिक हो चुकी थी ।

(अनुच्छेद 1.2.4 तथा 1.2.5.3)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार, जनता, तथा वित्तीय संस्थाओं से अंश पूंजी तथा दीर्घावधि ऋणों से की जाती है । मार्च 1996 के अन्त में कुल 3754.98 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण बकाया थे

जो कि मार्च 1995 के अंत की बकाया से 4.44 प्रतिशत अधिक का प्रतिनिधित्व करते थे । इनमें से 2126.91 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत था। मण्डल के वर्ष 1995-96 के लेखे 80.84 करोड़ रुपये का शुद्ध आधिक्य प्रदर्शित करते थे जिससे 1995-96 के अंत की संचित हानि घटकर 301.46 करोड़ रुपये हो गई । वर्ष 1996-97 के लेखे प्रतीक्षित थे (सितम्बर 1997) ।

(अनुच्छेद 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.4.1 तथा 1.4.2)

31 मार्च 1996 को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की पूंजी 107.95 करोड़ रुपये में 81.12 करोड़ रुपये राज्य सरकार तथा 26.83 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा अंशदानित थे। वर्ष 1995-96 के निगम के लेखे 7.78 करोड़ रुपये का शुद्ध आधिक्य दर्शाते थे। वर्ष 1996-97 के लेखे अभी लेखापरीक्षा के लिये प्राप्त होने थे (सितम्बर 1997) ।

(अनुच्छेद 1.5.1 तथा 1.5.2)

31 मार्च 1997 को राजस्थान वित्त निगम की 67.53 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी में 44.71 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा अंशदानित थे । राजस्थान वित्त निगम ने जिस पर वर्ष 1996-97 के दौरान समायोजनों/नियोजनों के पश्चात् 17.14 करोड़ रुपये की हानि उठाई जिससे संचित हानियाँ बढ़कर 59.49 करोड़ रुपये हो गई।

(अनुच्छेद 1.6.1 तथा 1.6.2)

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के 1996-97 के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा के लिए अभी प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 1997)।

(अनुच्छेद 1.3.4)

2. दो सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के क्रिया-कलापों की समीक्षा से निम्नांकित प्रकट हुआ :

2अ. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल)

- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जनवरी 1957 में अस्तित्व में आई तथा जुलाई 1968 में हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास फैक्टरी, धौलपुर को लीज़ पर लेकर इसने अपने क्रिया-कलापों का विस्तार किया। चीनी, स्प्रिट एवं मदिरा का निर्माण व विक्रय, बोतलों का निर्माण, गन्ने एवं चुकन्दर की पौध लगाना तथा इनकी खेती आरएसजीएसएमएल के मुख्य क्रिया-कलाप हैं।

(अनुच्छेद 2अ.1, 2अ.2 तथा 2अ.3)

- गन्ने एवं चुकन्दर की पूर्व लक्षित मात्रा उपलब्ध नहीं होने, संयन्त्र की परिचालन निष्पादकता अच्छी नहीं होने एवं चीनी की कम वसूली के कारण 1996-97 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान चीनी उत्पादन के मुख्य क्रिया-कलाप में आरएसजीएसएमएल ने 13.31 करोड़ रुपये तक का घाटा वहन किया।

{अनुच्छेद 2अ.7 (i)}

- अवधि 1992-93 से 1996-97 के मध्य आरएसजीएसएमएल ने केवल मदिरा सम्बन्धी क्रिया-कलाप में लाभ कमाया जिसे चीनी उत्पादन एवं बोतल निर्माण में हुई अनवरत हानियों ने समाप्त कर दिया।

{अनुच्छेद 2अ.7 (iv)}

- कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति का लाभ, स्प्रिट के क्रय में नहीं उठाने से आरएसजीएसएमएल को 0.57 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

(अनुच्छेद 2अ.9.1.2)

- हाई-टेक ग्लास डिविजन में जुलाई 1994 से ही उत्पादन बन्द हो गया था, तथापि निष्क्रीय बैठे स्टॉफ को आरएसजीएसएमएल ने मार्च 1997 तक मजदूरी के रूप में 2.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया ।

(अनुच्छेद 2अ.10.1)

2ब. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (आरएसएमडीसी)

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (आरएसएमडीसी) का समामेलन सितम्बर 1979 में खनिज संसाधनों की अवाप्ति एवं विदोहन तथा खनिज आधारित उद्योगों को परामर्श सेंवाएँ भी प्रदान करने तथा खनिज व धातुओं के आयातक व निर्यातक का व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से हुआ था। तथापि, अपने समामेलन के 18 वर्ष पश्चात् भी आरएसएमडीसी ने खानों के विकास हेतु परामर्श सेवाएँ प्रदान करने, खनिज आधारित उद्योग लगाने तथा आयातक व निर्यातक का व्यवसाय करने से सम्बन्धित क्रिया-कलाप प्रारम्भ नहीं किये थे।

(अनुच्छेद 2ब.1, 2ब.2 एवं 2ब.3)

आरएसएमडीसी सभी खनिजों (जिप्सम, चूना पत्थर, रॉक-फास्फेट तथा लिग्नाइट के खनन को छोड़कर) के खनन में हानियाँ उठा रहा था तथा 31 मार्च 1996 को इसकी संचित हानियाँ 3.74 करोड़ रुपये की थी।

(अनुच्छेद 2ब.6 तथा 2ब.8)

एक ठेकेदार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में दोष के कारण आरएसएमडीसी को वृद्धि प्रभारों के भुगतान के रूप में 0.34 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(अनुच्छेद 2ब.8.3.1)

बिना बिक्री करार किये रॉक फास्फेट आयात करने व इसके बाद बीमा कवर लेकर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने के फलस्वरूप आरएसएमडीसी को 0.27 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2ब.8.3.2)

संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्र की कम्पनियों (एएससीज्) में निवेश समझौतों के पुनर्खरीद प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण आरएसएमडीसी को 1.47 करोड़ रुपये की हानि हुई।

{अनुच्छेद 2ब.9(i) से (iii)}

रियायती दर पर विक्रय-कर के प्रपत्र (फॉर्म) क्रेताओं से प्राप्त करने में असफल रहने एवं समय पर विक्रय कर विवरणी प्रस्तुत नहीं करने से आरएसएमडीसी को विक्रय-कर (ब्याज सहित) के 0.59 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

{अनुच्छेद 2ब.11(i)}

उपयुक्त मूल्यांकन किये बिना एक परियोजना लेने व एएससीज् के विरुद्ध समय पर कानूनी कार्यवाही करने में असफल रहने पर आरएसएमडीसी को 0.70 करोड़ रुपये की राशि वसूल करने में असफल होना पड़ा।

{अनुच्छेद 2ब.11(ii)}

3. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल)

– सामग्री प्रबन्धन

मण्डल, उत्पादन क्रिया-कलाप से सम्बन्धित भण्डार के अलावा अन्य सामग्री क्रय पर औसतन 364.00 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय करता है जो मण्डल के कुल खर्च का 14 प्रतिशत भाग होता है।

(अनुच्छेद 3.1)

टावर्स, पी.जी. क्लेम्पस, टी क्लेम्प्स, कन्ट्रोल केबल्स, मीटर टर्मिनल ब्लॉक्स तथा परिचालन एवं संधारण (ओ एण्ड एम) सामग्री की आवश्यकताओं का गलत

आंकलन करने के कारण 6.04 करोड़ रुपये के मूल्य की अधिक सामग्री क्रय की गई जिसके परिणामस्वरूप 1.72 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

(अनुच्छेद 3.5.1.1 से 3.5.1.4, 3.7.1 तथा 3.7.2)

अनुभवहीन फर्म से इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटरों के अविवेकपूर्ण क्रय से मण्डल न केवल अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के मुख्य उद्देश्य में विफल रहा अपितु इन मीटरों के क्रय पर 18.00 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय भी वहन करना पड़ा ।

(अनुच्छेद 3.5.2)

उप-क्रेन्द्र ढॉचों तथा लाइटनिंग अरेस्टर के ऊँची दर पर क्रय के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण मण्डल ने एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 3.5.5 एवं 3.5.6)

सामग्री खरीद हेतु निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण मण्डल ने 1.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन की।

(अनुच्छेद 3.5.7 एवं 3.5.8)

ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन का प्रतिदाय अनुमत करने/दावा नहीं करने के मण्डल के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से 3.35 करोड़ रुपये वसूल नहीं किये जा सके।

(अनुच्छेद 3.5.9)

4. विविध रूचिकर प्रकरण

- आर्थिक सम्भाव्यता की जांच किये बिना प्रतिकूल स्थल पर फास्टफूड केन्द्र खोले जाने के फलस्वरूप राजस्थान स्टेट राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (आरएसएचसी) को 0.13 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4अ.1.2)

- राजस्थान राज्य पुल एवम् निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसबीसीसी) को सीमेन्ट एवं स्टील की आपूर्ति नहीं करने से मण्डल को बिक्रीकर एवं सेन्टेज प्रभारों के 0.97 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

{अनुच्छेद 4ब.1.1(i)}

- जीटीपीपी के प्रारम्भ किये जाने में देरी के परिणामस्वरूप मण्डल को न्यूनतम आपूर्ति हेतु प्रत्याभूत राशि के 1.97 करोड़ रुपये का निष्फल भुगतान करना पड़ा।

{अनुच्छेद 4ब.1.1(ii)}

- गैस प्रवाहित करने का उचित तन्त्र नहीं होने के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में हानि के कारण मण्डल को 3.39 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

{अनुच्छेद 4ब.1.1(iii)}

- वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के लिए अन्तिम ईंधन अधिभार की दर अधिसूचित करने में 16 माह तक की असाधारण देरी के परिणामस्वरूप मण्डल को 42.76 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4ब.1.2)

- ऊर्जा उपभोग के बिल (1.04 करोड़ रुपये) बनाने में 77 माह तक की असाधारण देरी के फलस्वरूप मण्डल को 0.63 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4ब.1.3)

- राजस्थान वित्त निगम द्वारा अंकेक्षक के प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण में 16 माह तक की असाधारण देरी करने से 1.55 करोड़ रुपये के पुनर्भरण में देरी हुई जिससे 0.15 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4ब.3.1)

अध्याय-I

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

1.2 सरकारी कम्पनियाँ

1.3 सांविधिक निगम

-राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

-राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

-राजस्थान वित्त निगम

-राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

अनुच्छेद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलचोकन	
1.1	प्रस्तावना	5
1.2	सरकारी कम्पनियाँ	5
1.2.1	सामान्य अवलोकन	5
1.2.2	सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	6
1.2.3	प्रत्याभूति, बजट से जावक एवं बकाया का अधित्याग तथा निजी निक्षेप खाता	9
1.2.4	लेखों को अन्तिम रूप देना	13
1.2.5	कार्यचालन परिणाम	14
1.2.6	सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशों की पुनर्खरीद	19
1.2.7	सांविधिक लेखापरीक्षकों के ध्यान में आये महत्त्वपूर्ण बिन्दु	19
1.2.8	क्षमता उपयोजन	21
1.2.9	619 बी कम्पनियां	21
1.2.10	अन्य निवेश	21
1.3	सांविधिक निगम	21
1.3.1	सामान्य पहलू	21
1.3.2	निवेश	22
1.3.3	निगमों का लाभ/हानि	23
1.3.4	लेखों को अन्तिम रूप देना	23
1.3.5	ऋणों पर प्रत्याभूति, इक्विटी एवं ऋणों का बजट से जावक तथा निजी निक्षेप खाता	24
1.3.6	अर्थ-साहाय्य	28
1.3.7	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम	28
1.4	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	29
1.5	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	36
1.6	राजस्थान वित्त निगम	40
1.7	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	44

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 परिचय

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं।

सांविधिक निगमों में से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे उनसे संबंधित अधिनियमों के अनुसार अकेले सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के लेखों की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है । सी.ए.जी. अलग से भी इनकी लेखापरीक्षा करता है। सभी सांविधिक निगमों के लेखों पर सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित संगठनों/राज्य सरकार को जारी किये जाते हैं।

1.2 सरकारी कम्पनियां

1.2.1 सामान्य अवलोकन

31 मार्च 1996 को कुल निवेश 896.32 करोड़ रुपये (अंश पूंजी : 284.03 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण : 612.29 करोड़ रुपये) के साथ 19 कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) के समक्ष 31 मार्च 1997 को कुल निवेश 983.07 करोड़ रुपये (अंश पूंजी : 290.92 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण : 692.15 करोड़ रुपये) के साथ 19 सरकारी कम्पनियां (तीन सहायक कम्पनियों सहित) थीं।

कम्पनियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:

	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (रुपये करोड़ों में)
(अ) कार्यरत कम्पनियां	13	285.95
(ब) अकार्यरत कम्पनियां		
(i) अप्रचलित कम्पनियां	6	4.97
(ii) परिसमापन में कम्पनियां	शून्य	शून्य

अप्रचलित छः कम्पनियों में से किसी को भी बी.आई.एफ.आर. के सुपुर्द नहीं किया गया।

1.2.2 समस्त सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम क्रमशः अनुबन्ध-II एवं III में दिये गये हैं।

इन कम्पनियों में नीचे यथा विस्तृत क्षेत्रवार निवेश था:

अंश पूंजी एवं ऋण

विभाग/सार्वजनिक उपक्रम का प्रकार	यथा वर्ष के अन्त में 31 मार्च 1996 संख्या	इक्विटी (रुपये करोड़ों में)	ऋण	31 मार्च 1997 संख्या	इक्विटी (रुपये करोड़ों में)	ऋण	1996-97 में ऋण-अंश पूंजी अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि	2	12.35	10.33	2	12.35	10.33	0.84:1
पशुपालन	1	2.87	-	1	2.87	-	-
वन एवं पर्यावरण	1	0.19	शून्य	1	0.19	शून्य	-
भू जल	11.27	शून्य	1	1.27	शून्य	-	
उद्योग							
अ. सरकारी कम्पनियां	3	158.53	477.39	3	165.27	554.43	3.35:1
ब. सहायक कम्पनियां	1	0.30	1.88	1	0.30	1.98	6.60:1
खान							
अ. सरकारी कम्पनियां	2	78.06	83.76	2	78.06	81.34	1.04:1
ब. सहायक कम्पनियां	2	1.53	0.42	2	1.53	0.42	0.27:1
सार्वजनिक निर्माण	1	10.00	17.68	1	10.00	23.42	2.34:1
राजकीय उपक्रम	2	3.72	6.01	2	3.72	5.41	1.45:1
पर्यटन	2	14.91	14.82	2	14.91	14.82	0.99:1
ऊर्जा	1	0.30	शून्य	1	0.45	-	-
कुल योग	19	284.03	612.29	19	290.92	692.15	2.38:1

चार्ट - I

31 मार्च 1997 को सरकारी कम्पनियों में प्रदत्त-पूँजी के माध्यम से क्षेत्रवार निवेश

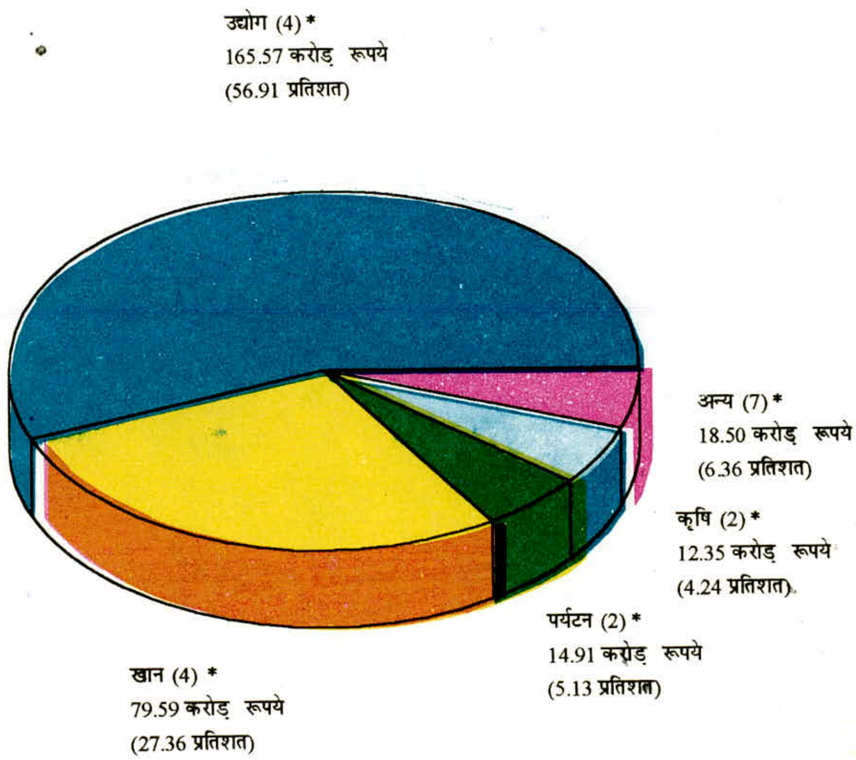

* यह क्षेत्र में कम्पनियों की संख्या को दर्शाता है ।

(संदर्भ : अनुच्छेद सं. 1.2.2)

निवेशों का विश्लेषण

(अ) निवेशों में 1996-97 में बढ़ोतरी/घटोतरी में निम्न सम्मिलित है :

क्रम संख्या	निवेश में बढ़ोतरी/घटोतरी के कारण	कम्पनियों की संख्या	रुपये करोड़ों में
1.	विद्यमान कम्पनियों की अंश पूंजी में वृद्धि	3	(+)06.89
2.	विद्यमान कम्पनियों के ऋणों में वृद्धि	7	(+)86.61
3.	विद्यमान कम्पनियों के ऋणों में घटोतरी	2	(-)06.75
	योग	12	(+)86.75

(ब) राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान किसी भी सरकारी कम्पनी के अपने अंशों का विनिवेश नहीं किया।

1.2.3 प्रत्याभूतियां, बजट से जावक एवम् बकाया का अधित्याग तथा निजी निक्षेप खाता

वर्ष 1996-97 के अंत में प्रत्याभूतियों तथा बजट से जावक की स्थिति अनुबन्ध- II तथा IV में दी गई है।

(अ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 1996-97 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में बैंकों आदि द्वारा दिये गये ऋण एवं साख के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां तथा 31 मार्च 1997 को बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका मे बताई गई है :

क्रम संख्या	प्रत्याभूतियां	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत राशि			31 मार्च 1997 को बकाया प्रत्याभूत राशि
		1994-95	1995-96	1996-97	
			(रुपये करोड़ों में)		
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	-	1.80	-	1.80
2.	अन्य स्रोतों से ऋण	261.15	33.75	20.38	417.62
				योग	419.42

31 मार्च 1997 को 7 सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध कुल प्रत्याभूत राशि 419.42 करोड़ रुपये बकाया थी जैसा कि अनुबन्ध- IV में दर्शाया गया है।

प्रत्याभूति, ऋण एवं ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिये थी जो केवल एक सरकारी कम्पनी (राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड) को छोड़कर जहां प्रत्याभूति केवल ऋण के लिए थी ब्याज के लिए नहीं। पुनर्भुगतान में चूक का ऐसा कोई मामला नहीं था। सरकारी कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार को चुकाया गया/चुकाने योग्य प्रत्याभूति कमीशन वर्ष 1996-97 के लिये 1.18 करोड़ रुपये था।

(ब) बजट से जावक तथा बकाया का अधित्याग

(i) राज्य सरकार से 1994-95 से 1996-97 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अधिमान अंश पूंजी, ऋण तथा अर्थ-साहाय्य के रूप में दी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	बजट से दी गई अंश पूंजी	24.92	18.82	6.89
2.	बजट से दिये गये ऋण	7.59	39.21	33.42
3.	अर्थ-साहाय्य	6.15	25.82	24.07
	कुल जावक	38.66	83.85	64.38

(ii) गत तीन वर्षो में राज्य सरकार को देय राशि, अपलिखित ऋण अथवा ब्याज अधित्याग अथवा ऋण पुनर्भुगतान स्थगन स्वीकृति के रूप में पूर्वानुमित नहीं हुई।

(स) निजी निक्षेप खाता

राजस्थान के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जीएफएण्डएआर) 279 से 287 एवं 294 से 298 में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राजकीय कम्पनियों/निगमों को पूंजी हिस्सा, अनुदान, परिदान, अर्थ-साहाय्य एवं ऋण प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आगे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों 290 से 299 में यह प्रावधित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों, परिदानों, अर्थ-साहाय्य एव ऋणों को सम्बन्धित जिला कोषालय में संधारित बिना ब्याज वाले निजी निक्षेप खाते (पी.डी.खाते) के माध्यम से दिया जाना आवश्यक है तथा यदि बिना ब्याज वाले निजी निक्षेप खाते में आधिक्य शेष पड़े हैं तो इन्हें संस्था के निवेदन पर सरकार द्वारा ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

31 मार्च 1997 को 19 कम्पनियों में से 14 कम्पनियों का शेष 99.43 करोड़ रुपये बिना ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में पड़ा था जो इक्विटी (2.97* करोड़ रुपये), ऋण (45.73 करोड़ रुपये) एवं अन्य निधियाँ (50.73 करोड़ रुपये) के खाते था तथा 7 कम्पनियों से सम्बन्धित शेष के 14.42 करोड़ रुपये ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में इक्विटी (0.10 करोड़ रुपये) व अन्य निधियाँ (14.32 करोड़ रुपये) की मद में पड़े थे जैसा कि अनुबन्ध - VII में विस्तृत रूप से दर्शाया है। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के दौरान निम्नांकित तथ्य दृष्टिगत हुए :

(i) जैसा कि अनुबन्ध - II में दर्शाया गया है वर्ष 1996-97 के दौरान पूंजी हिस्से के 6.89 करोड़ रुपये की राशि राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आरएसएचडीसी) तथा राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरएसपीसी) को निजी निक्षेप खाते के रास्ते दी गई जो इस शर्त के साथ दी गई कि राशि का आहरण, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। 31 मार्च 1997 को निजी निक्षेप खाते (बिना ब्याज धारित) में 2.97* करोड़ रुपये पूंजी के पड़े थे ।इनमें से उपरोक्त तीन कम्पनियों के (2.94* करोड़ रुपये) तथा राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (0.03 करोड़ रुपये) के पड़े थे। निजी निक्षेप खाते के रास्ते पूंजी हिस्सा राशि दिया जाना उचित नहीं था क्योंकि हिस्सा राशि निजी निक्षेप खाते द्वारा दिये जाने के कोई प्रावधान जीएफएण्डएआर में नहीं थे फलस्वरूप कम्पनियों को निधियाँ जारी करने में देरी हुई जिसके कारण उन्हें अपनी निधियों की आवश्यकता के लिए अन्य स्रोतों से ऋण इत्यादि हेतु आश्रय लेना पड़ा और ब्याज का भार उठाना पड़ा ।

(ii) सरकार द्वारा 14 कम्पनियों को दिये गये 45.73 करोड़ रुपये के 'ऋण' एवं 50.73 करोड़ रुपये की 'अन्य निधियाँ' इस शर्त के साथ निजी निक्षेप खातें में पड़ी रही कि दी गई राशि सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आहरित नहीं की जा सकेगी। पी.डी. खाते में वृहद राशि जमा करने के कारण कम्पनियाँ अपने कार्यचालन उद्देश्य के लिए उपरोक्त फण्ड उपयोग में लेने से वंचित रही तथा इन्हें इसके साथ ही विभिन्न स्रोतों से लिए गये ऋण पर ब्याज भी देना पड़ रहा है ।

(iii) तीन कम्पनियों यथा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड (आरएसडीडीसी) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) तथा राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम (आरएसबीसीसी) के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर निम्न रूचिकर बिन्दु सामने आये:

- आरएसडीडीसी की सम्पत्तियाँ एवं दायित्वों को राजस्थान राज्य डेयरी कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड को 1 अप्रेल 1980 में स्थानान्तरित कर दिया गया था किन्तु

---

* रीको के लेखों के अनुसार इसमें 1.40 करोड़ रूपये अंश आवेदन राशि के सम्मिलित है ।

अप्रेल 1980 से आरएसडीडीसी के ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में 0.10 करोड़ रुपये की राशि पड़ी थी।

– सरकार की पूर्व अनुमति से आहरण की इस शर्त पर बिना ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में पड़ी राशि का आयु-वार विवरण नीचे दिया गया है :

कम्पनी का नाम	वर्ष	इक्विटी	ऋण	अन्य*	योग
		(रुपये करोड़ो में)			
रीको	1992-93	0.29	–	0.50	0.79
आरएसबीसीसी	1992-93	–	–	–	–
योग		0.29	–	0.50	0.79
रीको	1993-94	–	–	1.65	1.65
आरएसबीसीसी	1993-94	–	–	–	–
योग		–	–	1.65	1.65
रीको	1994-95	–	–	–	–
आरएसबीसीसी	1994-95	–	–	0.74	0.74
योग		–	–	0.74	0.74
रीको	1995-96	–	20.60	1.84	22.44
आरएसबीसीसी	1995-96	–	–	11.18	11.18
योग		–	20.60	13.02	33.62
रीको	1996-97	1.40$	18.80	12.00	32.20
आरएसबीसीसी	1996-97	–	–	7.57	7.57
योग		1.40	18.80	19.57	39.77
कुल योग		1.69	39.40	35.48	76.57

वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक 76.57 करोड़ रुपये की निधियाँ बिना ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में अवरुद्ध होने के कारण कम्पनियों को मार्च 1997 तक 6.52 करोड़ रुपये (रीको: 4.43 करोड़ रुपये व आरएसबीसीसी : 2.09 करोड़ रुपये) के ब्याज की हानि हुई।

* इसमें राज्य सरकार से अनुदान/परिदान, ब्याज धारित पी.डी.खाते का ब्याज तथा निक्षेप कार्यों के विरुद्ध अन्य सरकारी विभागों से जमा इत्यादि सम्मिलित है ।

$ कम्पनी के लेखों के अनुसार यह अंश आवेदन राशि का द्योतक है ।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च 1997 को 1.96 करोड़ रुपये रीको के ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में पड़े थे जिनका आयुवार विवरण एवं व्यवहार की प्रकृति का विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

1.2.4 लेखों को अंतिम रूप देना

विधायिका के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जवाबदेही निर्धारित समय सारणी में लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को विधायिका को प्रस्तुत करके प्राप्त की जाती है। 19 सरकारी कम्पनियों में से 8 कम्पनियों के 12 लेखे 1 से 5 वर्षो (30 सितम्बर 1997) के मध्य की अवधि से बकाया थे जैसा कि अनुबन्ध-III में दर्शाया गया है।

इन कम्पनियों के नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार 9 कम्पनियों को 5.34 करोड़ रुपये की हानियां हुई तथा शेष 9 कम्पनियों ने 56.13 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जैसा कि निम्नलिखित तालिका में बताया गया है :

क्र. सं.	कम्पनियों की संख्या*	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभ		हानि	
			कम्पनियों की संख्या	राशि	कम्पनियों की संख्या	राशि
				(रुपये करोड़ों में)		
1.	11	1996-97	7	53.35	4	0.12
2.	6	1995-96	2	2.78	4	5.20
3.	1	1991-92	-	-	1	0.02
योग	18		9	56.13	9	5.34

प्रशासनिक विभागों को यह देखकर आश्वस्त होना होता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित समय सीमा में कम्पनियों द्वारा उनके लेखों को अंतिम रूप देकर वार्षिक आम सभा में अंगीकृत कर लिये गये हों। यद्यपि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों तथा सरकारी अधिकारियों को लेखापरीक्षा द्वारा बकाया की स्थिति से अवगत कराया जाता है, सरकार द्वारा 8 कम्पनियों के लेखों को समय पर अंतिम रूप दिये जाने हेतु कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये। लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया की स्थिति को मुख्य सचिव के ध्यान में आखिरी बार अक्टूबर 1997 में लाया गया था। इन कम्पनियों द्वारा समय सारणी का पालन नहीं किये जाने से इन कम्पनियों में किये गये निवेश की पर्याप्त रूप से जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

* 1995-96 में निगमित राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड निर्माणाधीन चरण पर है ।

1.2.5 कार्यचालन परिणाम

1.2.5.1 लाभ अर्जित कर रही कम्पनियां

वर्ष के दौरान 9 कम्पनियों ने, जिन्होंने 1996-97 अथवा पूर्ववर्ती वर्षो में लेखों को अंतिम रूप दिया, 56.13 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इन सब कम्पनियों ने दो या अधिक वर्षो से लगातार लाभ अर्जित किया। 9 कम्पनियों में मुक्त संचय तथा अतिरेक 126.93 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।

1.2.5.2 लाभ एवं लाभांश

वर्ष 1996-97 के लेखों को सितम्बर 1997 तक अंतिम रूप देने वाली 11 कम्पनियों में से 7 कम्पनियों ने 242.65 करोड़ रुपये की कुल पूंजी पर 53.35 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। 1995-96 में 5.03 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित करने वाली 5 कम्पनियों के विरुद्ध 1996-97 में 6 कम्पनियों ने 6.50 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। जिन कम्पनियों ने 1996-97 में लाभांश घोषित किया उनका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	अर्जित लाभ (रुपये करोडों में)	घोषित लाभांश प्रतिशत	घोषित लाभांश राशि (रुपये करोड़ों में)
1.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	16.17	1.5	2.21
2.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	17.42	5	3.09
3.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	13.42	8	0.80
4.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	0.16	5.85* 11**	0.08
5.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	0.22	5	0.05
6.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	3.44	5	0.27
	योग	50.83		6.50

* संचयी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर

** शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर

1.2.5.3 हानि उठा रही कम्पनियां

नवीनतम उपलब्ध लेखों (सितम्बर 1997) के अनुसार 5 कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त पूंजी क्षय कर दी थी क्योंकि इन कम्पनियों की संचित हानियां इनकी प्रदत्त पूंजी से अधिक हो गई थी जैसा कि निम्न तालिका में बताया गया है। हानि उठा रही 9 कम्पनियाँ पिछले दो अथवा अधिक वर्षों से लगाातर हानि उठा रही है ।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	संचित हानि	अभ्युक्तियां
		(रुपये करोड़ों में)		
1.	हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड	0.08	0.17	सेमी ऑटोमेटिक प्लान्ट से उत्पादन में लगातार हानि, लागत में वृद्धि तथा यांत्रिकी से सम्बन्धित व्यक्ति के नहीं मिलने के कारण बोर्ड ने (अगस्त 1997) में उत्पादन बन्द करने का निर्णय किया है। कम्पनी को बंद करने/ पुर्नजीवित करने का सुझाव सरकार के पास विचाराधीन है।
2.	राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	6.01	18.53	अल्प पण्यावर्त तथा अधिक उपरिव्यय के कारण हानियां हुई। कम्पनी समापन की प्रक्रिया में है।
3.	राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट्स एण्ड मार्बल्स लिमिटेड	0.19	0.51	आयातित मशीनरी स्थानीय ग्रेनाइट के लिये उपयुक्त नहीं है। कम्पनी समापन में है।
4.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	0.30	2.21	कम्पनी समापन प्रक्रिया में है।
5.	राजस्थान स्टेट हैंडलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	4.16	6.19	अल्प पण्यावर्त तथा अधिक उपरिव्यय
	योग	10.74	27.61	

1.2.5.4 लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी करने अथवा इसे अनुपूरक करने का अधिकार है। तद्नुसार, सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की चयनित आधार पर समीक्षा की जाती है। अक्टूबर 1996 से सितम्बर 1997 की अवधि के दौरान प्राप्त 17 कम्पनियों के 18 लेखों में से 14 कम्पनियों के 14 लेखे समीक्षा हेतु चयनित किये गये। ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप चार कम्पनियों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गई ।

नवीनतम उपलब्ध लेखों पर आधारित सभी 19 कम्पनियों के वित्तीय परिणाम अनुबन्ध-III में दिये गये हैं।

1.2.5.5 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी में निवल स्थाई परिसम्पत्तियां (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को सम्मिलित कर) तथा कार्यशील पूंजी के योग को लिया गया है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना करते समय उधार ली गई निधियों पर लाभ हानि खाते में प्रभारित कुल ब्याज को लाभ हानि खाते में दर्शाये शुद्ध लाभ/हानि में जोड़ा/घटाया गया है। नवीनतम उपलब्ध लेखों (सितम्बर 1997) के अनुसार 19 कम्पनियों में कुल नियोजित पूंजी 1113.09 करोड़ रुपये थी तथा इन पर प्रतिफल 146.16 करोड़ रुपये (13.13 प्रतिशत) था जो पूर्ववर्ती वर्ष में 18 कम्पनियों का (12.79 प्रतिशत) था ।

चार्ट - II

सरकारी कम्पनियों में नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

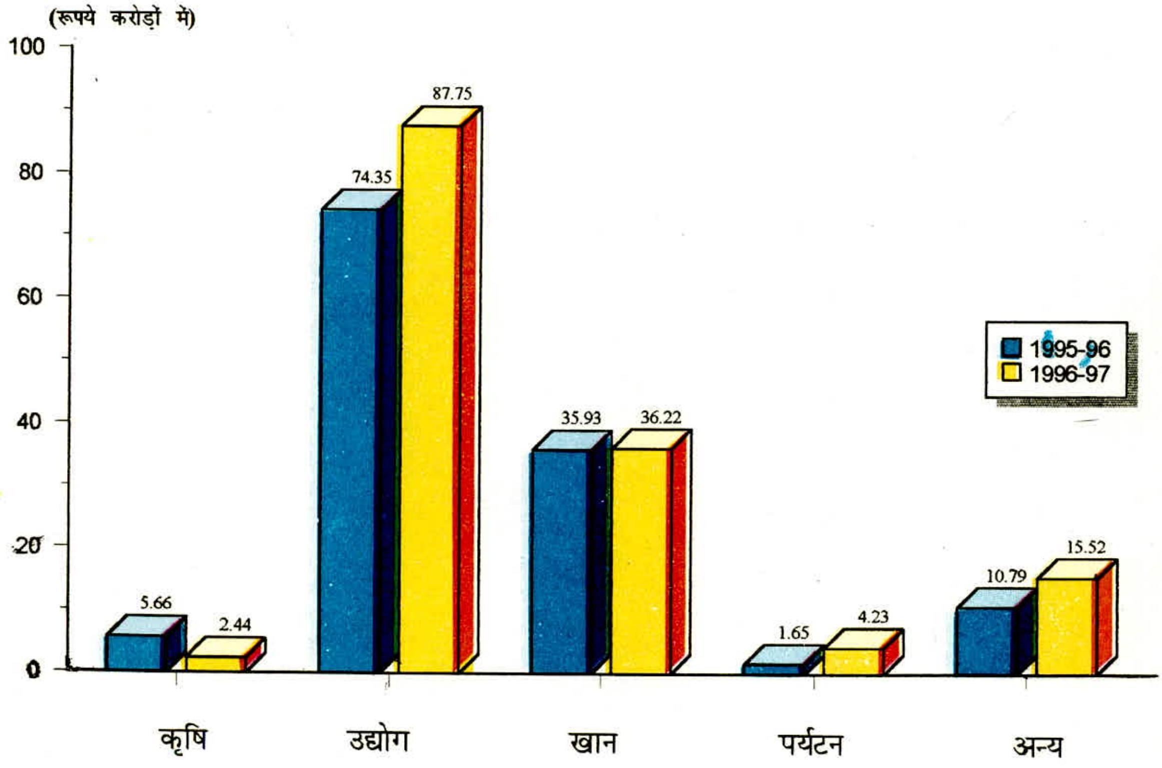

(संदर्भ : अनुच्छेद 1.2.5.5)

नियोजित पूंजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल का विवरण निम्न प्रकार था :

क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
		(रुपये करोड़ों में)		
कृषि	2	16.49	2.44	14.80
		(18.29)	(5.66)	(30.95)
पशुपालन	1	2.70	शून्य	शून्य
		(2.70)	(शून्य)	(शून्य)
वन एवं पर्यावरण	1	0.05	(-)0.02	शून्य
		(0.07)	{(-) 0.01}	(शून्य)
भू-जल	1	1.38	0.21	15.22
		(1.18)	(0.02)	(1.68)
उद्योग	4	746.60	87.75	11.75
		(671.07)	(74.35)	(11.08)
खान	4	247.09	36.22	14.66
		(230.88)	(35.93)	(15.56)
सार्वजनिक निर्माण	1	47.79	13.85	28.98
		(35.88)	(8.82)	(24.59)
राजकीय उपक्रम	2	11.34	1.48	13.05
		(19.63)	(1.96)	(9.98)
पर्यटन	2	39.47	4.23	10.72
		(24.36)	(1.65)	(6.77)
ऊर्जा	1	0.18	-	-
योग	19	1113.09	146.16	13.13
	(18)	(1004.06)	(128.38)	(12.79)

(टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष के हैं।)

1.2.6 सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अंशों की पुनर्खरीद

वर्ष 1996-97 के दौरान राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा एक इकाई के 185000 अंशों का विनिवेश 27.40 लाख रुपये में किया जिनका अंकित मूल्य 18.50 लाख रुपये था।

1.2.7 कम्पनी अधिनियम, 1956 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके कार्यों एवं निष्पादन के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार

देता है। इस प्रकार के जारी निर्देशों की अनुपालना में नवम्बर 1996 से सितम्बर 1997 के दौरान 6 कम्पनियों के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के विशेष प्रतिवेदन प्राप्त हुए । सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष के दौरान जिन कम्पनियों के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षण किया गया उन कम्पनियों से सम्बन्धित बताये गये महत्वपूर्ण बिन्दु नीचे दर्शाये गये हैं:

क्र. सं.	कमी का प्रकार	कम्पनियों की संख्या जिनमें कमी ध्यान में आई	अनुबन्ध-III के अनुसार कम्पनी की क्रम संख्या का सन्दर्भ
1.	लेखा पुस्तकों का सही रूप से संधारण नहीं करना	4	3,14,15,18
2.	लेनदारों/देनदारों तथा अन्य देयताओं का पुनर्मिलान नहीं करना	3	3,11,14,
3.	देयताओं का प्रावधान नहीं करना जिसमें लाभ का आधिक्य अथवा हानि में कमी दर्शित हुई	3	3,11,15
4.	बैंक तथा निजी निक्षेप खातों का मिलान नहीं करना	1	16
5.	कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन	2	3,11
6.	भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप कमी/आधिक्य का प्रभाव नहीं देना	2	15,18
7.	अंतिम मालसूची/सम्पत्तियों का नहीं मिलना	1	3
8.	सामान-सूची का खराब प्रबन्धन	5	1,3,11,15,18
9.	अस्वीकृत उत्पादन का विश्लेषण नहीं किया जाना	1	1
10.	आतंरिक नियंत्रण/अंकेक्षण तंत्र में कमी	3	1,3,15

1.2.8 क्षमता उपयोजन

सभी चार विनिर्माण कम्पनियों की स्थापित क्षमता के उपयोजन की प्रतिशतता अनुबन्ध-V में दी गई है। कम्पनियों द्वारा आंकलित आंकड़े क्षमता अथवा उत्पादन, संभाव्यता, लक्षित तथा प्राप्त मानक मानव घण्टे की इकाई के अनुसार प्रस्तुत नहीं किये गये। इन इकाइयों के अनुसार अनुश्रवण वांछित है।

1.2.9 619 बी कम्पनियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत 31 मार्च 1997 को कोई कम्पनी नहीं थी ।

1.2.10 अन्य निवेश

यद्यपि राज्य सरकार ने छः कम्पनियों में 10 लाख रुपये और अधिक का निवेश किया है, सरकार अथवा सरकार की/सरकारी नियन्त्रण की कम्पनियों एवं निगमों द्वारा 51 प्रतिशत अंशों से कम धारित करने से यह भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अध्यधीन नहीं है। इन कम्पनियों की सूची अनुबन्ध-I में दी हुई है।

1.3 सांविधिक निगम

1.3.1 सामान्य पहलू

31 मार्च 1997 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे। इन निगमों की लेखा

परीक्षण व्यवस्था नीचे दर्शाई गई है :

क्र. सं.	निगम का नाम	विधान जिसके अन्तर्गत गठन किया गया	गठन की दिनांक	लेखापरीक्षा व्यवस्था	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत किया गया	सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम,1948	1 जुलाई 1957	सी.ए.जी एक मात्र लेखापरीक्षक है।	1995-96	1994-95	अधिनियम की धारा 69(2)
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950	1 अक्टूबर 1964	सी.ए.जी. एक मात्र लेखापरीक्षक है।	1995-96	1994-95	अधिनियम की धारा 33(2)
3.	राजस्थान वित्त निगम	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951	17 जनवरी 1955	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा	1996-97	1995-96	अधिनियम की धारा 37(6)
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	कृषि उत्पाद (विकास एवं भण्डारण) निगम अधिनियम, 1956 (भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 द्वारा प्रतिस्थापित)	30 दिसम्बर 1957	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा	1995-96	1995-96	1962 के अधिनियम की धारा 31(8)

1.3.2 निवेश

इन निगमों में 31 मार्च 1997 को कुल निवेश 6153.13 करोड़ रुपये (इक्विटी :1209.97 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण: 4943.16 करोड़ रुपये) के समक्ष 31 मार्च 1996 को कुल निवेश 5458.54 करोड़ रुपये (इक्विटी : 1094.97 करोड़

रुपये, दीर्घावधि ऋण: 4363.57 करोड़ रुपये) था:

विभाग (निगम का नाम)	वर्ष के अंत में				1996-97 में डेब्ट इक्विटी अनुपात	अभ्युक्तियां
	1995-96		1996-97			
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण		
			(रुपये करोड़ों में)			
ऊर्जा (राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल)	913.09	3754.98	1027.59*	4320.27*	4.20:1*	
यातायात (राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम)	107.95	37.89	107.95*	19.82*	0.18:1*	
उद्योग (राजस्थान वित्त निगम)	67.53	568.90	67.53	601.67	8.91:1	
कृषि (राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम)	6.40	1.80	6.90*	1.40*	0.2:1	
योग	1094.97	4363.57	1209.97	4943.16	4.09:1	

1.3.3 निगमों का लाभ/हानि

इन चार निगमों द्वारा उनके नवीनतम लेखों पर आधारित अर्जित लाभ/उठाई गई हानि की स्थिति अनुबन्ध-VI में दर्शायी गयी है।

1.3.4 लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

चार निगमों के अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार तीन निगमों ने 91.78 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया व एक निगम को 13.48 करोड रुपये की

* अनन्तिम

हानि हुई जैसाकि नीचें तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	निगम का नाम	वर्ष जिस तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभ/अधिशेष	हानि/कमी
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी)	1995-96	80.84	-
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी)	1995-96	7.78	-
3.	राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)	1996-97	-	13.48
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी)	1995-96	3.16	-
	योग		91.78	13.48

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम तथा राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम ने अपने वर्ष 1996-97 के लेखे प्रस्तुत नहीं किये (सितम्बर 1997)।

1.3.5 ऋणों पर प्रत्याभूति, इक्विटी एवं ऋणों का बजट से जावक तथा निजी निक्षेप खाता

(अ) ऋणों पर प्रत्याभूति

1996-97 तक के तीन वर्षों में इन निगमों को बैंकों आदि द्वारा दिये गये ऋण तथा साख के समक्ष राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां तथा 31 मार्च 1997

को इनके सामने बकाया नीचे तालिका में दर्शायी गई है :

क्र. सं.	प्रत्याभूतियां	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत राशि 1994-95	1995-96	1996-97 (अनन्तिम)	31 मार्च 1997 को बकाया प्रत्याभूत राशि (अनन्तिम)
		(रुपये करोड़ों में)			
1.	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अन्य स्रोतों से ऋण	370.10**	459.01	440.77	2354.98
3.	आयात के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोले गये साख पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	विदेशी परामर्शकों अथवा ठेकेदारों के साख अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ब) इक्विटी तथा ऋण का बजट से जावक

वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान चार निगमों की इक्विटी पूंजी तथा ऋणों के रूप में राज्य सरकार से जावक की स्थिति नीचे दी गई है :

क्र. सं.	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97 (अनन्तिम)
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	बजट से इक्विटी पूंजी जावक	4.75	290.25	114.50
2.	बजट से दिया गया ऋण	285.61	385.65	182.70

1995-96 के दौरान तीन निगमों द्वारा भुगतान किये गये/किये जाने वाले प्रत्याभूति कमीशन तथा 31 मार्च 1996 को बकाया की स्थिति नीचे दी गई है:

निगम का नाम	1996-97 के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याभूति कमीशन	31 मार्च 1997 को बकाया प्रत्याभूति कमीशन
	(रुपये करोड़ों में)	
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	10.16*	1.99*
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	0.02*	शून्य
राजस्थान वित्त निगम	2.37	शून्य
योग	12.55	1.99

** राज्य सरकार से 19.00 करोड़ रुपये के बाण्ड की प्रत्याभूतियां प्रतीक्षित हैं।

* अनन्तिम

(स) निजी निक्षेप खाता

31 मार्च 1997 को 4 निगमों के पी.डी.खाते में रहे शेष नीचे दर्शायिनुसार थे :

निगम का नाम	इक्विटी	ऋण	अन्य**	योग
		(रुपये करोड़ो में)		
आरएसईबी	–	17.24	10.43	27.67
	(–)	(–)	(–)	(–)
आरएसआरटीसी	–	–	0.69	0.69
	(–)	(–)	(0.47)	(0.47)
आरएफसी	–	10.00	19.01	29.01
	(–)	(–)	(4.00)	(4.00)
आरएसडब्ल्यूसी	0.25	0.15	0.62	1.02
	(–)	(–)	(0.45)	(0.45)
योग	0.25	27.39	30.75	58.39
	(–)	(–)	(4.92)	(4.92)

{कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पी.डी.खाते (ब्याज धारित) से सम्बन्धित है तथा अन्य आंकड़े पी.डी.खाते (ब्याज रहित) से सम्बन्धित हैं ।}

दो निगमों के पी.डी.खातों की नमूना जांच के दौरान सामने आया कि:

(i) 114.50 करोड़ रुपये* की इक्विटी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान दी गई जिसमें से आरएसडब्ल्यूसी से सम्बन्धित 0.25 करोड़ रुपये की राशि 31 मार्च 1997 को पी.डी. खाते में पड़ी थी। पी.डी.खाते के रास्ते पूंजी हिस्सा दिया जाना सही नहीं था क्योंकि जीएफ एण्ड एआर के तहत पी.डी.खाते के रास्ते पूंजी हिस्सा दिये जाने का कोई-प्रावधान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप निगम को न केवल निधि जारी होने में विलम्ब हुआ बल्कि

** इसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान व परिदान तथा पी.डी.खाते (ब्याज धारित) का ब्याज सम्मिलित है।

* अनन्तिम

आवश्यक निधियों की आपूर्ति के लिए अन्य स्त्रोतों से ऋण आदि लेने के कारण उन पर परिणामी ब्याज का भार पड़ा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा 4 निगमों को दिया गया 'ऋण' राशि 27.39 करोड़ रुपये एवं 'अन्य निधियाँ' 30.75 करोड़ रुपये पी.डी. खाते में इस शर्त के साथ रखा गया कि दी गई राशि बिना सरकार की पूर्व अनुमति के आहरित नहीं की जा सकें। पी.डी. खातें में वृहद राशि जमा करने के कारण निगम अपने कार्यचालन उद्देश्य के लिए फण्ड उपयोग में लेने से वंचित रहे तथा विभिन्न स्रोतों से लिये गये ऋण पर ब्याज भी देना पड़ रहा है।

(iii) आगे, दो निगम यथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) तथा राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)के अभिलेखों की संवीक्षा में सामने आया कि:

- आरएफसी के बिना-ब्याज-धारित पी.डी.खाते में पड़े 0.01 करोड़ रुपये का आयुवार वर्गीकरण एवं व्यवहारों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था।

- आरएफसी ने वर्ष 1996-97 के दौरान अपनी कार्यचालन निधियाँ कम अवधि के लिए ब्याजधारित पी.डी.खाते में जमा कराई जिस पर संचालित नकद साख सीमा तथा विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त बॉण्ड्स/ऋणों पर देय ब्याज से निम्न दर पर ब्याज था। 4 मार्च 1997 को जमा एवं 5 मई 1997 को निकाले गये 4 करोड़ रुपये पर गणना कियेनुसार 0.03 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

- 30 मार्च 1996 से 14 करोड़ रुपये की एक राशि पी.डी.खाते (बिना ब्याज धारित) में पड़ी थे जिस पर 1996-97 में आरएफसी द्वारा जारी बॉण्ड्स की ब्याज दर 13.75 प्रतिशत वार्षिक से गणना करने पर 1.92 करोड़ रुपये की परिणामी हानि हुई।

- आरएसआरटीसी ने अपनी कार्यचालन निधियाँ जो 0.07 करोड़ रुपये से 1.73 करोड़ रुपये के मध्य विचरित थी वर्ष 1996-97 के दौरान 7 दिवस से 52 दिवस के मध्य विचरित अल्प अवधि में पी.डी.खाते (बिना ब्याज धारित) में जमा कराई परिणामस्वरूप आरएसआरटीसी द्वारा राज्य सरकार से उधार लिये गये निगम फण्ड पर देय ब्याज दर 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 0.01 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

1.3.6 अर्थ साहाय्य

1995-96 में समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान दो निगमों द्वारा प्राप्त अर्थ साहाय्य निम्न प्रकार था:

क्र. सं.	निगम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ साहाय्य		
		1994-95	1995-96	1996-97 (अनन्तिम)
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	487.19	226.25	441.66
2.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	0.31	0.57	0.15
	योग	487.50	226.82	441.81

1.3.7 सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम

निगमों के नवीनतम वर्ष के, जिसके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, कार्यचालन परिणाम अनुबन्ध-VI में संक्षेपित किये गये हैं। इन निगमों के लेखों तथा भौतिक निष्पादन के बारे में मुख्य बिन्दु नीचे अनुच्छेद 1.4 से 1.7 में दिये गये हैं।

1.4 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

1.4.1 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की पुस्तकों पर आधारित वर्ष 1995-96 के प्रत्येक तीन वर्षों में वित्तीय स्थिति निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित की गई है:-

	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएं			
	- अंश पूंजी	623.09	623.09	913.09
	- राज्य सरकार के ऋण	1536.27	1770.08	1815.96
	- अन्य दीर्घकालीन ऋण (बॉण्ड्स सहित)	1305.15	1825.18	1939.02
	- जनता से निक्षेप	112.46	139.12	179.08
	- आरक्षित	349.90	421.90	691.13
	- चालू देयताएं एवं प्रावधान	947.62	1184.92	1332.23
	योग-अ	4874.49	5964.29	6870.51
ब.	सम्पत्तियां			
	- स्थायी सम्पत्तियां (सकल)	3705.57	4103.33	3700.85
	- घटायें-मूल्य ह्रास	853.88	1058.46	1108.79
	-स्थायी सम्पत्तियां (निवल)	2851.69	3044.87	2592.06
	- निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	785.38	789.81	1154.20
	- आस्थगित लागत	3.19	3.85	4.94
	- चालू परिसम्पत्तियां	774.86	1743.46	2817.85
	- संचित हानि	459.37	382.30	301.46
	योग-ब	4874.49	5964.29	6870.51
स.	नियोजित पूंजी*	3463.45	4392.36	5230.99

* नियोजित पूंजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को सम्मिलित कर) तथा कार्यशील पूंजी के योग की द्योतक है।

1.4.2 (i) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की पुस्तकों पर आधारित वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित है:

क्र.सं.	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
		(रुपये करोड़ों में)		
1.	(अ) राजस्व प्राप्तियां	1436.98	1797.82	2351.84
	(ब) राज्य सरकार से अर्थ साहाय्य	424.94	489.82	513.07
	योग	1861.92	2287.64	2864.91
2.	राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय) अमूर्त सम्पतियों के अपलेखित किये जाने सहित किन्तु ह्रास व ब्याज को छोड़कर	1430.19	1674.60	2120.62
3.	वर्ष के लिए सकल अधिशेष/(-) कमी (1-2)	431.73	613.04	744.29
4.	पूर्व अवधि समायोजन	(+)16.67	(+)29.00	(-)88.32
5.	वर्ष के लिए अन्तिम सकल अधिशेष/ (-) कमी (3+4)	448.40	642.04	655.97
6.	उपयोजन			
	(अ) मूल्य ह्रास(घटाये:पूंजीगत किया हुआ)	151.02	255.30	199.61
	(ब) सरकारी ऋण पर ब्याज	144.81	183.94	221.84
	(स) अन्य ऋण, बॉण्डस एवं अग्रिमों आदि पर ब्याज	142.15	203.52	271.21
	(द) कुल ऋणों पर ब्याज (ब + स)	286.96	387.46	493.05
	(य) घटाये : पूंजीगत किया गया ब्याज	59.70	77.79	117.53
	(च) राजस्व खाते पर प्रभारित निवल ब्याज (द-य)	227.26	309.67	375.52
7.	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ साहाय्य को खाते में लेने से पूर्व आधिक्य/ (-) कमी {5-6(अ)-6(च)-1(ब)}	(-)354.82	(-)412.75	(-)432.23
8.	शुद्ध आधिक्य/(-) कमी {5-6(अ)-6(च)}	70.12	77.07	80.84
9.	नियोजित पूंजी पर कुल परिलाभ*	297.38	386.74	456.36
10.	नियोजित पूंजी पर परिलाभ की प्रतिशतता	8.59	8.80	8.72

* लाभ हानि खाते में कुल प्रभारित ब्याज (पूंजीगत किये ब्याज को छोड़कर) को जोड़ कर शुद्ध आधिक्य/(-) कमी, नियोजित पूंजी पर प्रत्याय का घोतक है।

(ii) मण्डल के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा निर्धारण :

मण्डल ने पिछले वर्ष 1994-95 के दौरान 77.07 करोड़ रुपये के आधिक्य की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान 80.84 करोड़ रुपये का आधिक्य अर्जित किया। राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य को खातों में लेने से पूर्व वर्ष 1994-95 (412.75 करोड़ रुपये) की तुलना में वर्ष 1995-96 (432.23 करोड़ रुपये) के दौरान कमियाँ 4.72 प्रतिशत से बढ़ी।

कमियों के मुख्य कारण थे:

(अ) क्रय की गई ऊर्जा की मात्रा व दर में वृद्धि।

(ब) ईंधन लागत में वृद्धि से उत्पादन लागत में वृद्धि।

(स) लीज़ पुनर्वित्त एवं ब्याज दर सहित उधारियों की मात्रा में वृद्धि।

(द) सामान्य खर्चों तथा प्रशासन एवं कार्मिक लागत में सामान्य वृद्धि।

सरकार से प्राप्ति योग्य 639.78 करोड़ रुपये के अर्थ-साहाय्य/परिदान को जमा में लेने के पश्चात वर्ष 1995-96 के अन्त में संचित कमियाँ (-) 301.46 करोड़ रुपये तक बढ़ गई थी। उपरोक्त अर्थ-साहाय्य/परिदान के 441.66 करोड़ रुपये वर्ष 1996-97 में समायोजित किये गये। 198.12 करोड़ रुपये के शेष को छोड़कर ब्याज भुगतान एवं ऋणों के भुगतान के विरुद्ध बकाया दायित्वों की अभी भी वसूली/समायोजन किया जाना था।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथा संशोधित, की धारा 59 के अनुसार, धारा 63 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त परिदान की जमा लेने के पश्चात् मण्डल को परिचालन एवं टेरिफ समायोजन इस तरह सुनिश्चित करना चाहिये कि समुचित रूप से खर्च निकालने के पश्चात् किसी वर्ष के कुल राजस्व में से इतना आधिक्य बच जाए जो वर्ष के प्रारम्भ में सेवा में स्थायी सम्पतियों के मूल्य का तीन प्रतिशत अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत कोई उच्च प्रतिशत के बराबर हो। इस आधार पर मण्डल को न्यूनतम 80.84 करोड़ रुपये का आधिक्य (वर्ष के प्रारम्भ में सेवा में स्थायी सम्पतियों के मूल्य का 3 प्रतिशत) वर्ष 1995-96 में प्राप्त करना चाहिये था। इसके विरुद्ध 80.84 करोड़ रुपये का शुद्ध आधिक्य निकाला गया था जो

510.69 करोड़ रुपये के प्राप्ति योग्य परिदान को प्रतिफल में लेने के पश्चात् 3 प्रतिशत था तथा इसमें से 198.12 करोड़ रुपये की राशि अभी भी प्राप्त की जानी थी।

मण्डल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निम्न अनियमितताएँ एवं त्रुटियाँ दर्शाई गई थी :

क्रम सं.	अनियमितताएँ/त्रुटियाँ	(रुपये करोड़ों में)
1.	ब्याज का अतिपूंजीकरण	3.01
2.	लेखापुस्तकीय नियमों से इतर मरम्मत एवं सधांरण खर्चो, सेवानिवृत्ति परिलाभों तथा बोनस एवं एक्स-ग्रेसिया के भुगतान का पूंजीकरण	9.19
3.	असफल हुए ट्रान्सफार्मरों का अपलेखन नहीं करना	0.17
4.	दायित्वों का प्रावधान नहीं किया जाना	33.33
5.	अप्राप्य ऋण एवं अग्रिम	43.56
6.	माल का स्टॉक अधिक दिखाना	2.64
7.	उपभोक्ता के हिस्से को राजस्व के रूप में लेने से प्राप्तियाँ एवं राजस्व अधिक दिखाया जाना	0.78
8.	उपयोग में आ रही सम्पतियों पर कम ह्रास का प्रावधान	0.56
	कुल	93.24

उपरोक्त अनियमितताओं / त्रुटियों के कारण मण्डल की कमियाँ 93.24 करोड़ रुपये से बढ़ेंगी।

1995-96 तक के तीन वर्षो के कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा निर्धारण एवं मण्डल के वार्षिक लेखों की पृथक लेखापरीक्षा में दर्शाई गई मुख्य अनियमितताओं/त्रुटियों के आधार पर तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्य अर्थ-साहाय्य/परिदान को खाते में नहीं लेने से मण्डल की शुद्ध कमी और

नियोजित पूंजी एवं निवेशित पूंजी पर प्रत्याय का प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

क्रम सं.	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	निवल आधिक्य/(-)हानि लेखा पुस्तकों के आधार पर	70.12	77.07	80.84
2.	राज्य सरकार से अर्थ साहाय्य	424.94	489.82	513.07
3.	निवल आधिक्य/(-)हानि राज्य सरकार से अर्थ साहाय्य से पहले (1-2)	(-)354.82	(-)412.75	(-)432.23
4.	शुद्ध बढ़त/आधिक्य में कमी मण्डल के वार्षिक लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के पश्चात्	(-)21.92	(-)48.15	(-)93.24
5.	शुद्ध आधिक्य/(-) हानि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर परन्तु राज्य सरकार से अर्थ साहाय्य के पहले (3-4)	(-)376.74	(-)460.90	(-)525.47
6.	नियोजित पूंजी पर कुल परिलाभ	(-)149.48	(-)151.23	(-)149.95
7.	नियोजित पूंजी पर परिलाभ की प्रतिशतता	शून्य	शून्य	शून्य

1.4.3 निम्नांकित तालिका राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 1995-96 तक के प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान परिचालन निष्पादन दर्शाती है :

क्र.सं.	विवरण	1993-94*	1994-95*	1995-96*
1.	स्थापित क्षमता		(मेगावाट में)	
	(अ) थर्मल	975.00	975.00	975.00
	(ब) हाइडल	968.77	971.07	974.87
	(स) डीजल+माइक्रो हाइडल	-	3.00	38.50
	योग	1943.77	1949.07	1987.37
2.	उत्पादित ऊर्जा		(एमकेडब्ल्यूएच में)	
	(अ) थर्मल	5146.52	4837.35	5935.09
	(ब) हाइडल	3382.01	3936.49	3992.81
	(स) डीजल+माइक्रो हाइडल	-	-	-
	योग	8528.53	8773.84	9927.90
3.	घटाएं-गौण खपत	640.19	623.20	742.22
	3अ. मानक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	निवल उत्पादित ऊर्जा	7888.34	8150.64	9185.68
5.	खरीदी गई ऊर्जा	7511.62	8272.86	9985.56
6.	बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा (4+5)	15399.96	16423.50	19171.24
7.	बेची गई ऊर्जा	11521.52	12323.13	13743.87
8.	संचरण एवं वितरण हानि	3878.44	4100.37	5427.37
9.	प्रति किलोवाट स्थापित क्षमता पर उत्पादित इकाइयां	4387.62	(संख्या में) 4501.55	4992.98

* आंकड़े मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये।

क्र.सं.	विवरण	1993-94*		1994-95*		1995-96	
				(प्रतिशत)			
10.	संयंत्र भार घटक						
	(अ) हाइडल	69.65		70.19		74.82	
	(ब) थर्मल	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
	(स) डीजल+माइक्रो हाइडल	-		-		-	
11.	स्थापित क्षमता से उत्पादन की प्रतिशतता	71.91		73.21		76.18	
12.	उत्पादन से संचरण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता (8÷6)	25.18		24.97		28.31	
				(संख्या में)			
13.	वर्ष के अंत में विद्युतिकृत गांवों/कस्बों की संख्या	30,205		30,959		34,049	
14.	वर्ष के अंत में ऊर्जाकृत पम्प सेटों/कुओं की संख्या	4,52,044		4,76,948		5,02,310	
	(अ) निजी ट्यूबवेल	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
	(ब) राजकीय ट्यूबवेल	उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं		उपलब्ध नहीं	
15.	योजित भार (मेगावाट)	7189.20		7839.89		8550.61	
16.	उपभोक्ताओं की संख्या (लाखों में)	40.24		41.95		43.79	
17.	कर्मचारियों की संख्या	57,450		56,846		57,130	
18.	प्रति मिलियन किलोवाट पर कर्मचारियों की लागत (रुपये लाखों में)	1.72		1.81		1.77	
19.	उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार ऊर्जा विक्रय का वितरण	उप-भोक्ताओं का प्रतिशत	राजस्व का प्रतिशत	उप-भोक्ताओं का प्रतिशत	राजस्व का प्रतिशत	उप-भोक्ताओं का प्रतिशत	राजस्व का प्रतिशत
	(अ) कृषि	30.57	8.46	31.54	6.98	31.76	6.52
	(ब) औद्योगिक	38.08	60.96	40.73	62.67	36.28	61.78
	(स) वाणिज्यिक	4.68	7.16	5.05	7.64	4.98	8.14
	(द) घरेलू	13.53	9.98	13.99	10.11	14.27	10.26
	(य) अन्य	13.14	13.44	8.69	12.60	12.71	13.30
				(पैसों में)			
20.	(अ) प्रति किलोवाट राजस्व (अर्थ साहाय्य को छोड़कर)	124.72		145.89		171.12	
	(ब) प्रति किलोवाट व्यय	156.96		181.74		196.14	
	(स) लाभ (+)/हानि(-)	(-)32.24		(-)35.85		(-)25.02	

* आंकड़े मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये।

1.5 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

1.5.1 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में वित्तीय स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
		(रुपये करोड़ों में)	
अ. देयताएं			
पूंजी	107.95	107.95	107.95
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	4.99	22.80	30.72
उधारियां	72.46	55.91	37.89
व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएं	42.31	47.68	53.62
योग-अ	227.71	234.34	230.18
ब. परिसम्पत्तियां			
सकल ब्लाक	228.83	259.82	280.72
घटाएं: मूल्य ह्रास	80.01	88.80	111.78
निवल स्थाई सम्पत्तियां	148.82	171.02	168.94
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	1.15	1.61	2.33
निवेश	8.30	5.00	11.40
चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	40.84	43.84	42.17
अमूर्त परिसम्पत्तियां (आस्थगित राजस्व व्यय)	22.08	12.87	5.34
संचित हानि	6.52	-	-
योग-ब	227.71	234.34	230.18
स. नियोजित पूंजी*	156.28	173.34	171.19

* नियोजित पूंजी, निवल स्थाई सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूंजी के योग की द्योतक है।

1.5.2 आरएसआरटीसी के 1995-96 तक के तीन वर्षो के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षेपित हैं:

क्र.सं	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	कुल राजस्व (परिचालन एवं गैर परिचालन)	336.18	386.97	418.56
2.	कुल व्यय (परिचालन एवं गैर परिचालन)*	276.12	324.77	368.20
3.	मूल्य ह्रास, ब्याज एवं लाभांश के पूर्व वर्ष का लाभ, घटाएं	(+)60.06	(+)62.20	(+)50.36
	(अ) मूल्य ह्रास	20.90	25.86	30.97
	(ब) ब्याज	15.36	10.56	9.15
	(स) प्रभार के रूप में लाभांश	-	2.39	2.39
4.	पूर्व अवधि समायोजन	(-)0.84	(+)0.77	(-)0.07
5.	निवल लाभ	(+) 22.96	(+)24.16	(+)7.78
6.	नियोजित पूंजी पर कुल परिलाभ	38.32	34.72	16.93
7.	नियोजित पूंजी पर परिलाभ की प्रतिशतता	24.52	20.03	9.89
8.	निवल मूल्य**	103.76	127.89	135.63

* कुल व्यय में मूल्य ह्रास,लाभांश एवं ऋण/पूंजी पर ब्याज सम्मिलित नहीं है।

** निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी तथा अमूर्त सम्पत्तियों को घटाकर मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष के योग का द्योतक है।

1.5.3 निम्नलिखित तालिका आरएसआरटीसी के 1996-97 तक के तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की भौतिक कार्यदक्षता दर्शाती है :

क्र.सं.	विवरण	1994-95*	1995-96*	1996-97* (अनन्तिम)
1.	उपलब्ध वाहनों की औसत संख्या	4164	4484	4557
2.	चालू वाहनों की औसत संख्या	3738	4049	4111
3.	बेड़ा उपयोजन (प्रतिशतता)	90	90	90
4.	वर्ष के अन्त में तय किये गये मार्ग किलोमीटर	450237	461822	457057
5.	परिचालन आगारों की संख्या	43	44	45
6.	तय किये गये किलोमीटर (लाखों में)			
	(अ) सकल किलोमीटर			
	- स्वयं की बसें	4238.68	4579.79	4574.05
	- भाड़े की बसें	502.82	559.50	413.31
	(ब) प्रभावी किलोमीटर			
	- स्वयं की बसें	4094.86	4393.80	4387.71
	- भाड़े की बसें	502.82	559.50	413.31
	(स) स्वयं की बसों के निष्फल किलोमीटर	143.82	185.99	186.34
	(द) स्वयं की बसों के सकल किलोमीटरों से निष्फल किलोमीटरों की प्रतिशतता	3.39	4.06	4.07
7.	तय किये गये औसत किलोमीटर (प्रति बस प्रतिदिन)			
	- स्वयं की बसें	300	296	292
	- भाड़े की बसें	478	479	472
8.	औसत राजस्व (पैसे/किलोमीटर)			
	- स्वयं की बसें	826	820	926
	- भाड़े की बसें	736	766	863

* आंकड़े निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

क्र.सं.	विवरण	1994-95*	1995-96*	1996-97* (अनन्तिम)
9.	औसत व्यय (पैसे/किलोमीटर)			
	- स्वयं की बसें	811	847	उपलब्ध नहीं
	- भाड़े की बसें	395	407	उपलब्ध नहीं
10.	प्रति किलोमीटर लाभ (पैसों में)			
	- स्वयं की बसें	15	(-)27	उपलब्ध नहीं
11.	प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की संख्या	0.26	0.24	0.22
12.	प्रति लाख कि.मी. पर ब्रेक डाउन की संख्या	3	3	3
13.	निर्धारित यात्री किलोमीटर (करोड़ों में)	2390.79	2575.72	2496.53
14.	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ों में)	1757.23	1851.94	1847.43
15.	अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	73.5	71.9	74.0
16.	सम-विच्छेद (ब्रेक इवन) अधिभोग (प्रतिशत)	69.7	72.0	74.8
17.	ईंधन खपत कि.मी. प्रतिलीटर	4.75	4.80	4.77
	मानक	4.78	4.78	4.78
18.	मरम्मत एवं संधारण/कि.मी (रुपये में)	0.57	0.41	0.29
19.	टायर लागत प्रति कि.मी. (रुपये में)			
	(अ) नये	0.47	0.54	उपलब्ध नहीं
	(ब) रिट्रेडेड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* आंकड़े निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

1.6 राजस्थान वित्त निगम

1.6.1 राजस्थान वित्त निगम की वर्ष 1996-97 तक के तीन वर्षों के अन्त में प्रत्येक वर्ष की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएं			
	प्रदत्त पूंजी	67.53	67.53	67.53
	आरक्षित एवं अधिशेष	27.26	34.26	40.76
	उधारियां	526.97@	568.90@	601.67@
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएं एवं प्रावधान	90.67	123.13	159.90
	योग -अ	712.43	793.82	869.86
ब.	परिसम्पत्तियां			
	निवल स्थाई सम्पत्तियां	2.49	3.52	4.10
	निवेश (लागत पर)	0.12	0.06	0.06
	ऋण एवं अग्रिम	574.61	628.19	662.80
	अन्य चालू सम्पत्तियां	99.28	126.20	143.41
	लाभ व हानि खाता	35.93	35.85	59.49
	योग-ब	712.43	793.82	869.86
	नियोजित पूंजी*	570.89	616.08	653.43
	निवल मूल्य**	58.86	65.94	48.80

@ इसमें राज्य सरकार से 23.55 करोड़ रुपये इक्विटी ऋण के सम्मिलित है।

* नियोजित पूंजी, प्रदत्त-पूंजी के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग का मध्यमान, बॉण्ड्स, आरक्षितें एवं अधिशेष, उधारियां तथा जमा की द्योतक है।

** निवल मूल्य, प्रदत्त-पूंजी तथा अमूर्त सम्पत्तियों को कम करके आरक्षितें एवं अधिशेष के योग का द्योतक है।

1.6.2 निम्नलिखित तालिका में राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1996-97 तक के तीन वर्षो के कार्यचालन परिणामों का विवरण दिया गया है:

क्र.सं	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	आय			
	(अ) ब्याज एवं लाभांश	88.23	102.26	111.58
	(ब) अन्य आय	3.23	3.34	3.01
	योग (1)	91.46	105.60	114.59
2.	व्यय			
	(अ) ब्याज	57.38	60.56	70.98
	(ब) वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय सहित अन्य वित्तीय व्यय	22.94	26.43	29.38
	(स) मूल्य ह्रास	0.17	0.23	0.36
	(द) संदिग्ध एवं डूबत ऋण	9.07	2.68	0.33
	योग (2)	89.56	89.90	101.05
3.	कर एवं प्रावधान से पूर्व लाभ	1.90	15.70	13.54
4.	(अ) कर प्रावधान	-	4.12	3.66
	(ब) डूबत एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	9.17	4.50	27.02
5.	निवल लाभ (+)/हानि(-)	(-) 7.27	(+)7.08	(-)17.14
6.	विशेष आरक्षित	1.85	7.00	6.50
7.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	शून्य	शून्य	शून्य
8.	लाभांश (प्रत्याभूत) भुगतान	3.75	4.02	4.30
9.	नियोजित पूंजी पर कुल परिलाभ	50.10	71.76	57.50
10.	नियोजित पूंजी पर परिलाभ की प्रतिशतता	8.78	11.65	8.80

1.6.3 निम्न तालिका में वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षों के दौरान राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा उन के निपटारे की स्थिति दर्शायी है :

क्र.सं	आवेदन पत्रों का विवरण	1994-95**		1995-96**		1996-97**		संचयी	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
					(राशि: रुपये करोड़ों में)				
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित	177	32.19	42	11.59	74	23.75	-	-
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त	2441	249.40	2297	255.93	1888	277.55	85531	3121.69
3.	योग (1+2)	2618	281.59	2339	267.52	1962	301.30	85531	3121.69
4.	स्वीकृत किये	1794	177.55	1770	163.44	1406	167.45	65023	1919.05
5.	अस्वीकृत/वापस लिए गये/ बन्द किये गये	782	88.99	495	64.69	496	103.68	20448	1004.91
6.	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित	42	11.59	74	23.75	60	8.60	60	8.60
7.	ऋण संवितरण	1534	120.72*	1411	131.66*	1266	122.09*	49737	1266.27*
8.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया राशि (नगद आधार पर)	-	574.61	-	628.19	-	662.80	-	-
9.	वसूली हेतु अतिदेय राशि: (अ) मूल	-	92.50	-	95.31	-	97.88	-	-
(ब)	ब्याज -	76.95	-	83.09	-	97.13	-	-	
(स)	योग -	169.45	-	178.40	-	195.01	-	-	
10.	कुल बाकी ऋणों से बकाया की प्रतिशतता	-	29.49	-	28.40	-	29.42	-	-

टिप्पणी: मद संख्या 3 के समक्ष दर्शायी गई राशि तथा मद संख्या 4,5 एवं 6 के समक्ष दर्शायी गई राशियों के योग का अन्तर, प्रार्थित ऋण एवं स्वीकृत ऋण के बीच के अन्तर का द्योतक है।

* इनमें नई तथा पुरानी इकाइयों को संवितरित ऋण सम्मिलित है।
** आंकड़े, राजस्थान वित्त निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये।

31 मार्च 1997 को ऋणियों से ऋण की बकाया राशि (ब्याज सहित) 662.80 करोड़ रुपये में से 195.01 करोड़ रुपये की राशि वसूली के लिये अतिदेय थी।

अतिदेय वसूलियों के बारे में कुछ अन्य बिन्दु नीचे दिये गये हैं:

(i) 31 मार्च 1997 को अतिदेय ऋणों का विश्लेषण निम्न प्रकार था:

विवरण	मूलधन	ब्याज	योग
		(रुपये करोड़ों में)	
एक वर्ष तक	16.55	14.05	30.60
एक वर्ष से अधिक	81.33	83.08	164.41
योग	97.88	97.13	195.01

(ii) निम्नलिखित तालिका वर्ष 1996-97 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में दायर किये गये वादों तथा अन्य मामलों में अतिदेय राशि का विवरण दर्शाती है:

वर्ष	अतिदेय राशि			कुल अतिदेय राशि से वाद दायर मामलों की अतिदेय राशि की प्रतिशतता
	वाद दायर किये गये मामलों में	अन्य मामलों में	योग	
	(रुपये करोड़ों में)			
1994-95	7.95	161.50	169.45	4.7
1995-96	7.41	170.99	178.40	4.2
1996-97	7.61	187.40	195.01	3.9

31 मार्च 1997 को 433 वाद के मामले लम्बित थे जिनमें 7.61 करोड़ रुपये की राशि समाहित थी।

1.7 राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

1.7.1 राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम की 1995-96 तक के तीन वर्षो के अन्त में वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
अ.	देयताएं			
	प्रदत्त-पूंजी	5.18	5.68	6.40
	आरक्षितें तथा अधिशेष	8.22	9.85	13.19
	उधारियां	1.47	1.70	1.80
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएं	1.52	1.47	1.73
	योग-अ	16.39	18.70	23.12
ब.	परिसम्पत्तियां			
	सकल ब्लॉक	19.49	20.94	22.42
	घटाएं: मूल्य ह्रास	6.43	7.11	7.85
	निवल स्थाई सम्पत्तियां	13.06	13.83	14.57
	निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.43	0.48	0.67
	चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	2.90	4.39	7.88
	योग-ब	16.39	18.70	23.12
स.	नियोजित पूंजी*	14.87	17.23	21.39

* नियोजित पूंजी, निवल स्थाई सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूंजी के योग की द्योतक है।

1.7.2 निम्न तालिका राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के **वर्ष** 1995-96 तक के तीन वर्षो के कार्यचालन परिणाम दर्शाती है :

क्र.सं	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये करोड़ों में)	
1.	आय			
	भण्डारण प्रभार	5.06	6.08	7.77
	अन्य आय	0.48	0.60	1.23
	योग- (1)	5.54	6.68	9.00
2.	व्यय			
	स्थापना प्रभार	3.18	3.53	3.89
	ब्याज	0.26	0.22	0.21
	गोदाम किराया	0.19	0.16	0.27
	अन्य व्यय	1.34	1.31	1.47
योग- (2)		4.97	5.22	5.84
3.	लाभ	0.57	1.46	3.16
4.	अन्य विनियोजन, आरक्षितें आदि	0.48	1.30	2.80
5.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.09	0.16	0.36
6.	दिया गया/प्रावधित लाभांश	0.09	0.16	0.36
7.	नियोजित पूंजी पर कुल परिलाभ	0.83	1.68	3.37
8.	नियोजित पूंजी पर परिलाभ की प्रतिशतता	5.58	9.75	15.76

1.7.3 निम्नलिखित तालिका राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम के वर्ष 1996-97 तक के तीन वर्षों में बनाई गई भण्डारण क्षमता, उपयोग में ली गई क्षमता तथा कार्यदक्षता के बारे में अन्य सूचनाएं दर्शाती है:

क्र.सं	विवरण	1994-95*	1995-96*	1996-97* (अनन्तिम)
1.	आवृत स्टेशनों की संख्या	78	78	78
			(लाख टनों में)	
2.	वर्ष के अन्त तक बनाई गई औसत भण्डारण क्षमता			
	(अ) स्वयं की	4.32	4.54	4.74
	(ब) किराये की	0.39	0.60	0.31
	योग (2)	4.71	5.14	5.05
3.	वर्ष के दौरान उपयोग में ली गई औसत भण्डारण क्षमता			
	(अ) स्वयं की	2.86	3.67	3.01
	(ब) किराये की	0.35	0.54	0.51
	योग (3)	3.21	4.21	3.52
4.	उपलब्ध क्षमता का उपयोजन (प्रतिशत)	68	84	68
			(रुपयों में)	
5.	प्रतिवर्ष प्रतिटन औसत राजस्व	208	213	255
6.	प्रतिवर्ष प्रतिटन औसत व्यय	163	139	177
7.	प्रतिवर्ष प्रतिटन लाभ	45	74	78

* आंकड़े राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये।

अध्याय - II

सरकारी कम्पनियों की समीक्षाएँ

2अ. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

2ब. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

(आरएसजीएसएमएल)

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	51
2 अ.1	प्रस्तावना	52
2 अ.2	उद्देश्य	52
2 अ.3	क्रिया-कलाप	52
2 अ.4	संगठनात्मक ढाँचा	52
2 अ.5	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	53
2 अ.6	वित्तीय स्थिति	53
2 अ.7	कार्यचालन परिणाम	55
2 अ.8	चीनी फैक्ट्री	58
2 अ.9	डिस्टिलरी	63
2 अ.10	हाई-टेक ग्लास डिविजन, धौलपुर	69
2 अ.11	अन्य रूचिकर प्रकरण	70
	निष्कर्ष	73

2 अ. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

झलकियाँ

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल) जनवरी 1957 में अस्तित्व में आई व इसने जुलाई 1968 में हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर को पट्टे पर लेकर अपने क्रिया-कलापों का विस्तार किया । आरएसजीएसएमएल के मुख्य क्रिया-कलाप है: गन्ने तथा चुकन्दर की पौध लगाना एवं उपज लेना, चीनी, स्प्रिट एवं मदिरा का निर्माण व विक्रय तथा बोतलों का निर्माण।

(अनुच्छेद 2अ.1, 2अ.2 तथा 2अ.3)

चीनी निर्माण के अपने आधारभूत कार्य में आरएसजीएसएमएल ने गन्ने एवं चुकन्दर की लक्षित मात्रा में अनुपलब्धता, संयंत्र के खराब परिचालन-निष्पादन व चीनी की कम वसूली की वजह से 1996-97 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान 13.31 करोड़ रुपये की हानि उठाई ।

{अनुच्छेद 2अ.7 **(i)**}

आरएसजीएसएमएल ने 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान केवल मदिरा संबंधी क्रिया-कलापों से ही लाभ अर्जित किया था जिसने चीनी तथा बोतलों के निर्माण में हुई लगातार हानियों को समाप्त कर दिया ।

{अनुच्छेद 2अ.7 **(iv)**}

घटिया श्रेणी के शीरा के प्रापण तथा पुराने व टूटे-फूटे संयंत्र की यथा समय पुनर्स्थापन की कार्यवाही के अभाव में परिशोधित स्प्रिट की अल्प वसूली होने से आरएसजीएसएमएल को 9.06 करोड़ रुपये मूल्य की 7.36 मिलियन लन्दन प्रूफ लीटर (एलपीएल) स्प्रिट उत्पादन की हानि उठानी पड़ी ।

(अनुच्छेद 2अ.9.1.1)

कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति का लाभ नहीं उठाने की वजह से आरएसजीएसएमएल को स्प्रिट की खरीद में 0.57 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी ।

(अनुच्छेद 2अ.9.1.2.1 तथा 2अ.9.1.2.3)

यद्यपि हाई-टेक ग्लास डिविजन में उत्पादन जुलाई 1994 से ही बन्द हो गया था फिर भी आरएसजीएसएमएल बिना कार्य स्टॉफ को वेतन एवं भत्तों का भुगतान करती रही तथा मार्च 1997 तक 2.31 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था ।

(अनुच्छेद 2अ.10.1)

2अ.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार द्वारा जनवरी 1957 में पूर्ववर्ती बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के बहुमत वाले अंशो के खरीद लिये जाने के फलस्वरूप राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल) अस्तित्व में आई थी । आरएसजीएसएमएल ने जुलाई 1968 में हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर (एचपीजीएल) को पट्टे पर लेकर अपने क्रिया-कलापों का विस्तार किया ।

2अ.2 उद्देश्य

आरएसजीएसएमएल के प्रमुख उद्देश्य थे :

- चीनी, चुकन्दर, गन्ने, शीरा, सिरप व एल्कोहल तथा उनके समस्त उत्पादों का निर्माण, उत्पादन, परिशोधन, तैयारी, क्रय, विक्रय करना व इनमें सामान्यतया व्यवहार करना ;
- गन्ना, जौ, चुकन्दर रोपना, खेती करना, उत्पादन करना तथा तैयार करना; तथा
- किण्वकों (ब्रुअर्स), डिस्टिलर्स तथा बीयर, तीखी शराब, स्प्रिट के निर्माण, व्यापार तथा लेन-देन करने वाले के रूप में व्यवसाय चलाना।

2अ.3 क्रिया-कलाप

चीनी, स्प्रिट व मदिरा, प्रयोगशाला के कांच के सामानों, बोतलों का निर्माण एवं विक्रय, गन्ने व चुकन्दर की खेती आरएसजीएसएमएल के मुख्य क्रिया-कलाप हैं।

2अ.4 संगठनात्मक ढाँचा

आरएसजीएसएमएल का प्रबन्धन एक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें 31 मार्च 1997 को सात निदेशक थे । मण्डल की सहायतार्थ एक अधिशाषी समिति

है जिसमें प्रभारी-निदेशक, आबकारी आयुक्त तथा उद्योग विभाग के विशिष्ट सचिव शामिल हैं । राजस्थान सरकार के विशिष्ट सचिव (वित्त) अपने कर्त्तव्य के अतिरिक्त प्रभारी-निदेशक का कार्य करते हैं तथा इनकी सहायता हेतु एक वित्तीय सलाहकार, प्रधान कार्यालय तथा चीनी फैक्ट्री, श्रीगंगानगर प्रत्येक में एक महाप्रबन्धक तथा हाई-टेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर में एक अधिशाषी अधिकारी कार्यरत हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा, मण्डौर, श्रीगंगानगर तथा उदयपुर के शाखा कार्यालयों के शीर्षस्थ अधिकारी प्रबन्धक हैं । वर्ष 1992 से 1997 की अवधि के दौरान सात बार प्रभारी-निदेशक बदले तथा इनका सामयिक अन्तराल डेढ़ माह से 32 माह था। बारम्बार पदस्थापन तथा प्रभारी-निदेशक की अशंकालिक नियुक्ति संगठन के सहज संचालन तथा निष्पादन अनुश्रवण के हित में नहीं थी।

2अ.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

आरएसजीएसएमएल के क्रिया-कलापों की गत समीक्षा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1990-91 में की गई थी। राजकीय उपक्रम समिति द्वारा इस समीक्षा पर परीक्षण कर लिया जाना मान लिया गया था । वर्तमान समीक्षा के अन्तर्गत 1992-93 से 1996-97 के दौरान आरएसजीएसएमएल के कार्य-निष्पादन को शामिल किया गया है जो कि आरएसजीएसएमएल के प्रधान कार्यालय, श्रीगंगानगर स्थित चीनी फैक्ट्री तथा जयपुर, कोटा व अजमेर स्थित तीन डिस्टिलरियों के अभिलेखों की अक्टूबर 1996 तथा फरवरी 1997 के मध्य की गई नमूना जांच पर आधारित हैं।

2अ.6 वित्तीय स्थिति

निम्नांकित तालिका में 1996-97 को समाप्त हुये पांच वर्षों के अन्त

तक की आरएसजीएसएमएल की वित्तीय स्थिति संक्षेप में दी गई है :

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये लाखों में)		
देयताएं					
(क) प्रदत्त-पूंजी	355.73	364.73	364.73	364.73	364.73
(ख) संचय एवं अधिशेष	95.87	117.12	112.46	125.59	149.79
(ग) उधारियाँ	668.88	715.22	1667.00	1472.43	619.30
(घ) व्यापारिक देयताएं एवं					
अन्य देनदारियाँ					
(प्रावधानों सहित)	917.47	731.73	1214.61	1269.06	2188.35
योग	2037.95	1928.80	3358.80	3231.81	3322.17
सम्पत्तियाँ					
(क) सकल ब्लॉक	962.23	1139.20	1232.49	1417.54	1553.87
घटाएं : मूल्यह्रास	644.39	709.24	802.06	879.92	957.60
(ख) निवल स्थाई सम्पत्तियाँ	317.84	429.96	430.43	537.62	596.27
(ग)निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	3.62	11.92	57.43	61.98	3.23
(घ) निवेश	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
(च) चल सम्पत्तियाँ, ऋण					
एवं अग्रिम	1715.39	1485.82	2869.84	2631.11	2721.57
योग	2037.95	1928.80	3358.80	3231.81	3322.17
नियोजित पूंजी*	1119.38	1195.98	2143.09	1961.65	1132.72
शुद्ध मूल्य **	451.60	481.85	477.19	490.32	514.52

* नियोजित पूंजी के अन्तर्गत निवल स्थाई सम्पत्तियाँ (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूंजी का योग आता है।

** शुद्ध मूल्य प्रदत्त-पूंजी तथा संचय एवं अधिशेष के योग का द्योतक है।

2अ.7 कार्य-चालन परिणाम

आरएसजीएसएमएल के 1996-97 को समाप्त पांच वर्षो के कार्य-चालन परिणाम नीचे दिये गए हैं:

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
			(रुपये लाखों में)		
आय					
(क) बिक्री	5624.89	7080.95	10081.22	8114.38	7519.27
(ख) अन्य आय	388.42	330.16	302.65	335.12	361.35
(ग) व्यापारिक स्टॉक एवं प्रक्रियाधीन कार्य	487.58	488.95	751.94	1220.19	1151.47
(घ) स्थाई सम्पत्तियों तथा स्टोर मदों की बिक्री पर लाभ	0.49	0.08	1.04	0.79	3.02
योग	6501.38	7900.14	11136.85	9670.48	9035.11
व्यय					
(क) निर्माण व्यय	5017.77	6367.09	9274.11	7572.38	6829.00
(ख) प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय	1388.01	1447.91	1732.88	2001.88	2100.72
(ग) मूल्यह्रास	41.44	64.89	94.50	78.63	84.82
(घ) स्टोर्स/अनुपयोगी स्टोर्स इत्यादि की बिक्री पर हानि	41.59	15.76	7.01	0.95	4.85
(च) कर एवं पूर्वावधि समायोजनों के पूर्व लाभ (+)/हानि (-)	(+)12.57	(+) 4.49	(+)28.35	(+)16.64	(+)15.72
योग	6501.38	7900.14	11136.85	9670.48	9035.11

1996-97 तक के पांच वर्षो के दौरान क्रिया-कलापानुसार अर्जित लाभ/उठाई गई हानि निम्नानुसार थी :

क्रिया-कलाप	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	योग
			(रुपये लाखों में)			
चीनी	(-)175.39	(-)87.49	(-)227.26	(-)253.32	(-)587.44	(-)1330.90
डिस्टिलरी	(+)429.88	(+) 326.70	(+) 576.77	(+) 600.69	(+) 787.05	(+)2721.09
हाई-टेक	(-)74.21	(-)65.39	(-) 121.50	(-) 187.59	(-) 73.79	(-) 522.48
प्रधान कार्यालय	(-) 167.71	(-) 169.33	(-) 199.66	(-) 143.14	(-) 110.10	(-) 789.94
योग	**(+) 12.57**	**(+) 4.49**	**(+) 28.35**	**(+) 16.64**	**(+) 15.72**	**(+) 77.77**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होगा कि :

पूर्वलक्षित मात्रा में गन्ना/चुकन्दर उपलब्ध न होना, संयंत्र की असंतोषजनक कार्यचालन निष्पादकता तथा चीनी की कम वसूली के फलस्वरूप आरएसजीएसएमएल को 13.31 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

(i) आरएसजीएसएमएल ने 1996-97 तक के पांच वर्षो के दौरान चीनी उत्पादन के अपने आधारभूत कार्य से 1330.90 लाख रुपये की हानि उठाई थीं। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि संयन्त्र परिचालन क्षमता का असंतोषजनक निष्पादन एवं चीनी की कम वसूली, बढ़ती जा रही हानि के प्रमुख कारण थे जैसा कि आगामी अनुच्छेद 2अ.8 में चर्चा की गई है।

(ii) डिस्टिलरी में लाभ में वृद्धि की प्रवृत्ति रहने का मुख्य कारण आरएसजीएसएमएल द्वारा वर्ष 1995-96 तक सरकार से ऊंची लाभ सीमा की स्वीकृति प्राप्त कर लेना था (वर्ष 1996-97 के लिए सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित था)। डिस्टिलरी के कार्य-निष्पादन की विस्तृत चर्चा अनुच्छेद 2अ.9.1 में की गई है।

(iii) आरएसजीएसएमएल ने हाई-टेक ग्लास डिविजन (एचजीडी) के कांच के सामान व बोतलों के निर्माण सम्बन्धी क्रिया-कलापों में भी, 1996-97 तक के पांच वर्षो की अवधि में, 522.48 लाख रुपये की हानि उठाई। अर्द्ध-स्वचालित संयंत्र से उत्पादन, लागत में तीव्र वृद्धि तथा यांत्रिकों की अनुपलब्धता के कारण हो रही लगातार हानि के कारण मण्डल ने एचजीडी में उत्पादन बन्द कर देने का निर्णय लिया (अगस्त 1994) । परन्तु, संयंत्र को अन्तिम रूप से बन्द कर देने का सरकार का निर्णय प्रतीक्षित था (सितम्बर 1997)।

(iv) आरएसजीएसएमएल ने केवल मदिरा उत्पादन से ही लाभ अर्जित किये लेकिन इस कार्य से अर्जित हुए लाभों को चीनी के उत्पादन व बोतलों के निर्माण से हो रही सतत् हानियों ने पूर्णत: समाप्त कर दिया। मदिरा के उत्पादन कार्य से लाभार्जन, आरएसजीएसएमएल के वित्तीय निष्पादन का सच्चा सूचक नहीं है क्योंकि राज्य आबकारी विभाग से लाईसेन्स प्राप्त कर देशी मदिरा का उत्पादन करना एक एकाधिकारात्मक क्रिया-कलाप है जिस पर आरएसजीएसएमएल द्वारा लगाई गयी समूची लागत तथा इसके द्वारा याचित लाभांश सहित बल्क लीटर मूल्य के रूप में राज्य सरकार पुनर्भरण कर देती हैं। आरएसजीएसएमएल की 1992-97 के दौरान कुल बिक्री से डिस्टलरी की बिक्री की प्रतिशतता 79.46 प्रतिशत तथा 93.29 प्रतिशत के बीच विचरित हुई थी, इससे इंगित होता है कि अन्य दो क्रिया-कलापों की आय से अधिक लगी लागत को प्रति लीटर मदिरा की लागत में शामिल कर राज्य सरकार से पुनर्भरण करवा लिया गया है।

> आरएसजीएसएमएल ने केवल एक क्रिया-कलाप मदिरा में लाभ कमाया था जिसको चीनी तथा बोतल निर्माण में हो रही निरन्तर हानियों ने समाप्त कर दिया था।

2अ.8 चीनी फैक्ट्री

2अ.8.1 उत्पादन कार्य-निष्पादन

2अ.8.1.1 गन्ने तथा चुकन्दर से चीनी की वसूली

निम्नांकित तालिका में गन्ने तथा चुकन्दर से 1996-97 को समाप्त गत पांच वर्षों में हुई चीनी की वसूली दी गई है :

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
गन्ना					
1. मौसम के दिवस	43	37	57	120	91
2. 10,000 टन प्रतिदिन की **संस्थापित** क्षमता के अनुसार की जाने **वाली** गन्ने की पिराई (क्विन्टलों **में)**	430000	370000	570000	1200000	910000
3. गन्ने की पिराई **(क्विन्टलों में)**	338945	315721	528829	1037007	863596
4. उत्पादित चीनी **(क्विन्टलों** में)	33900	28131	50345	92068	74109
5. आरएसजीएसएमएल के मूल्यांकनानुसार गन्ने में चीनी के अंश की प्रतिशतता	12.49	11.39	11.97	11.44	11.10
6. वास्तविक चीनी वसूली (क्विन्टलों में)	9.99	8.90	9.51	8.87	8.57
7. चीनी की हानि (प्रतिशत में)	2.50	2.49	2.46	2.57	2.53
चुकन्दर					
1. मौसम के दिन	42	32	19	37	26
2. 6,000 क्विंटल प्रतिदिन की संस्थापित क्षमता के अनुसार की जाने वाली चुकन्दर की पिराई (क्विन्टलों में)	252000	192000	114000	222000	156000
3. चुंकन्दर की पिराई (क्विन्टलों में)	239296	169910	98366	157169	136927
4. उत्पादित चीनी (क्विन्टलों में)	20901	14180	8399	11543	9045
5 आरएसजीएसएमएल के मूल्यांकनानुसार चुकन्दर में चीनी के अंश की प्रतिशतता	12.05	11.37	11.57	11.24	10.53
6. चीनी की वसूली (प्रतिशत में)	8.71	8.33	8.50	7.30	6.59
7. चीनी की हानि (प्रतिशत में)	3.34	3.04	3.07	3.94	3.94

गन्ने में पिराई की हानि 1992-93 से 1996-97 तक के वर्षों के दौरान 2.46 प्रतिशत से 2.57 प्रतिशत तक विचरित हुई। आरएसजीएसएमएल ने गन्ने तथा चुकन्दर से चीनी की वसूली के मानदण्ड निर्धारित नहीं किये थे। तथापि, चीनी

जाँच आयोग ने कार्बोनेशन फैक्ट्रियों में चीनी की हानि के सम्बन्ध में 2.3 प्रतिशत से 2.5 **प्रतिशत के** मानदण्ड निर्धारित किये थे (1974) । 2.5 प्रतिशत के मानदण्ड के आधार पर **चीनी** उत्पादन की हानि 984.98 क्विन्टल (1995-96 : 725.90 क्विन्टल तथा 1996-97 : 259.08 क्विन्टल) आती है जिसका मूल्य इन दो वर्षों के औसत विक्रय-मूल्य के अनुसार 10.56 लाख रुपये होता है । गन्ने में चीनी की कम मात्रा के परिणामस्वरूप गन्ने के रस में शीरे से परिशोधित स्प्रिट का उत्पादन भी कम बैठा, जैसा कि आगे चर्चा की गई है।

राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (एनएसआई) के विशेषज्ञों, जिनको आरएसजीएसएमएल ने 1995-96 में नियुक्त किया था, ने बताया (अक्टूबर 1996) कि गन्ने से चीनी की कम वसूली के कारण, गन्ने की किस्में बदलने, अधिक समय लगने तथा सूखे गन्ने की पिराई करने, उलट-पुलट व अपक्षय से प्रक्रियान्तर्गत चीनी की उल्लेखनीय हानि तथा कई दिनों तक गन्ने को दरवाजे पर व बाह्य केन्द्रों में रोके रखना, आदि थे।

आरएसजीएसएमएल के **मूल्यांकन** के आधार पर विसरित चुकन्दर में चीनी का अंश 1996-97 तक **के** पाँच **वर्षों के** दौरान 3.04 प्रतिशत से 3.94 प्रतिशत के बीच विचरित **हुआ।** 1996-97 तक के दो वर्षों में चीनी के उत्पादन की हानि 11,587.38 **क्विन्टल** (1995-96 : 6,192.46 क्विन्टल तथा 1996-97 : 5,394.92 क्विन्टल) थी जिसका, इन दो वर्षों के चीनी के भावों के औसत के आधार पर, मूल्य 124.23 **लाख** रुपये था।

"एनएसआई" कानपुर के विशेषज्ञों ने बताया (अक्टूबर 1996) कि चुकन्दर से चीनी की कम वसूली इसके बीजों की अनियोजित बुआई, फसल के वक्त चुकन्दर का पुराना होना तथा इसके बीजों का राजस्थान में चीनी संचय के लिए अनुपयुक्त प्रकार का होने के कारण थी ।

"एनएसआई" द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर प्रबन्धन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (सितम्बर 1997)।

आरएसजीएसएमएल का तर्क था (दिसम्बर 1996) कि गन्ने/चुकन्दर में विद्यमान चीनी के अंश तथा प्रक्रियाओं की हानियों के अनुरूप चीनी की वसूली एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में विचरित होती रहती है । फिर गन्ने में चीनी की विद्यमानता क्षेत्र में बोये गए गन्ने की किस्म, कृषि-वायुमण्डलीय स्थितियों, वर्षा तथा फसल के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चीनी जाँच आयोग उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखकर ही मानदण्डों का निर्धारण करता है।

2अ.8.1.2 परिचालन दक्षता

निम्नलिखित तालिका में 1996-97 तक समाप्त हुए पाँच मौसमों के दौरान उपलब्ध कार्य घण्टों, बेकार गये घण्टों तथा उनकी प्रतिशतता दर्शायी गई है:

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
अ. गन्ना					
(क) उपलब्ध घण्टे	1014.30	859.00	1352.00	2865.00	2165.30
(ख) पिराई के वास्तविक घण्टे	853.50	740.00	1252.30	2449.05	1925.15
(ग) बेकार गए घण्टे	160.40	119.00	99.30	415.55	240.15
(घ) बेकार गए घण्टों की उपलब्ध घण्टों से प्रतिशतता	15.84	13.85	7.36	14.52	11.09
(च) बेकार गए घण्टे :					
(i) गन्ने के अभाव के कारण	82.55 (51.61)	59.30 (50.00)	2.00 (2.01)	41.30 (9.98)	- (-)
(ii) यान्त्रिक कारण	33.40 (20.96)	23.45 (19.96)	15.35 (15.66)	85.35 (20.57)	117.05 (48.74)
(iii) विविध कारण (सामान्य सफाई, श्रमिक हड़ताल, इत्यादि)	44.05 (27.43)	35.45 (30.04)	81.55 (82.33)	288.50 (69.45)	123.10 (51.26)
ब. चुकन्दर					
(क) उपलब्ध घण्टे	1003.00	727.15	452.00	870.00	609.00
(ख) चुकन्दर विसरण के वास्तविक घण्टे	923.20	697.05	421.45	729.55	573.55
(ग) बेकार गए घण्टे	79.40	30.10	30.15	140.05	35.05
(घ) बेकार गए घण्टों की उपलब्ध घण्टों से प्रतिशतता	7.94	4.15	6.69	16.10	5.76
(च) बेकार गए घण्टे :					
(i) चुकन्दर के अभाव के कारण	6.30 (8.16)	15.20 (50.81)	16.00 (52.89)	7.30 (5.35)	- (-)
(ii) यान्त्रिक कारण	54.00 (67.79)	12.55 (42.84)	10.25 (34.45)	29.15 (20.88)	20.10 (57.47)
(iii) विविध कारण (सामान्य सफाई, श्रमिक हड़ताल, इत्यादि)	19.10 (24.05)	1.55 (6.35)	3.50 (12.66)	103.20 (73.77)	14.55 (42.53)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े बेकार गए घण्टों के सन्दर्भ में प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

चीनी जाँच आयोग के प्रतिवेदन (1974) के अनुसार उपलब्ध घण्टों से बेकार गए कुल घण्टों का मानदण्ड गन्ने की पिराई के मामले में 8.5 प्रतिशत हैं। वर्ष 1994-95 के अलावा, अन्य चार वर्षों में, बेकार गए घण्टों की प्रतिशतता अधिक थी जो कि 11.09 प्रतिशत तथा 15.84 प्रतिशत के बीच विचरित हुई।

यदि 8.5 प्रतिशत मानदण्ड से भी तुलना करें तो 1992-93 से 1995-96 के दौरान गन्ने की कमी के कारण घण्टों की अधिक हानि के फलस्वरूप 64.63 लाख रुपये मूल्य की 7,202 क्विन्टल चीनी के उत्पादन की हानि हुई थी।

गन्ने एवं चुकन्दर के उपलब्ध नहीं होने की वजह से मानक की तुलना में अधिक घण्टों की हानि के फलस्वरूप आरएसजीएसएमएल को 0.76 करोड़ रुपये की 8246.12 क्विंन्टल चीनी उत्पादन की हानि हुई।

चुकन्दर विसरण के मामले में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं थे। तथापि, गन्ने के लिए निर्धारित 8.5 प्रतिशत के मानदण्ड से तुलना करें तो 1995-96 के दौरान घण्टों की अधिक हुई हानि 66 घण्टे आती है जो 11.12 लाख रुपये मूल्य की 1044.12 क्विन्टल चीनी के बराबर परिणामी थी।

सरकार ने बताया (मई/जुलाई 1997) कि 1995-96 मौसम के दौरान ट्रक उपलब्ध नहीं होने तथा बाह्य तत्वों द्वारा मिल स्क्रेपर तथा बॉयलर के यांत्रिक स्ट्रोकर खराब कर दिये जाने की समस्या आई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए गन्ने/चुकन्दर के वाहन मालिकों को बाह्य सामग्री को गन्ने के भण्डार क्षेत्र से दूर रखने के लिए शिक्षित किया जा रहा हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि उक्त समस्याओं का आरएसजीएसएमएल को भलीभाँति ज्ञान था व इन्हें समय रहते कार्यवाही करके टाला जा सकता था।

2अ.8.2 चीनी का विक्रय

चीनी एक नियन्त्रित सामग्री होने से इसकी बिक्री चीनी (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के अन्तर्गत संचालित होती थी। भारत सरकार द्वारा मुक्त तथा लेवी चीनी का अनुपात 1985-86 में 55:45 का निर्धारित किया गया था जिसे 23 फरवरी 1993 के आदेश द्वारा संशोधित कर 60:40 कर दिया गया। मुक्त बिक्री के अन्तर्गत चीनी आरएसजीएसएमएल द्वारा बनायी गयी नीलामी समिति द्वारा खुले नीलाम व मोलभाव के माध्यम से लाईसेन्सधारी थोक डीलरों को बेची गई थी। 1996-97 तक के पाँच वर्षों के दौरान कुल लागत (एक्साईज डयूटी को छोड़कर) तथा लेवी व मुक्त चीनी के

विक्रय से हुई औसत वसूलियाँ निम्नानुसार थीं :

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
विक्रय की कुल मात्रा (क्विन्टलों में)	95997	58226	42409	54145	100858
प्रति क्विन्टल लागत (रुपये में)	1018.44	1044.47	1530.56	1397.04	1741.07
प्रति क्विन्टल औसत वसूली (रुपये में)					
(क) मुक्त बिक्री	834.23	1082.15	1206.55	1208.21	1211.88
(ख) लेवी बिक्री	704.03	770.68	891.03	906.23	916.60
भारित औसत प्रति क्विन्टल विक्रय वसूली (रुपये में)	781.95	946.62	1073.38	1065.33	1090.12
प्रति क्विन्टल हानि (रुपये में)	236.49	97.85	457.18	331.71	650.95
कुल हानि (रुपये लाखों में)	227.02	56.97	193.89	179.60	656.54
पाँच वर्षो के दौरान कुल हानि (रुपये लाखों में)				1314.02	

औसत विक्रय प्राप्तियों की तुलना में उच्चतर उत्पादन लागत के परिणामस्वरूप 13.14 करोड़ रुपये की हानि हुई।

उपरोक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि केवल 1993-94 को छोड़कर, जबकि औसत विक्रय वसूली कुछ अधिक रही थी, 1996-97 तक के सभी पाँच वर्षो में विक्रय वसूली प्रति किंवटल उत्पादन लागत से कम रही थी। प्रति किंवटल विक्रय वसूली के आधार पर आरएसजीएसएमएल द्वारा इन पाँच वर्षो में 1314.02 लाख रुपये की हानि उठाई गयी।

आरएसजीएसएमएल ने इस हानि के कारण वेतन/मजदूरी तथा कच्चे माल की लागत में वृद्धि तथा गन्ने व चुकन्दर का कम प्रापण होना बताये (दिसम्बर 1996)।

सरकार ने बताया (मई 1997) कि खराबी के कारण बन्द होने में कमी तथा प्रक्रिया की हानियों को घटाना केवल तभी सम्भव था जबकि पिराई क्षमता 1,000 मी.टन से बढ़ाकर 1,500 मी.टन हो जाती। परन्तु गन्ने की कम उपलब्धता के कारण क्षमता को बढ़ाना सम्भव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गन्ने की आवक बनाये रखकर, खराबी के कारण बन्द होने के समय में कमी करके व प्रक्रिया की हानियों को घटाकर तथा संयन्त्रों का उपयुक्त आधुनिकीकरण करके हानियों को न्यूनतम किया जा सकता है।

2अ.9 डिस्टिलरी

आरएसजीएसएमएल की श्रीगंगानगर तथा अटरू में दो डिस्टिलरियाँ थीं। अटरू डिस्टिलरी सितम्बर 1988 में बन्द हो गई थी। जिन तत्वों की वजह से डिस्टिलरी को बन्द करना पड़ा उनकी विस्तृत चर्चा 31 मार्च 1994 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 4अ.1 में की जा चुकी है।

2अ.9.1 श्रीगंगानगर डिस्टिलरी

2अ.9.1.1 शोधित स्प्रिट की कम वसूली

शोधित स्प्रिट को अपचायित कर मदिरा उत्पादित की जाती है। 1996-97 तक के पाँच वर्षो के दौरान आरएसजीएसएमएल ने शोधित स्प्रिट की अपनी 80.74 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति सीधे क्रय द्वारा तथा शेष 19.26 प्रतिशत की पूर्ति शीरे से शोधित स्प्रिट उत्पादित करके की थी। उक्त पाँच वर्षो की अवधि में काम में लिये गये शीरे की 87.80 प्रतिशत मात्रा क्रय करके तथा शेष 12.20 प्रतिशत अपने स्वयं के उत्पादन से पूर्ति की गई थी। इस प्रकार, मदिरा उत्पादन हेतु काम में ली गई सामग्री का केवल 2.35 प्रतिशत ही आरएसजीएसएमएल द्वारा उत्पादित किया गया था।

शोधित स्प्रिट की किस्म तथा मात्रा, शीरे में अन्तर्निहित किंण्वित चीनी के अंशों पर निर्भर करती हैं। हालांकि खाण्डसारी शीरे में चीनी का अंश सामान्यतया मिल के शीरे से अधिक होता है लेकिन 'बी' तथा 'सी' श्रेणी के शीरे में 'ए' श्रेणी के शीरे की तुलना में चीनी का अंश कम होता है।

आरएसजीएसएमएल ने शीरे से शोधित स्प्रिट प्राप्ति हेतु मानदण्ड निर्धारित नहीं किये थे। निम्नांकित तालिका में 1996-97 तक के पाँच वर्षों के दौरान सम्भावित उत्पादन तथा उत्पादन में कमी के समक्ष वास्तव में हुए शोधित स्प्रिट के उत्पादन को दर्शाया गया है :

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1. प्रक्रिया में उपभोग किया गया शीरा (क्विन्टल में)	197281	244395	279409	244061	249921
2. शीरा में चीनी के अंश की प्रतिशतता	43.94	40.37	41.96	40.70	42.70
3. चीनी के वास्तविक अंश के अनुसार सम्भावित उत्पादन (एलपीएल)*	9151866 (46.39)	10433223 (42.69)	12380613 (44.31)	10489742 (42.98)	9983469 (39.95)
4. वास्तविक उत्पादन (एलपीएल)	7776476 (39.42)	9197916 (37.63)	10695488 (38.28)	8892573 (36.44)	8511825 (34.06)
5. कमी (एलपीएल) (3-4)	1375390	1235307	1685125	1597169	1471644
6. प्रतिशतता में कमी	6.97	5.06	6.03	6.54	5.89
7. मूल्य					
(क) दर रुपये में (प्रति एलपीएल)	9.00	11.48	18.21	12.94	8.70
(ख) राशि (लाख रुपये में)	122.79	141.81	306.86	206.67	128.03
(ग) कुल हानि (लाख रुपये में)					906.16

इस प्रकार, 1996-97 तक के पाँच वर्षों की अवधि में शोधित स्प्रिट की कम वसूली के परिणामस्वरूप 906.16 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

> शोधित स्प्रिट की कम वसूली, निम्न कोटि के शीरे की खरीद तथा टूटे-फूटे संयंत्र के अपुनर्स्थापन के कारण 9.06 करोड़ रुपये मूल्य की 7.36 मिलियन एल पी एल स्प्रिट के उत्पादन की हानि हुई।

* लन्दन प्रूफ लीटर : बल्क लीटर में शोधित स्प्रिट खरीदने की इकाई है जिसका मान 1.65 लन्दन प्रूफ लीटर है।

आरएसजीएसएमएल ने बताया (दिसम्बर 1996) कि संयन्त्र पुराना था (1966 में स्थापित) तथा संयन्त्र व किण्वन टेंकों के टूटी-फूटी अवस्था में होने के फलस्वरूप घोल में भारी रिसाव हुआ जिससे कमजोर किण्वन दक्षता रही तथा शोधित स्प्रिट के उत्पादन में भारी हानि हुई। इस हानि को टालने के लिए तथा स्थापित क्षमता में वृद्धि के लिए भी, 1993-94 में 17,250 बल्क लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक नया संयंत्र चालू किया गया था।

तथापि, उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि पुराने व टूटे-फूटे संयंत्र के पुनर्स्थापन हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि 1994-96 के दौरान, अर्थात, नये संयन्त्र की स्थापना व किण्वन टेंकों का निर्माण करवा लेने के पश्चात भी शोधित स्प्रिट के उत्पादन में कमी की प्रतिशतता अधिक थी और इसके विपरीत यह 1993-94 के 5.06 प्रतिशत से बढ़कर 1994-95 में 6.03 तथा फिर 1995-96 में 6.54 प्रतिशत हो गई थी। शोधित स्प्रिट की कम वसूली, अन्य के अलावा 1996-97 को समाप्त हुये पांच वर्षो के दौरान, 'बी' श्रेणी (2,84,399 क्विंटल) तथा 'सी' श्रेणी (3,21,845 क्विंटल) शीरे के प्रापण के कारण थी।

2अ.9.1.2 शोधित स्प्रिट का प्रापण

शोधित स्प्रिट के प्रापण हेतु आरएसजीएसएमएल त्रैमासिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बोलियाँ आमन्त्रित करता है तथा मोलभाव के पश्चात् आपूर्ति हेतु आदेश दिये जाते है। शोधित स्प्रिट के क्रय पर अतिरिक्त हुए व्यय 57.07 लाख रुपये के मामलो में चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

2अ.9.1.2.1 यह ध्यान में आया कि नवम्बर 1994 से राजस्थान तथा इसके पड़ौसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में शोधित स्प्रिट के बाजार भावों

में गिरावट का रुख था जैसा कि निम्नांकित तालिका से स्पष्ट होता है:

माह	दर (रुपये प्रति बल्क लीटर में)
नवम्बर-दिसम्बर 1994	रु.26.00
जनवरी-मार्च 1995	रु. 21.75 से रु. 22.00
मई-जून 1995	रु. 17.80 से रु. 17.90
जुलाई-सितम्बर 1995	रु. 14.30 से रु. 14.49
अक्टूबर-दिसम्बर 1995	रु. 12.51 से रु. 12.64
जनवरी-फरवरी 1996	रु. 11.09
मार्च-जून 1996	रु. 7.15

ऊपर वर्णित गिरावट के रुख को दृष्टिगत रखते हुए आरएसजीएसएमएल ने क्रय आदेश में सामर्थ्यता उपबन्ध के बावजूद आपूर्ति से शेष रही मात्राओं को रद्द करने का कदम नहीं उठाया, हालांकि इसे अगले सम्बद्ध महिनों/त्रैमास के लिए घटी हुई दरों की जानकारी थी। बाद में, अक्टूबर से दिसम्बर 1995 तथा जनवरी से मार्च 1996 की तिमाहियों (मन्दी की प्रवृत्ति जारी रहने वाले माह से करीब एक वर्ष की अवधि को छोड़ दें तो भी) के लिए शोधित स्प्रिट की खरीद पर आरएसजीएसएमएल को 37.82 लाख रुपये का टालनीय अतिरिक्त व्यय करना पड़ा जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया हैं :

अगली तिमाही के लिए निविदा को अन्तिम रूप देने की तारीख	प्रति बल्क लीटर तय की गई दर रुपये में	पिछली तिमाही की प्रति बल्क लीटर दर रुपये में	अतिरिक्त भुगतान की गई प्रति बल्क लीटर दर रुपये में	निविदा को अंतिम रूप देने के बाद प्राप्त हुई आपूर्ति (लाख बल्क लीटर)	कुल अतिरिक्त व्यय (रुपये लाखों में)
20 सितम्बर 1995	12.64	14.30	1.66	11.00	18.26
15 दिसम्बर 1995	11.09	12.64	1.55	12.62	19.56
		कुल हानि			37.82

> आरएसजीएसएमएल ने निम्न दरों का लाभ लेने के लिए अनापूरित मात्रा की निविदायें रद्द नहीं की जिसके फलस्वरूप 0.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

आरएसजीएसएमएल ने जनवरी 1997 में स्वीकार किया कि बाजार की प्रवृत्ति के अभिलेखन/निगरानी रखने की कोई प्रणाली नहीं थी व तर्क

दिया कि शोधित स्प्रिट के प्रापण हेतु निविदाएँ आमन्त्रित करने की प्रक्रिया में करीब डेढ़ माह का समय लगता और अन्तिम रूप दी जा चुकी निविदाओं की दरें घटाने से मदिरा आपूर्ति समझौते में रुकावट उत्पन्न हो सकती थी।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मदिरा आपूर्ति समझौते में रुकावट एक सम्भावना मात्र थी व आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में शोधित स्प्रिट अन्य बाजार स्रोतों से प्रचलित बाजार दर पर प्राप्त की जा सकती थी। इस संदर्भ में यह बताना भी प्रांसगिक है कि दरों में गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए मार्च 1996 की आपूर्ति हेतु दिसम्बर 1995 में दिये गए आपूर्ति आदेश की शेष मात्रा 30.84 लाख बल्क लीटर को आरएसजीएसएमएल ने फरवरी 1996 मे रद्द कर दिया था।

2अ.9.1.2.2 आरएसजीएसएमएल ने यू.पी. कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ को 22 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से 15 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट की आपूर्ति मार्च-अप्रैल 1995 के महिनों में आपूर्ति हेतु आदेश दिया। इस अनुसूचित समयावधि मे फेडरेशन 8.38 लाख बल्क लीटर की आपूर्ति कर सकी। इसी दौरान, मई-जून 1995 में 17.90 रुपये प्रति बल्क लीटर से 8 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट की आपूर्ति हेतु फेडरेशन को एक नया आदेश 25 अप्रैल 1995 को दिया गया।

फेडरेशन के अनुरोध पर आरएसजीएसएमएल ने मई 1995 में आपूरित 2.94 लाख बल्क लीटर मात्रा को 25 अप्रैल 1995 के आपूर्ति आदेश जिसमें 17.90 रुपये प्रति बल्क लीटर की निम्नतर दर थी, के विरुद्ध मानने के बजाय पहले आदेश के विरुद्ध मान लिया व इस तथ्य को ध्यान में नहं रखा कि अनुसूचित आपूर्ति अवधि समाप्त हो चुकी है व भाव गिर गए हैं। इसके फलस्वरूप 12.05 लाख रुपये का टालनीय व्यय हो गया।

सरकार ने, अन्य के अलावा, यह भी बताया (मई/जुलाई 1997) कि आदेश रद्द करके नयी (निम्नतर) दरों पर आपूर्तियों की दशायें एवं शर्तें लगाना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि इससे आपूर्तिकर्त्ताओं के दिमागों में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जायेगी।

> आपूर्ति समय समाप्त होने के पश्चात भी आदेश रद्द नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप शोधित स्प्रिट की खरीद ऊंची दरों पर करने के कारण 0.12 करोड़ रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अन्य अवसरों पर भी आरएसजीएसएमएल ने निम्नतर दरों का लाभ उठाने के लिए शेष रही आपूर्तियों के आदेश रद्द किये हैं तथा आपूर्तिकर्ता की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया।

2अ.9.1.2.3 6 मार्च 1995 को खोली गई 46 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट के क्रय हेतु आमन्त्रित निविदाओं के प्रत्युत्तरस्वरूप 11 फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए। मोल-भाव करने के पश्चात् 35 लाख बल्क लीटर की आपूर्ति 17.90 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से करने हेतु पांच फर्मो को आपूर्ति आदेश दिये गए (20 अप्रेल 1995)।

18 अप्रेल 1995 को आरएसजीएसएमएल को चण्डीगढ़ डिस्टिलरी से 10 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट की आपूर्ति पूर्व में दी गई 17.90 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर के बजाय 17 रुपये प्रति बल्क लीटर की घटी हुई/संशोधित दर पर करने के सम्बन्ध में एक फेक्स संदेश प्राप्त हुआ था। तथापि, इस प्रस्ताव को इस आधार पर अनदेखा कर दिया गया कि मोल-भाव के समय फर्म को भाव कम करने हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान कर दिया गया था। बाद में, जब यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन से 19 अप्रैल 1995 को तथा निजाम शुगर लिमिटेड से 24 अप्रैल 1995 को 17.90 रुपये की मोल-भाव की हुई दर पर आपूर्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई तो उनको क्रमशः 8 लाख तथा 12 लाख बल्क लीटर के लिए आपूर्ति आदेश दिए गए। कुछ फर्मों द्वारा आपूर्ति नहीं किये जाने पर आरएसजीएसएमएल ने तथापि, जून 1995 में चण्डीगढ़ डिस्टिलरी से 17 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से 2 लाख बल्क लीटर की आपूर्ति प्राप्त की।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यू.पी. को-ऑपरेटिव फेडरेशन तथा निजाम शुगर लिमिटेड को आदेश देने से काफी पहले ही, चण्डीगढ़ डिस्टीलरी निम्नतर दरों पर शोधित स्प्रिट की आपूर्ति करने को सहमत हो गयी थी, यह आरएसजीएसएमएल के वित्तीय हित में रहता यदि वह प्रस्तावित 10 लाख बल्क लीटर के लिए आदेश उनको देता। चण्डीगढ़ डिस्टिलरी को आदेश नहीं देने के कारण आरएसजीएसएमएल ने 7.20 लाख रुपये की बचत करने का मौका गंवा दिया।

सरकार ने बताया (मई/जुलाई 1997) कि मामले को सदा के लिए मोल-भाव हेतु खुला रखना सम्भव नहीं था क्योंकि इससे निविदाओं के निपटाने की प्रक्रिया/कार्य-प्रणाली अन्तहीन हो जाती।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 17.90 रुपये प्रति बल्क लीटर के मोल-भाव के बाद निर्धारित दर केवल 35 लाख बल्क लीटर शोधित स्प्रिट के लिये मान्य थी

जबकि आवश्यकता 46 लाख बल्क लीटर की थी। इस प्रकार, आरएसजीएसएमएल निविदा की शुद्धता को खंडित किये बिना ही निम्नतर दरों का लाभ उठाने को स्वतन्त्र थी।

2अ.10 हाई-टेक ग्लास डिविजन, धौलपुर

आरएसजीएसएमएल ने जुलाई 1968 में पट्टा प्रभारों का भुगतान करके हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड को पट्टे पर लिया था। लगातार हानि के फलस्वरूप बोर्ड ने ग्लास डिविजन में उत्पादन बन्द करने का निश्चय किया (अगस्त 1994)।

2अ.10.1 उत्पादन में कमी

निम्नांकित तालिका में 1994-95 तक के चार वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता, मानक उत्पादन, वास्तविक उत्पादन तथा उत्पादन में कमी (उत्पादन जून 1994 से बन्द कर दिया गया था) का संक्षिप्त विवरण दिया गया है :

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (जून 1994 तक)
1. स्थापित दैनिक क्षमता (टनों में)	12	12	12	12
2. वास्तविक उत्पादन/कार्यशील दिवस	357	357	357	70
3. वास्तविक मानक उत्पादन (टनों में) (अ x ब)	4284	4284	4284	840
4. वास्तविक उत्पादन (टनों में)	2802.3	2604.5	2497.7	428.0
5. (अ) उत्पादन में कमी (टनों में)	1481.7	1679.5	1786.3	412.0
(ब) मानक उत्पादन के संदर्भ में कमी की प्रतिशतता	34.59	39.20	41.70	49.05

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मानक उत्पादन की तुलना में उत्पादन में कमी की प्रतिशतता वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ी जिससे लगातार हानियां होती गई जो कि मुख्यतया अर्द्ध-स्वचालित संयन्त्र से उत्पादन की ऊंची लागत, बिजली, वेतन व मजदूरी की लागतों में तीव्र वृद्धि तथा यांत्रिक कुशलता वाले व्यक्तियों की अनुपलब्धता इत्यादि के कारण हुई थी। जून 1994 से उत्पादन बन्द हो गया था तथा निदेशक मण्डल ने प्रभारी-निदेशक को मामला सरकार को संदर्भित करने तथा स्वैच्छिक सेवा-निवृति योजना के अन्तर्गत सेवा-निवृति के इच्छुक कार्मिकों को क्षतिपूर्ति प्रस्तावित करने के अधिकार प्रदान कर दिये थे। मामला सरकार को अगस्त 1994 में सन्दर्भित किया था।

1995-96 तथा 1996-97 (मार्च 1997) के दौरान योजना के अन्तर्गत 151 कार्मिकों ने सेवा-निवृत्ति ली जिन्हें कुल 90.77 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाये गये। तथापि, 31 मार्च 1997 को 89 कार्मिक कम्पनी की उपस्थिति पंजिका में थे । इन कार्य-विहीन कार्मिकों को कार्य किये बिना ही वेतन एवं मजदूरी के रूप में जुलाई 1994 से मार्च 1997 तक की अवधि में 231.15 लाख रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ा। यह कार्यहीन स्टॉफ जब तक सेवा-निवृत नहीं हो जाता अथवा कहीं अन्यत्र नहीं लगा दिया जाता, फैक्ट्री को यह टालनीय भुगतान करते रहना होगा।

> यद्यपि हाई-टेक ग्लास डिविजन में उत्पादन जुलाई 1994 से ही बन्द हो गया था फिर भी आरएसजीएसएमएल कार्यविहीन स्टॉफ को वेतन एवं भत्तों का भुगतान करती रही तथा 2.31 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था।

सरकार ने बताया (मई 1997) कि संयन्त्र का नवीनीकरण करके या उत्पादों का बदलाव करके फैक्ट्री को फिर से चालू करने का मामला विचाराधीन था। सरकार का निर्णय प्रतीक्षित था (सितम्बर 1997)।

तथापि, तथ्य यही है कि सरकार द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब के परिणामस्वरूप आरएसजीएसएमएल पर संचयी दायित्वों का भार पड़ गया है।

2अ.11 अन्य रूचिकर प्रकरण

> आरएसजीएमएल को शीरे पर अधिक भुगतान, धन-प्रेषण व लाइसेंस नवीनीकरण पर टालनीय भुगतान तथा बिजली प्रभार पर अतिरिक्त व्यय के कारण 0.24 करोड़ रुपये की हानि हुई।

2अ.11.1 गलत तोल से शीरे के लिए अधिक भुगतान

आरएसजीएसएमएल खरीदे गए शीरे का भुगतान अपनी फैक्ट्री के कांटे पर अंकित वजन के आधार पर एफ.ओ.आर. चीनी फैक्ट्री, श्रीगंगानगर के हिसाब से कर रहा था। यह देखा गया कि कई मामलों में आपूर्तिकर्ता के चालानों में अंकित वजन

कम होने पर भी आरएसजीएसएमएल अपनी फैक्ट्री के दरवाजे के कांटे पर अंकित तोल के आधार पर भुगतान करता रहा। इसके परिणामस्वरूप अप्रेल 1991 से दिसम्बर 1995 की अवधि में 2.80 लाख रुपये का टालनीय अधिक भुगतान हो गया। आरएसजीएसएमएल ने विलम्ब से, दिसम्बर 1995 में यह निर्णय लिया कि आपूर्तिकर्ता के चालान के तोल तथा फैक्ट्री के दरवाजे पर कांटे के तोल में से जो भी कम होगा, उसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

2अ.11.2 धन-प्रेषण प्रभारों का टालनीय भुगतान

प्रत्येक निविदा/क्रय-आदेश के साथ संलग्न की जाने वाली निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 16 के अनुसार शोधित स्प्रिट क्रय के लिए किये गए भुगतानों के धन-प्रेषण प्रभार, जब तक आरएसजीएसएमएल अन्यथा सहमत न हो, आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।

1995-96 के अभिलेखों की नमूना जांच में सामने आया कि आरएसजीएसएमएल ने भुगतान करते समय धन-प्रेषण/ड्राफ्ट प्रभारों के 6.72 लाख रुपये व्यय किये, जिसे आपूर्तिकर्ताओं से वसूला जाना था। लेखापरीक्षा में पाया कि आरएसजीएसएमएल ने न तो इन प्रभारों का दावा किया और न ही आपूर्तिकर्ताओं के विचाराधीन बिलों से वसूली की।

आरएसजीएसएमएल ने बताया (जनवरी 1997) कि शोधित स्प्रिट के विनियन्त्रण के पश्चात् (जून 1993) बाजार "क्रेता का बाजार" हो गया था तथा इसने डिमाण्ड ड्राफ्ट खरीद के प्रभार आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के भुगतानों में से काटने प्रारम्भ कर दिये थे (जून 1996)।

तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शोधित स्प्रिट का विनियन्त्रण 10 जून 1993 से प्रभावी हुआ जबकि लेखापरीक्षा द्वारा बतायी गई राशियाँ विनियन्त्रण के पश्चात् अर्थात, वर्ष 1995-96, की अवधि से सम्बन्धित थी।

2अ.11.3 लाईसेन्स के नवीनीकरण पर टालनीय व्यय

आरएसजीएसएमएल अपने जोधपुर, अजमेर व श्रीगंगानगर स्थित संयन्त्रों से 'केशर कस्तूरी' (के.के.) ब्राण्ड की मदिरा का उत्पादन एक एक्साईज लाईसेन्स, जिसका हर वर्ष नवीनीकरण होना था, के अन्तर्गत करता था। तथापि, 'के.के.' ब्राण्ड का उत्पादन 22 नवम्बर 1992 से अजमेर में तथा 6 फरवरी 1992 से जोधपुर में बन्द कर दिया गया था तथापि, 'के.के.' ब्राण्ड का उत्पादन केवल श्रीगंगानगर में ही केन्द्रीकृत करने का अगस्त 1993 में निर्णय ले लिया गया।

यह देखने में आया कि जोधपुर में 6 फरवरी 1992 से 'के.के.' का उत्पादन बन्द हो जाने के बाद भी लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु क्रमशः 1992-93 से 1995-96 के वर्षों के दौरान एक लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से कुल 4 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार, अजमेर के संयन्त्र के लिए भी एक लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक कुल 3 लाख रुपये का टालनीय भुगतान कर दिया गया।

सरकार ने बताया (मई 1997) कि अजमेर में 'के.के.' का उत्पादन वापस शुरू करना अभी विचाराधीन है।

इस तथ्य की दृष्टि से यह उत्तर सही नहीं है कि अजमेर के संयन्त्र पर मदिरा के उत्पादन का लाईसेन्स आरएसजीएसएमएल ने फरवरी 1996 में समर्पित कर दिया था तथा इसे अप्रेल 1996 में सरकार ने रद्द भी कर दिया था। इस प्रकार, निर्णय लेने में विलम्ब के फलस्वरूप लाईसेंस फीस के रूप में 7 लाख रुपये का टालनीय भुगतान करना पड़ा।

2अ.11.4 विद्युत प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय

श्रीगंगानगर चीनी फैक्ट्री ने अपनी विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक एच.टी. कनेक्शन ले रखा है। इस विद्युत कनेक्शन से कॉलोनी में रहने वाले कार्मिकों को भी विद्युत की आपूर्ति की जाती है। आरएसजीएसएमएल द्वारा फैक्ट्री में उपभोगित विद्युत का भुगतान टेरिफ़ की अनुसूची एच.टी.-1 के अन्तर्गत किया जाता है तथा अपनी कॉलोनी को आपूरित विद्युत का इस उद्देश्य से स्थापित उप-मीटरों में अंकित उपभोग का भुगतान टेरिफ की अनुसूची एल.टी.-7 के अन्तर्गत किया जाता है।

विद्युत आपूर्ति की टेरिफ़ के अनुसार विद्युत के घरेलू उपयोग के लिये टेरिफ़ की अनुसूची एल.टी.-1 के अन्तर्गत घरेलू सेवा का अलग विद्युत-सम्बन्ध लिया जा सकता था। अनुसूची एल.टी.-1 के अन्तर्गत दरें एल.टी.-7 की अपेक्षा कम थी। आवासीय कॉलोनी के लिये टेरिफ़ एल.टी.-1 के अन्तर्गत पृथक विद्युत सम्बन्ध नहीं लेने के कारण आरएसजीएसएमएल को अप्रेल 1994 से अक्टूबर 1996 की अवधि के लिये 7.84 लाख रुपये का टालनीय भुगतान करना पड़ा।

सरकार ने बताया (मई 1997) कि मामले के सम्बन्ध में रा.रा.वि.म. के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा था।

निष्कर्ष :

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड का समामेलन जनवरी 1957 में चीनी, स्प्रिट और मदिरा के निर्माण एवं विक्रय के मुख्य उद्देश्यों से हुआ था। कम्पनी ने जुलाई 1968 में बोतलों का निर्माण करने के लिए अपने क्रिया-कलापों का विस्तार किया। यह समीक्षा बताती है कि:

- चीनी के अपने आधारभूत क्रिया-कलाप में कम्पनी, गन्ने तथा चुकन्दर की लक्षित मात्रा में अनुपलब्धता, संयन्त्र के कमजोर क्रियात्मक-निष्पादन तथा चीनी की कम वसूली के कारण, लगातार हानि उठाती आ रही है।

- मदिरा ही एक मात्र लाभदायक क्रिया-कलाप है जिसने अन्य क्रिया-कलापों से हो रही लगातार हानियों की पूर्ति की है। निम्न-कोटि के शीरे की खरीद के कारण शोधित स्प्रिट का उत्पादन कम हुआ।

- हाई--टेक ग्लास डिविजन ने हांलाकि जून 1994 में उत्पादन बन्द कर दिया था, फिर भी इसको अन्तिम रूप से बन्द करने के लिए सरकार का अनुमोदन अभी बकाया था। इस प्रकार, कार्यहीन मजदूरी/संस्थापन लागत के भुगतान का भार पड़ रहा था।

चीनी के उत्पादन में सुधार हेतु कम्पनी को विभिन्न कदम उठाने की जरूरत है; यथा - निश्चित समयावधि के लिए एक पूर्णकालिक प्रभारी-निदेशक का पदस्थापन करने हेतु प्रंबध के पुराने तंत्र को बदलना, गन्ने की सुगम आवक बनाये रखना, खराबी के कारण बंद होने के समय तथा प्रक्रिया की हानियों को कम करना तथा संयन्त्र का उपयुक्त आधुनिकीकरण करना। कार्यहीन भुगतान टालने के लिए सरकार/कम्पनी द्वारा हाई-टेक ग्लास डिविजन को बंद करने/पुनर्जीवित करने हेतु त्वरित निर्णय लेने की भी आवश्यकता है।

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

(आरएसएमडीसी)

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	77
2ब.1	प्रस्तावना	79
2ब.2	उद्देश्य	79
2ब.3	क्रिया-कलाप	79
2ब.4	संगठनात्मक ढाँचा	80
2ब.5	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	80
2ब.6	वित्तीय स्थिति	81
2ब.7	कार्यचालन परिणाम	82
2ब.8	खनन क्रिया-कलाप	83
2ब.9	संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र में अनार्थिक निवेश	101
2ब.10	विविध देनदार	103
2ब.11	अन्य रूचिकर प्रकरण	104
	निष्कर्ष	107

2ब. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

झलकियाँ

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (आरएसएमडीसी) का समामेलन सितम्बर 1979 में खनिज संसाधनों की अवाप्ति तथा विदोहन व खनिज आधारित उद्योग। को परामर्श सेवाएँ भी प्रदान करने और खनिजों व धातुओं के आयातक तथा निर्यातक का व्यवसाय करने के उद्देश्य से हुआ था। तथापि, अपने समामेलन के 18 वर्ष उपरान्त भी आरएसएमडीसी खानों के विकासार्थ परामर्श सेवाएँ प्रदान करने, खनिज आधारित उद्योग लगाने तथा आयातक एवं निर्यातक का व्यवसाय करने से सम्बन्धित क्रिया-कलाप चालू नहीं कर सका था ।

(अनुच्छेद 2ब.1, 2ब.2 एवं 2ब.3)

आरएसएमडीसी सभी खनिजों (जिप्सम, चूना-पत्थर, रॉक फॉस्फेट तथा लिग्नाइट को छोड़कर) के खनन में हानियाँ उठा रहा था व इसकी संचित हानियाँ 31 मार्च 1996 को 3.74 करोड़ रुपये की थी ।

(अनुच्छेद 2ब.6 तथा 2ब.8)

आरएसएमडीसी द्वारा एक ठेकेदार को अधिक भुगतान कर देने की वजह से अक्टूबर 1991 से अगस्त 1995 के दौरान विभिन्न अवधियों के लिए कोष अवरुद्ध रहने से 0.23 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि उठानी पड़ी ।

{अनुच्छेद 2ब.8.2.3(i)}

समझौते के प्रावधानों के विरुद्ध चूना-पत्थर की वैगनों में भराई के परिणामस्वरूप रेलवे को चुकाये गये भाड़ा प्रभारों की राशि 0.28 करोड़ रुपये को 'सेल' से वसूल नहीं किया जा सका ।

(अनुच्छेद 2ब.8.2.5)

एक ठेकेदार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में दोष के कारण आरएसएमडीसी को वृद्धि प्रभारों के भुगतान के रूप में 0.34 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी ।

(अनुच्छेद 2ब.8.3.1)

बिना किसी बिक्री करार तथा बाद में इसकी बीमा सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किये रॉक फॉस्फेट का आयात करने के कारण आरएसएमडीसी को 0.27 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(अनुच्छेद 2ब.8.3.2)

संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्र की कम्पनियों (एएससी) में निवेश समझौतों के पुनर्खरीद प्रावधानों पर ध्यान नहीं देने के कारण आरएसएमडीसी को 1.47 करोड़ रुपये की हानि हुई।

{अनुच्छेद 2ब.9 (i) से (iii)}

क्रेताओं से बिक्री कर की रियायती दर प्राप्त करने तथा समय पर बिक्री कर विवरणी भरने में विफल रहने पर आरएसएमडीसी को बिक्री कर (मय ब्याज) के 0.59 करोड़ रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़े।

{अनुच्छेद 2ब.11 (i)}

बिना उपयुक्त मूल्यांकन किये एक परियोजना ले लेने व एएससीज् के खिलाफ समय पर कानूनी कार्यवाही करने में विफल रहने से आरएसएमडीसी 0.70 करोड़ रुपये की राशि वसूल करने में असफल रहा।

{अनुच्छेद 2ब.11 (ii)}

2ब.1 प्रस्तावना

राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (आरएसएमडीसी) का समामेलन सितम्बर 1979 में राज्य के खनिज संसाधनों के प्रापण एवं विदोहन के उद्देश्य से हुआ था। अपने समामेलन पर आरएसएमडीसी ने पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लिमिटेड (अब राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) (रीको) से खनिज अधिकार तथा सम्पतियाँ भी प्राप्त की थीं।

2ब.2 उद्देश्य

आरएसएमडीसी के मुख्य उद्देश्य हैं :

- प्रापण, क्रय, पट्टे पर ग्रहण करना, राजस्थान सरकार के एजेन्ट के रूप में अथवा अन्यथा किन्हीं खानों, खनन अधिकारों तथा रियायतों को प्राप्त करना व उनमें व्यवहार करना ;
- खनिज-युक्त भूमि की खोज, कार्य, अभ्यास एवं विकास करना व सभी प्रकार के धातु एवं अधातु खनिजों का चूर्ण बनाना, प्राप्त करना, बनाना, पिघलाना, परिशोधित करना, संवारना, मिश्रित करना तथा विपणन हेतु तैयार करना ;
- खनिज आधारित उद्योगों का विकास, प्रोत्साहन व सस्थापन ;
- खानों के विकास और खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु परामर्श-सेवाएँ प्रदान करना ;
- खनिजों व धातुओं के निर्यातक, आयातक एवं व्यापारी का कार्य करना।

2ब.3 क्रिया-कलाप

31 मार्च 1997 को आरएसएमडीसी 55 खनिज पट्टों/कार्य इजाजतों की सहायता से विभिन्न खनिजों का खनन कर रहा था तथा 8 खानों के मामलों में यह राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में खनन कार्य कर रहा था।

63 खानों में से 4 खानों (2 अभिकरण खानों सहित) को भावी खनन क्रिया-कलापों के लिए आरक्षित रखा गया था व 11 खानों को अनार्थिक पाकर बन्द कर दिया गया। आरएसएमडीसी ने आरक्षित रखी गई 4 खानों के सम्बन्ध में मार्च 1997 तक सरकार को 7.21 लाख रुपये मृत-किराया के चुकाये। इसके अतिरिक्त, आरएसएमडीसी ने बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर तथा जालोर में ग्रेफाइट, बेन्टोनाइट, फ्लोर्सपार के परिशोधन के तथा ग्रेनाइट की पट्टिया बनाने के चार संयन्त्र भी स्थापित किये हैं।

2ब.4 संगठनात्मक ढांचा

आरएसएमडीसी का प्रबन्धन एक अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के शीर्षत्व वाले निदेशक मण्डल में निहित है। 31 मार्च 1997 को मण्डल में सरकार द्वारा नियुक्त सात निदेशक थे। अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी है जिसके दिन-प्रतिदिन के प्रबन्धन में सहायतार्थ एक कार्यकारी निदेशक, मुख्य खनन अभियन्ता, वित्तीय सलाहकार तथा परियोजना प्रबन्धकगण हैं।

2ब.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

पिछली बार आरएसएमडीसी के क्रिया-कलापों की समीक्षा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987-88 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में की गई थी। इस समीक्षा को सितम्बर 1995 में राजकीय उपक्रम समिति द्वारा चर्चा किया हुआ मान लिया गया था व इसकी सिफारिशें प्रतीक्षित थीं (सितम्बर 1997)। प्रस्तुत समीक्षा में आरएसएमडीसी के 31 मार्च 1997 को समाप्त हुए छः वर्षों के क्रिया-कलापों को सम्मिलित किया गया है। नवम्बर 1996 से अप्रेल 1997 के दौरान की गई अभिलेखों की नमूना जांच के परिणामों पर अगले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2ब.6 वित्तीय स्थिति

निम्नांकित तालिका में 1995-96 तक के पांच वर्षो में प्रत्येक के अंत में (वर्ष 1996-97 के लेखे प्रतीक्षित थे) आरएसएमडीसी की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में दिया गया है :

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
				(रुपये लाखों में)	
अ. देयताएं					
(क)प्रदत्त पूंजी (शेयर आवेदन राशि सहित)	1073.00	1273.00	1453.00	1633.00	1633.00
(ख)संचय एवं अधिशेष	208.86	229.66	107.69	11.07	11.07
(ग)उधारियाँ (नकद उधारी सहित)	594.79	648.47	954.21	1005.99	983.41
(घ)चालू देयताएं तथा प्रावधान	1674.43	2273.42	1597.94	1658.77	1728.06
योग - अ	3551.08	4424.55	4112.84	4308.83	4355.54
ब. सम्पत्तियाँ					
(क)सकल ब्लॉक	579.81	655.75	777.65	861.45	996.51
(ख)घटायें: मूल्य-ह्रास	151.36	170.42	197.34	228.34	265.96
(ग)शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	428.45	485.33	580.31	633.11	730.55
(घ)निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	31.91	18.25	29.42	79.98	34.02
(च)मार्गस्थ सम्पत्तियाँ	16.84	11.11	18.64	24.29	17.00
(छ)निवेश	246.43	231.42	231.64	231.80	97.34
(ज)चल सम्पतियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
(झ)अमूर्त सम्पतियाँ:	2825.93	3677.01	3234.59	2967.81	2836.23
(i) विविध व्यय (स्वैच्छिक सेवा-निवृति योजना के भुगतान सहित)	1.52	1.43	18.24	158.99	266.35
(ii) संचित हानियां	-	-	-	212.85	374.05
योग - ब	3551.08	4424.55	4112.84	4308.83	4355.54
स. नियोजित पूंजी*	1611.86	1907.17	2246.39	2022.13	1872.74
द. शुद्ध मूल्य **	1280.34	1501.23	1542.43	1272.23	1003.67

* नियोजित पूंजी शुद्ध स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूंजी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

** निवल मूल्य प्रदत्त-पूंजी एवं आरक्षित के योग में से अमूर्त सम्पत्तियां घटाने से प्राप्त हुई राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

2ब.7 कार्य-चालन परिणाम

आरएसएमडीसी के 1995-96 तक के गत पांच वर्षों के कार्य-चालन परिणाम नीचे दिए गये है :

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
			(रुपये लाखों में)		
I. आय					
(i) पारिश्रमिक सहित खनिजों की बिक्री	2913.05	3801.21	3011.84	3894.51	4555.15
(ii) अन्य आय	55.44	46.63	60.78	94.93	71.06
(iii) अन्तिम स्टॉक की वृद्धि(+)/ कमी(-)	(+)128.70	(-)83.12	(+)2.48	(-)335.69	(-)93.77
योग - I	3097.19	3764.72	3075.10	3653.75	4532.44
II. व्यय					
(i) खनिज की खरीद	0.51	2.14	1.30	221.71	50.34
(ii) परिचालनात्मक, प्रशासनिक एवं विक्रय व्यय	2687.52	3390.83	2951.62	3457.29	4120.33
(iii)सरकारी लेवी तथा लाभ का हिस्सा*	159.55	257.95	197.64	216.78	304.54
(iv) मूल्य-ह्रास	19.02	25.29	31.22	34.98	38.41
(v) अपलेखित विविध व्यय	32.97	0.13	0.13	18.00	65.16
(vi) निवेश के मूल्य में गिरावट	-	-	-	-	134.79
योग - II	2899.57	3676.34	3181.91	3948.76	4713.57
III. वर्ष के दौरान लाभ(+)/हानि(-)	(+)197.62	(+)88.38	(-)106.81	(-)295.01	(-)181.13
(IV) पूर्वावधि समायोजनों व कर के पश्चात् विभाजन हेतु उपलब्ध लाभ	144.71	18.54	(-)121.97	(-)309.47	(-)161.20

* यह राज्य सरकार को जिप्सम के विक्रय पर देय विकास प्रभारों एवं राज्य सरकार/रीको को बांसवाड़ा/कोटपूतली की खानों से चूना पत्थर विक्रय पर देय लाभ के भाग का प्रतिनिधित्व करता है।

आरएसएमडीसी, जो कि 1992-93 तक लाभ अर्जित कर रहा था, 1993-94 से हानि उठाने लगा। जैसा कि प्रबन्धन द्वारा अक्टूबर 1994 तथा सितम्बर 1996 के बीच बताया गया था, हानियों के प्रमुख कारण इस्पात श्रेणी के आयातित चूना-पत्थर की बाजार में उपलब्धता, इस्पात एवं सीमेन्ट उद्योगों की सामान्य मन्दी की वजह से चूना-पत्थर व जिप्सम की मांग कम हो जाना और उपलब्ध घटिया श्रेणी के रॉक फॉस्फेट की कम मांग होना तथा आयातित उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के साथ घटिया श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के मिश्रण का बन्द हो जाना थे।

> आरएसएमडीसी 1993-94 से ही सस्ती दर पर इस्पात श्रेणी के आयातित चूना-पत्थर तथा ग्रेफाइट एवं बेन्टोनाइट संयंत्रों के अपर्याप्त कार्यचालन के कारण घाटा उठा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि निम्नलिखित तत्वों का भी हानियों में योगदान रहा था :

- पुराने हो चुके ग्रेफाइट व बेन्टोनाइट संयन्त्रों का अकुशल कार्य-चालन तथा नये ग्रेफाइट परिशोधन संयन्त्र को चालू करने में हुआ विलम्ब (अनुच्छेद 2ब.8.4.2, 2ब.8.4.4 तथा 2ब.8.5.1),
- ग्रेफाइट की उंची उत्पादन लागत पड़ना (अनुच्छेद 2ब.8.4.3), तथा
- अनेक धातु वाली खान को बन्द करने के पश्चात् भी उसके कार्यालय के रख-रखाव तथा बिना काम बैठे स्टॉफ के वेतन एवं भत्तों पर व्यय जारी रहना (अनुच्छेद 2ब.8.7) ।

2ब.8 खनन क्रिया-कलाप

31 मार्च 1997 को आरएसएमडीसी 48 खानों (6 अभिकरण खानों को शामिल एवं 4 आरक्षित खानों तथा 11 बन्द कर दी गई खानों को पृथक करते हुए) में खनन कार्य कर रहा था। इन खानों में जिप्सम, चूना-पत्थर, रॉक फॉस्फेट, ग्रेफाइट, बेन्टोंनाइट, फ्लोर्सपार, ग्रेनाइट, विविध धातु, लिग्नाइट, स्लेट तथा सिलिसियस मिट्टी की खानें शामिल है ।

1995-96 तक के गत पांच वर्षो के खनिजानुसार लाभ(+)/हानि(-)

(प्रधान कार्यालय के उपरिव्ययों को छोड़ते हुए) निम्नानुसार थे:

खनिज	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	खानो की संख्या	31 मार्च 1996 को कार्मिकों की संख्या	वर्ष 1995-96 में उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)
			(रुपये लाखों में)					
जिप्सम	(+)251.87	(+)353.75	(+)210.51	(+)328.07	(+)432.66	23*	187	1531.64
चूना-पत्थर	(+)396.99	(+)252.58	(+)288.21	(+)86.11	(+)264.73	9	421	2309.60
रॉक फॉस्फेट	(+)86.40	(+)177.17	(+)31.95	(+)24.24	(-)14.59	5	167	168.10
ग्रेफाइट	(-)26.95	(-)16.57	(-)25.48	(-)33.05	(-)33.88	1	128	16.81
बेन्टोनाइट	(-)7.73	(-)7.45	(-)5.60	(-)9.27	(-)8.29	2	25	37.08
फ्लोर्सपार	(-)111.50	(-)115.73	(-)155.27	(-)124.42	(-)132.46	4	268	48.45
ग्रेनाइट	(-)23.85	(-)26.29	(-)26.02	(-)34.11	(-)33.74	1	55	10.91
(viii) विविध धातु	(-)8.25	(-)90.04	(-)36.36	(-)28.96	(-)20.15	-	18	-
(ix) लिग्नाइट (1995-96 से प्रारम्भ)	-	-	-	-	(+)24.29	1	-	-

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि आरएसएमडीसी 1991-92 से लगातार सभी खनिजों (जिप्सम, चूना-पत्थर, रॉक फॉस्फेट तथा लिग्नाइट को छोड़कर) के खनन से हानि उठा रहा था। रॉक फॉस्फेट के खनन परिचालन से भी वर्ष 1995-96 के दौरान 14.59 लाख रुपये की हानि हुई थी।

महत्वपूर्ण खनिजों में से कुछेक के परिचालन निष्पादन की निम्नानुसार चर्चा की गई है:

2ब.8.1 जिप्सम

जिप्सम का उपयोग मुख्यतया सीमेन्ट बनाने तथा भूमि के सुधार में किया जाता है। आरएसएमडीसी में जून 1970 से जिप्सम का खनन कार्य चल रहा है। 31 मार्च 1997 को यह 24** खानों (चार** अभिकरण खानों सहित) का परिचालन कर रहा था।

* निजी पार्टियों को दी गई दो खानों को छोड़कर

** भविष्य में खनन के लिए आरक्षित रखी हुई एक खान सहित

1995-96 तक के गत पांच वर्षो के दौरान जिप्सम का उत्पादन 605.9 हजार मीट्रिक टन तथा 947.9 हजार मीट्रिक टन के बीच विचरित हुआ था।

जिप्सम की बिक्री में ध्यान में आयी बड़ी अनियमितताओं पर अगले अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2ब.8.1.1 बिना क्रय-आदेश के जिप्सम की बिक्री

8 नवम्बर 1993 को आरएसएमडीसी की अनूपगढ़ इकाई ने गलती से 1825.7 मीट्रिक टन वाली एक रैक जिप्सम भारतीय सीमेन्ट निगम (सीसीआई), मन्धार को भिजवा दी, जो कि सीसीआई द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि उन्होंने आरएसएमडीसी को कोई आदेश नहीं दिया था व उनके स्थल पर इस जिप्सम की उतराई हेतु जगह भी नहीं थी।

> सीसीआई से बिना विशिष्ट आदेश प्राप्त किये जिप्सम प्रेषित कर देने के परिणामस्वरूप 0.13 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

आग्रह करने पर एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी (एसीसी), जामुल, जो कि उसी क्षेत्र में स्थित है, ने 19 नवम्बर 1993 को उक्त रैक को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि भाड़े के अन्तर, पुनः बुकिंग प्रभार तथा डेमरेज प्रभारों को आरएसएमडीसी ही वहन करेगा । 28 नवम्बर 1993 को मन्धार पर खड़े जिप्सम के रैक को एसीसी, जामुल के लिए रवाना किया गया व आरएसएमडीसी को 12.58 लाख रुपये खर्च करने पड़े जिसको कि ग्राहक से वसूल नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, ग्राहक से बिना विशिष्ट आदेश के जिप्सम प्रेषित कर देने से आरएसएमडीसी को 12.58 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

यद्यपि रेलवे 5 लाख रुपये का डेमरेज माफ करने को सहमत हो गया था (जून 1995) लेकिन उनको तकाजा करने के बाद भी माफ राशि अभी तक वापस नहीं लौटायी गई थी (सितम्बर 1997)।

2ब.8.1.2 जिप्सम का अभाव

आरएसएमडीसी की अनूपगढ़ इकाई द्वारा नवम्बर/दिसम्बर 1995 के दौरान एसीसी, जामुल, किमोर तथा भूपेन्द्रा को प्रेषित जिप्सम के तीन रैकों में गन्तव्य-स्थल पर उतराई के समय 1463 मीट्रिक टन की कुल असामान्य कमियाँ पायी गईं। यह मानते हुए कि कमियों का कारण उद्‌गम स्थल पर कम भराई किया जाना था, एसीसी

ने कम प्राप्त हुए जिप्सम के 12.31 लाख रुपये (भाड़े सहित) का भुगतान नहीं किया।

तथापि, क्रय-आदेश की शर्तों के अनुसार, यदि सामग्री का प्रेषण एफ ओ आर भराई बिन्दु किया जाता हो तो मार्ग में होने वाली हानि के लिए आरएसएमडीसी जिम्मेदार नहीं था।

> क्रय-आदेश के प्रावधानों को लागू नहीं करवाने के कारण आरएसएमडीसी को 0.12 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

क्रय-आदेश के उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए आरएसएमडीसी को कमियों का भुगतान नहीं करने का एसीसी का निर्णय स्वीकार नहीं करना चाहिये था। इसके अतिरिक्त, आरएसएमडीसी ने न तो उक्त कमियों के कारणों का पता लगाया और न ही वैगनों की भराई करने वाले अपने ठेकेदार से राशि वसूल ही की।

इस प्रकार, क्रय-आदेश के प्रावधानों को लागू नहीं करवाने के कारण आरएसएमडीसी को 12.31 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

2ब.8.1.3 अवॉर्ड की राशि वसूलने में देरी

गोटमांगलोद खानों से नागौर के रेलवे प्लाटो को जिप्सम के यातायात, चढ़ाई व उतराई का कार्य दो वर्षों की अवधि के लिये एक ठेकेदार को अक्टूबर 1989 में दिया गया। कार्य की निर्धारित मात्रा 20,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। विफलता की स्थिति में आरएसएमडीसी ठेकेदार को आवन्टित मात्रा तक कार्य को जारी रखने/कार्य के पुनर्स्थापन की वैकल्पिक व्यवस्था करने पर लगी लागत की समूचे अन्तर की राशि वसूल करने हेतु अधिकृत था।

नवम्बर 1989 तथा फरवरी 1990 के बीच ठेकेदार ने 1680 मीट्रिक टन ढुलाई का कार्य किया जिसमें से 905 मीट्रिक टन वैगनों पर चढ़ाया गया व तत्पश्चात् कार्य रोक दिया गया। आरएसएमडीसी ने 5.10 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करके ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर शेष कार्य को अन्य अभिकरणों से करवाया (अगस्त 1994) तथा ठेकेदार को 4.93 लाख रुपये (0.17 लाख रुपये जमा के समायोजन के पश्चात्) जमा कराने का नोटिस दिया। ठेकेदार के विफल रहने पर आरएसएमडीसी ने मामले का निर्णय करने हेतु एक बिचौलिया नियुक्त किया (अक्टूबर 1994) जिसने जनवरी 1995 में आरएसएमडीसी के पक्ष में अपना निर्णय दिया कि वह ब्याज व मध्यस्थता प्रक्रिया की लागत सहित 5.23 लाख रुपये की राशि वसूल कर ले। तथापि, न तो ठेकेदार से उक्त राशि की वसूली की और

न ही लेखापरीक्षा को यह ज्ञात करने हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध करवाये कि क्या कोई अग्रिम कार्यवाही की गई/वसूली के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव था।

2ब.8.2 चूना-पत्थर

31 मार्च 1997 को आरएसएमडीसी के पास इस्पात/रासायनिक श्रेणी के चूना-पत्थर की खुदाई हेतु 9 खानें (6 पट्टे पर व 3 अभिकरण के रूप में) थी।

2ब.8.2.1 उत्पादन एवं विक्रय निष्पादन

निम्नांकित तालिका में 1995-96 तक के पांच वर्षो के लिये चूना-पत्थर के उत्पादन, बिक्री तथा अन्तिम स्टॉक की स्थिति दी गई है:

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
		(हजार टनों में)			
लक्षित उत्पादन	1400	1741	1789	1222	1360
वास्तविक उत्पादन	1169	1284	1076	1049	1498
कमी	231	457	713	173	-
कमी की प्रतिशतता	16.5	26.2	39.9	14.2	-
बिक्री	1142	1298	1023	1071	1435
अन्तिम स्टॉक	101	82	88	64	112

आरएसएमडीसी 1995-96 को छोड़कर किसी भी वर्ष में अपने उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। 1994-95 तथा 1995-96 के लिये उत्पादन के लक्ष्य 1991-92 से 1993-94 के वर्षो की तुलना में उल्लेखनीय रूप से घटा दिये गए थे लेकिन 1994-95 के घटे हुये लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किये जा सके। लक्ष्यों का प्राप्त नहीं होना/लक्ष्यों का घटाव मुख्यतया इस्पात श्रेणी के आयातित चूना-पत्थर का 1992-93 से लेकर बाजार में सस्ती दरों पर उपलब्धता के कारण था जिससे कि कम्पनी के चूना-पत्थर की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ा। चूंकि उत्पादन कम हुआ था इसलिये कम्पनी ने 383.99 लाख रुपये के निवल योगदान का अवसर खो दिया।

2ब.8.2.2 ठेकेदारों को अधिक भुगतान

जुलाई 1992 से जुलाई 1995 तक की अवधि में कोटपूतली की खानों में चूना-पत्थर की खुदाई व इसकी ट्रक पर चढ़ाई का कार्य जून 1992 में ग्यारह ठेकेदारों को दिया गया था तथा बाद में 1 अगस्त 1995 से यह एक नये ठेकेदार को दे दिया गया था (सितम्बर 1995)। ठेकेदारों के साथ निष्पादित अनुबन्धों की शर्तो के अनुसार, जून 1992 तथा सितम्बर 1995 में, ठेकेदारों को क्रमशः कम से

कम 90 प्रतिशत तथा 88 प्रतिशत कुल कार्बोनेट तत्व (टीसी) वाला चूना-पत्थर उत्पादित करना था तथा आरएसएमडीसी को टीसी की प्रतिशतता न्यूनतम प्रतिशतता से कम होने के कारण क्रेताओं के नकार देने से होने वाली किसी हानि के पुनर्भरण हेतु ठेकेदारगण उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि आरएसएमडीसी द्वारा 1993-94 से 1995-96 के दौरान सीसीआई, चरखी-दादरी को आपूर्त किया गया चूना पत्थर 88 प्रतिशत से कम टीसी तत्व वाला था। तदनुसार, सीसीआई ने आरएसएमडीसी के बिलों में से 1.24 लाख रुपये की राशि काट ली थी। इस राशि को सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (सितम्बर 1997)।

इसके अलावा जून 1992 के अनुबन्ध के अनुसार चूना-पत्थर की खुदाई के लिए जुलाई 1992 से जून 1994 की अवधि हेतु 16.40 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर गन्तव्य तक इसकी ढुलाई सहित तय की गई थी लेकिन आरएसएमडीसी ने ठेकेदारों के अनुरोध पर इसे 27 अक्टूबर 1993 को 16.40 रुपये से बढ़ाकर 18.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दी व नवम्बर 1993 तथा जून 1994 के बीच 1,44,369 मीट्रिक टन के उत्पादन व ढुलाई पर 3.03 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया।

इस प्रकार, अनुबन्ध के प्रावधानों को लागू नहीं करके आरएसएमडीसी ने चूना-पत्थर के उत्पादन व ढुलाई पर 4.27 लाख रुपये की हानि उठाई।

2ब.8.2.3 ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ

गोटन तथा जोगीमगरा में चूना-पत्थर पर से अधिभार (overburden) को उठाने, इसे निकालने, मेटल तोड़ने, यातायात व लदाई करने का कार्य सितम्बर 1984 में आरएसएमडीसी द्वारा अपनी ही एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी राजेश मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरएमआईएल) को दिया गया। गोटन व जोगीमगरा के कार्य की संयुक्त दर 1 अक्टूबर 1991 से प्रभावी थी व 93.59 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा 99.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई। इन दोनों ही स्थानों पर कार्य 28 अक्टूबर 1994 को पूर्ण हो गया था।

उक्त अनुबन्ध के निष्पादन में निम्नांकित कमियाँ दृष्टिगोचर हुईं :

(i) समझौते के अनुसार, आरएमआईएल को बिल प्रस्तुत करने पर मासिक भुगतान पाने अथवा वास्तव में निष्पादित कार्य के माप के आधार पर अग्रिम राशि प्राप्त करने का अधिकार था। तथापि, आरएसएमडीसी ने अक्टूबर 1991 से दिसम्बर 1992 के दौरान आरएमआईएल को वास्तविक निष्पादित कार्य को मापे बिना अनेक बार अग्रिम

राशि का भुगतान कर दिया था। जिसके फलस्वरूप 8.53 लाख रुपये तथा 64.42 लाख रुपये के बीच विचरित सीमा तक अधिक भुगतान हो गया क्योंकि वास्तव में निष्पादित कार्य अग्रिम चुकाये गए कार्य की मात्रा से कहीं कम था। तथापि, इन अधिक भुगतानों को इसी ठेकेदार द्वारा जैसलमेर की खानों में किये गए कार्य के बिलों में से दिसम्बर 1994 से अगस्त 1995 के दौरान समायोजित किया जा सकता था ।

इस प्रकार, वास्तव में निष्पादित कार्य के माप के बिना ही आरएमआईएल को किए गए अधिक अग्रिमों के भुगतानों के कारण आरएसएमडीसी को अक्टूबर 1991 तथा अगस्त 1995 के बीच विभिन्न अवधियों के लिए अवरोधित 8.53 लाख रुपये तथा 64.42 लाख रुपये के बीच विचरित राशियों पर 22.71 लाख रुपये की ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

आरएमआईएल को अग्रिम के 0.64 करोड़ रुपये की सीमा तक अधिक भुगतान कर देने के कारण आरएसएमडीसी को 0.23 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

(ii) आरएसएमडीसी द्वारा जनवरी 1993 में दरों को कार्य योग्य न पाकर उत्पादन समूहों के अनुसार कार्य की संयुक्त दर में वृद्धि कर इसे प्रतिमाह 25,000 मीट्रिक टन, और अधिक के उत्पादन के लिए 135 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित कर दिया गया (जनवरी 1993)। यदि किसी माह में उत्पादन 25,000 मीट्रिक टन से कम रहे तो प्रत्येक 5000 मीट्रिक टन की कमी के लिए 5 प्रतिशत की दर से इसे घटा दिया जाना था। तथापि, यदि वास्तविक उत्पादन 15,000 मीट्रिक टन से नीचे रह जाये तो सितम्बर 1991 में सहमत दर से भुगतान किया जाना था। उक्त संशोधित दरें जनवरी 1993 से जुलाई 1993 की अवधि के लिए थी । ठेकेदार द्वारा उत्पादित मात्रा हमेशा ही 15,000 मीट्रिक टन से कम रही थी जिसके लिए गोटन व जोगीमगरा के लिए क्रमशः 93.59 रुपये व 99.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दरों से भुगतान किया जाना था न कि 121.50 रुपये प्रति मीट्रिक टन (135 रुपये में से 10 प्रतिशत घटाकर) की आरएसएमडीसी द्वारा वास्तव में चुकाई गई दर से । ऐसा करने के कारण नहीं बताये गये थे।

ठेकेदार को ऊंची दर से भुगतान करने के कारण 0.14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

इस प्रकार, ठेकेदार को वास्तव में समझौते के अनुसार देय दरों से अधिक की दरों पर भुगतान करने में आरएसएमडीसी का 13.81 लाख रुपये का अधिक व्यय हो गया था ।

2ब.8.2.4 विशिष्टियों के अनुरूप माल की आपूर्ति नहीं होने से हानि

आरएसएमडीसी को इस्पात श्रेणी के चूना-पत्थर की आपूर्ति हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के विभिन्न संयन्त्रों से 1987 से तथा टाटा आईरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) से अगस्त 1991 से क्रय-आदेश प्राप्त होते रहे थे। क्रय आदेशों की शर्तो के अनुसार, 40 मी.मी. से 80 मी.मी. साईज के चूना-पत्थर, एक निश्चित छूट सीमा के साथ, की आपूर्ति जैसलमेर से की जानी थी। उक्त विशिष्टियों से मेल नहीं खाने पर सामग्री अस्वीकृति हेतु दायी थी तथा अस्वीकृत मात्रा के लिए आरएसएमडीसी को एक रुपया प्रति टन की एक नाममात्र की राशि का भुगतान होना था ।

बिना विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री प्रेषणार्थ स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप 0.19 करोड़ रुपये की हानि हुई।

उपर्युक्त संविदात्मक दायित्वों के निर्वाहार्थ आरएसएमडीसी ने निजी ठेकेदारों को चूना-पत्थर के ढेलों/पिण्डों को तोड़ने व गिट्टी में बदलने के ठेके दिये। अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों को 40 मी.मी. से 80 मी.मी. आकार की गिट्टी का उत्पादन करना था व इसमें विफल रहने पर आरएसएमडीसी को इन ठेकेदारों की भूल अथवा लापरवाही से लगी लागतों, हुई क्षतियों व हानियों को ठेकेदारों से ही पूरा करना था। गिट्टी तोड़ने वाले ठेकेदारों द्वारा अपने अनुबन्धों में सम्मिलित विशिष्टियों पर ध्यान नहीं दिया गया व बड़े/छोटे आकारों की गिट्टियों का उत्पादन किया गया । परिणामस्वरूप इस्पात संयन्त्रों ने आरएसएमडीसी द्वारा आपूर्त सामग्री को अस्वीकृत कर दिया और अप्रेल 1991 तथा मार्च 1995 के बीच की गई आपूर्तियों के लिए आरएसएमडीसी के बिलों से 18.90 लाख रुपये की राशि काट ली गई। बदले में आरएसएमडीसी ने नवम्बर 1993 में गिट्टी तोड़ने वाले ठेकेदारों से अस्वीकृतियों की राशियों की वसूली की सम्भावनाओं का पता लगाया लेकिन इस आधार पर सफल नहीं रहा कि अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार परियोजना प्रबन्धक, जैसलमेर ने तोड़ी गई सामग्री का अनुमोदन प्रेषणार्थ कर दिया था व जैसे ही आरएसएमडीसी द्वारा तोड़ी गई सामग्री का प्रेषणार्थ अनुमोदन हो जाये ठेकेदारों का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। आरएसएमडीसी द्वारा 18.90 लाख रुपये की हानि के लिए अभी तक दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (सितम्बर 1997) ।

2ब.8.2.5 वैगनों की अधिक/कम भराई से हानि

आरएसएमडीसी 1987 से 'सेल' के विभिन्न संयन्त्रों को इस्पात श्रेणी के चूना-पत्थर की आपूर्ति कर रहा था। 'सेल' द्वारा दिये गए क्रय-आदेशों की शर्तो के अनुसार आरएसएमडीसी को रेलवे द्वारा निर्धारित प्रभारणीय भारों के अनुसार चूना-पत्थर वैगनों में लदवाना था तथा इसमें विफल रहने पर यदि रेलवे 'सेल' से कोई अतिरिक्त भाड़ा लगाये तो इसे आरएसएमडीसी से वसूल किया जाना था ।

समझौते के प्रावधानों के विपरीत चूना-पत्थर की भराई के परिणामस्वरूप 'सेल' से 0.28 करोड़ रुपये के भाड़ा प्रभार वसूल नहीं किये जा सके।

भराई करने वाले ठेकेदार की लापरवाही के कारण आरएसएमडीसी चूना-पत्थर की भराई के वक्त समझौते की शर्तो के अनुरूप प्रभारणीय भार को बनाये नहीं रख सका । निर्धारित भार की तुलना में कम/अधिक भारों की भराई के परिणामस्वरूप रेलवे द्वारा 'सेल' से अप्रेल 1993 से मार्च 1996 के दौरान की गई आपूर्तियों के लिए 28.29 लाख रुपये की राशि वसूली गई। बदले में 'सेल' ने आरएसएमडीसी के आपूर्ति बिलों में से यह राशि काट ली । आरएसएमडीसी भराई करने वाले ठेकेदारों से उक्त राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर सका क्योंकि भराई आरएसएमडीसी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की गई थी। तथापि, आरएसएमडीसी द्वारा अभी तक (सितम्बर 1997) जिम्मेदारी के निर्धारण हेतु अनुसंधान नहीं किया गया था ।

2ब.8.3 रॉक फॉस्फेट

रॉक फॉस्फेट का उपयोग मुख्यतया खाद एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है । 31 मार्च 1997 को आरएसएमडीसी पांच* खानों (चार उदयपुर में तथा एक बांसवाड़ा में) में मध्यम श्रेणी (21 से 29 प्रतिशत पी$_2$ ओ$_5$) तथा निम्न श्रेणी (21 प्रतिशत से कम पी$_2$ ओ$_5$). वाले रॉक फॉस्फेट का खनन कर रहा था ।

रॉक फॉस्फेट का उत्पादन 1991-92 के 83,400 मीट्रिक टन से घटकर 1995-96 में 27,800 मीट्रिक टन (1993-94 में 25,600 मीट्रिक टन) रह गया था। उत्पादन में कमी के कारण थे-उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट भण्डारों की अनुपलब्धता व घटिया श्रेणी के रॉक फॉस्फेट का कम उठाव होने से उत्पादन पर लगाये गए प्रतिबन्ध, उत्पादन ठेकेदार का कमजोर निष्पादन, आयातित उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के साथ निम्न श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के मिश्रण का पुनः प्रारम्भ नहीं होना और फॉस्फेट के उत्पादन हेतु निविदाओं को अन्तिम रूप देने में हुआ विलम्ब ।

* भविष्य में खनन के लिए आरक्षित एक खान को छोड़कर ।

2ब.8.3.1 दोषयुक्त सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के कारण हानि

आरएसएमडीसी ने जून 1982 में जी.एस.अटवाल एण्ड कम्पनी (गुआ) को तीन वर्षों के लिए एक ठेका 10,000 क्यूबिक मीटर रॉक फॉस्फेट के प्रति माह खनन तथा जमाव हेतु 44 रुपये प्रति घन मीटर (पीसीएम) तथा प्रत्येक बारह महीनों के पश्चात् दर में 8 प्रतिशत की वृद्धि जोड़ते हुए दिया था । बाद में अप्रेल 1985 में भुगतान की दरें संशोधित कर दी गई जो कि जनवरी 1984 से प्रभावी थी, जिसके अनुसार ठेकेदार को 39 रुपये पी.सी.एम. की दर बिना वृद्धि प्रभारों के 10,000 घन मीटर प्रति माह से अधिक मात्रा में रॉक फॉस्फेट के खनन एव जमाव हेतु दी जानी थी । तथापि, अप्रेल 1985 में उक्त दर संशोधनों के लिए सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करते वक्त आरएसएमडीसी ने किसी भी माह में 10,000 घन मीटर से अधिक मात्रा में रॉक फॉस्फेट की मात्रा पर वृद्धि प्रभारों का भुगतान नहीं किये जाने का उल्लेख नहीं किया । ठेकेदार ने जून 1985 में कार्य को पूर्ण कर दिया तथा उसने अक्टूबर 1985 में, विभिन्न महिनों में 10,000 घन मीटर से अधिक खोदी गई रॉक फॉस्फेट की मात्राओं के लिए वृद्धि का दावा किया। एम.ओ.यू. में वृद्धि प्रभारों का भुगतान नहीं करने के किसी विशिष्ट उल्लेख के अभाव में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरएसएमडीसी ठेकेदार को दर में वृद्धि के लिए33.56 लाख रुपये की राशि का भुगतान करें । आरएसएमडीसी ने दिसम्बर 1995 से मई 1996 के दौरान ठेकेदार को इस राशि का भुगतान कर दिया ।

> दोषपूर्ण सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षर कर देने के परिणामस्वरूप वृद्धि-प्रभारों के 0.34 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

इस प्रकार ठेकेदार के साथ दोषयुक्त एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर कर देने के कारण आरएसएमडीसी को 33.56 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी ।

2ब.8.3.2 बिना विक्रय बन्धन के रॉक फॉस्फेट का आयात

आयातित उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के साथ देशी घटिया श्रेणी के रॉक फॉस्फेट का मिश्रण करने के लिए आरएसएमडीसी ने, क्रेताओं के साथ कोई विक्रय बन्धन बांधे बिना मद्रास में बिक्री के लिए टोगो से 5,000 मीट्रिक टन उच्च श्रेणी के रॉक फॉस्फेट का आयात मार्च 1989 में किया तथा इसे 5,309 मीट्रिक टन देशी घटिया श्रेणी के रॉक फॉस्फेट के साथ समुद्र के नजदीक एक खुले स्थान पर जमा कर दिया । तथापि आरएसएमडीसी ने न तो कोई सुरक्षा व्यवस्था की और न ही इस खुले क्षेत्र में जमा उक्त सामग्री के लिए कोई बीमा कराया ।

क्रेताओं के साथ किसी विशिष्ट विक्रय बन्धन की अनुपस्थिति में आरएसएमडीसी मार्च 1990 से जुलाई 1994 के दौरान केवल 7,707 मीट्रिक टन (3940 आयातित तथा 3,767 देशी) रॉक फॉस्फेट ही बेच पाया। शेष 27.37 लाख रुपये मूल्य के 2,602 मीट्रिक टन स्टॉक में से 1,194 मीट्रिक टन को शरारती तत्व चुराकर ले गये तथा 1.408 मीट्रिक टन मई 1990 तथा दिसम्बर 1993 में आये समुद्री तूफानों से साफ हो गया। चूंकि आरएसएमडीसी ने न तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था की थी और न ही कोई बीमा कवच लिया था, यह उक्त सामग्री की लागत को नहीं वसूल सका व 27.37 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

> बिना किसी विक्रय बन्धन के राकॅ फॉस्फेट का आयात करने के फलस्वरूप 0.27 करोड़ रुपये की हानि हुई।

2ब.8.4 ग्रेफाइट

ग्रेफाइट एक मुलायम काला कार्बन-युक्त खनिज है जिसका मुख्यत: विस्फोटकों, इलक्ट्रॉडों तथा लीड पैन्सिलों के निर्माण में उपयोग किया जाता है । 31 मार्च 1997 को आरएसएमडीसी के पास बांसवाड़ा जिले में पट्टे पर ली गई दो* खानें (चन्दुजी-का-गुडा तथा टमटिया) थीं ।

2ब.8.4.1 उत्पादन निष्पादन

निम्नांकित तालिका में 1995-96 तक के पांच वर्षों के लिये ग्रेफाइट की खुदाई हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ दी गई है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (टनों में)	कमी की प्रतिशतता
1991-92	निर्धारित नहीं	277	-
1992-93	3000	152	94.9
1993-94	7900	शून्य	100.0
1994-95	9000	585	93.5
1995-96	6000	5844	2.6

आरएसएमडीसी 1995-96 तक के गत पांच वर्षों में से किसी में भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका था । लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने के कारण नहीं बताये गये। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरएसएमडीसी ने घटिया श्रेणी के ग्रेफाइट अयस्क की खुदाई की थी जो 1991-92 तक 24,677 मीट्रिक टन की मात्रा में संचित

* भविष्य में खनन के लिए आरक्षित एक खान (चन्दुजी का गुडा) सहित

हो गया था। घटिया श्रेणी के अयस्क की बिक्री हेतु कोई बाजार उपलब्ध नहीं होने तथा इसके परिशोधन हेतु पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने से आरएसएमडीसी फरवरी 1996 तक इसके पूर्ण परिशोधन की व्यवस्था नहीं कर सका (क्योंकि अतिरिक्त 50 टन प्रति दिन क्षमता वाले संयन्त्र को मार्च 1996 में ही चालू किया जा सका था) जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। ग्रेफाइट अयस्क का कुल संचित स्टॉक घटकर 17,451 मीट्रिक टन रह गया था (मार्च 1996)।

2ब.8.4.2 ग्रेफाइट का परिशोधन

इन खानों की ग्रेफाइट अयस्क जमाओं में स्थिर कार्बन (एफ.सी.) तत्व 10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच विचरित होता है । इतने कम एफ.सी. तत्वों वाले ग्रेफाइट अयस्क का औद्योगिक कच्चे माल के रूप में तब तक इस्तेमाल नहीं होता जब तक कि इसे 65 से 95 प्रतिशत तक परिशोधित नहीं कर दिया जाये । वांछित सीमा तक एफ.सी. तत्व की श्रेणी को बढ़ाने के लिए फरवरी 1981 में बांसवाड़ा में 12 टन प्रतिदिन (टी.पी.डी.) स्थापित क्षमता के एक पायलट निगरानी परिशोधन संयन्त्र को चालू किया गया जिसे बाद में नवम्बर 1987 से बढ़ाकर 18 टी.पी.डी. कर दिया गया। संयन्त्र से 80-85 प्रतिशत एफ.सी. तत्वों वाली श्रेणी का 475 मीट्रिक टन ग्रेफाइट जमाव प्रतिवर्ष (80 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर) उत्पादित होना प्रत्याशित था ।

निम्नांकित तालिका में संयन्त्र से 1995-96 तक के पांच वर्षो के लिए कार्य-निष्पादन को दर्शाया गया है :

वर्ष	प्रत्याशित उत्पादन (80-85 एफ सी श्रेणी) (मीट्रिक टनों में)	50-60 से 75-80 एफ सी श्रेणी के ग्रेफाइट जमाव का वास्तवित उत्पादन (मीट्रिक टनों में)	प्रत्याशित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता
1991-92	475	317	66.7
1992-93	475	512	107.8
1993-94	475	346	72.8
1994-95	475	185	38.9
1995-96 (फरवरी 1996 तक)	435	202	46.4
योग	2335	1562	

संयन्त्र समस्त पांचों वर्षों के दौरान (1992-**93 को** छोड़कर) ग्रेफाइट जमाव की अपेक्षित मात्रा का उत्पादन नहीं कर सका था **जिसके** परिणामस्वरूप 50.44 लाख रुपये मूल्य के 810 मीट्रिक टन ग्रेफाइट जमा**व के उत्पादन** की हानि हुई जिसमें से 14.03 लाख रुपये मूल्य के 233 मीट्रिक टन उत्पादन की हानि, ग्रेफाइट अयस्क, रसायन तथा श्रम शक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई थी जिसे कि प्रतिरोधात्मक उपाय करके टाला जा सकता था। 80-85 एफ. सी. श्रेणी के ग्रेफाइट जमाव के प्रत्याशित उत्पादन के समक्ष वास्तविक उत्पादन 50-60 एफ.सी. तथा 75-80 एफ.सी. के बीच **विचरित** रहा । अप्रेल 1991 से फरवरी 1996 के दौरान संयन्त्र द्वारा प्रत्या**शित श्रेणी का** 1,562 मीट्रिक टन जमाव उत्पादित नहीं होने (संयन्त्र मार्च 1996 में **बन्द** रहा था) से आरएसएमडीसी को 31.87 लाख रुपये की हानि हुई

> प्रत्याशित श्रेणी का ग्रेफाइट कन्सन्ट्रेट उत्पादित नहीं होने के कारण अप्रेल 1991 से फरवरी 1996 के दौरान 0.32 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

2ब.8.4.3 विक्रय निष्पादन

1995-96 तक के पांच वर्षों में ग्रेफाइट जमाव की उत्पादन क्षमता व इसका वसूल हुआ औसत विक्रय मूल्य निम्नानुसार था :

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
प्रति मीट्रिक टन उत्पादन लागत (रुपयों में)	10,041	6,830	12,503	22,751	17,334
प्रति मीट्रिक टन औसत विक्रय मूल्य (रुपयों में)	2,622	3,090	4,047	3,921	4,729
बिक्री पर हानि (प्रति मीट्रिक टन रुपयों में)	7,419	3,740	8,456	18,830	12,605

समीक्षाधीन वर्षों में से किसी में भी औसत विक्रय वसूली से उत्पादन लागत नहीं वसूल हो सकी थी जिसके परिणामस्वरूप 3,740 रुपये प्रति मीट्रिक टन से 18,830 रुपये प्रति मीट्रिक टन की सीमाओं में हानियाँ उठानी पड़ी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उच्च उत्पादन लागत तथा हानियों के लिए अकुशल और अपर्याप्त सुविधाएं ही मुख्यत: जिम्मेदार थी ।

2ब.8.4.4 50 टी.पी.डी. वाले ग्रेफाइट परिशोधन संयन्त्र को चालू करने में विलम्ब

संयन्त्र परिचालन को आर्थिक रूप से वहन योग्य बनाने के लिए आरएसएमडीसी ने विद्यमान 18 टी.पी.डी. क्षमता वाले ग्रेफाइट परिशोधन संयन्त्र की क्षमता को बढ़ाकर 50 टी.पी.डी. करने का निर्णय लिया (अप्रेल 1990)। उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध आरएसएमडीसी ने विद्यमान 18 टी.पी.डी. संयन्त्र के अलावा 50 टन प्रतिदिन (टी.पी.डी.) के एक संयन्त्र की स्थापना हेतु निविदाएँ आमन्त्रित कीं (अप्रेल 1991) । निविदाएँ 30 नवम्बर 1991 तक वैध थी । आरएसएमडीसी बढ़ी हुई वैधता अवधि में मामले का निर्णय करने में असफल रहा तथा इसे आपूर्तिकर्ता द्वारा वैधता अवधि के बीत जाने पर मांगी गई वृद्धि की 3.77 लाख रुपये की राशि के लिए सहमत होना पड़ा। इसने जून 1992 में उषा मिल लिमिटेड (यू.एम.एल.) को संयन्त्र की आपूर्ति, निर्माण तथा चालू करने हेतु कार्य-आदेश दिया ।

यू.एम.एल. ने निर्धारित 30 सितम्बर 1993 के विरुद्ध जून 1995 तक संयन्त्र का निर्माण किया। यू.एम.एल तथा आरएसएमडीसी के प्रतिनिधियों के द्वारा 28 तथा 29 जून 1995 को संयुक्त निरीक्षण करने पर संयन्त्र में अनेक दोष ध्यान में आये तथा समस्त दोषों को तुरन्त दूर करने हेतु यू.एम.एल. को कहा गया। अन्तिम नोटिस देने (दिसम्बर 1995) के बाद भी यू.एम.एल. ने दोष दूर नहीं किये। आरएसएमडीसी ने शेष कार्य तथा दोष दूर करने का कार्य 1.90 लाख रुपये की लागत से बाहरी एजेन्सी द्वारा/विभागीय रूप से करवाया तथा संयन्त्र को फरवरी 1996 में चालू किया गया । दोष दूर करने हेतु 1.90 लाख रुपये व्यय करने पर भी संयन्त्र निर्धारित कार्य-निष्पादन नहीं दे सका तथा इसका 15 फरवरी 1997 को पुन: निरीक्षण करने पर ध्यान में आया कि यू.एम.एल. द्वारा 50 टी.पी. डी. क्षमता के विरुद्ध 30 टी.पी.डी. का संयन्त्र ही लगाया था हालांकि संयन्त्र की प्रारम्भिक जांच यू.एम.एल. के कारखाने में प्रेषण से पूर्व आरएसएमडीसी के अधिकारियों द्वारा कर ली गई थी।

अन्तर्निहित दोषों से युक्त संयन्त्र की आपूर्ति के फलस्वरूप आरएसएमडीसी ग्रेफाइट जमाव की अपेक्षित श्रेणी का उत्पादन नहीं कर सका तथा इसे मार्च 1996 तथा नवम्बर 1996 के बीच उत्पादित 480 मीट्रिक टन निम्न श्रेणी जमाव की बिक्री पर 16.77 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी। यू.एम.एल. के द्वारा अनुबंधित दायित्वों का निर्वाह करने में विफल रहने पर आरएसएमडीसी ने 1.28 लाख रुपये की बैंक गारन्टी उठा ली तथा यू.एम.एल. को देय 11.81 लाख रुपये की राशि को रोक लिया था। इस मामले के निपटारे के लिए दिसम्बर 1996 में एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया व मामला उसके विचाराधीन चल रहा था (सितम्बर 1997) ।

दोषयुक्त संयन्त्र की खरीद कर उससे उत्पादित 480 मीट्रिक टन निम्न श्रेणी के ग्रेफाइट कन्सट्रेट की बिक्री से आरएसएमडीसी को 0.17 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

2ब.8.5 बेन्टोनाइट

बेन्टोनाइट का उपयोग मुख्य रूप से टयूब-वैल के कीचड़ की खुदाई व इस्पात संयन्त्रों के लिए सांचे बनाने में किया जाता है । 31 मार्च 1997 को आरएसएमडीसी के पास 2 खनन पट्टे (अकली जिला बाड़मेर) थे । आरएसएमडीसी निम्न श्रेणी के बेन्टोनाइट का उत्पादन करता रहा था । इसे तेल की खुदाई में उपयोगी बनाने के लिए 1987-88 में अनुसंधान एवं विकास के प्रयत्न प्रारम्भ किये गये थे जो कि अभी जारी थे (अप्रेल 1997)।

2ब.8.5.1 बेन्टोनाइट की पिसाई

बेन्टोनाइट अयस्क की अपर्याप्त मांग को दृष्टिगत रखकर व इसके पाउडर की पर्याप्त मांग को देखकर आरएसएमडीसी ने नवम्बर 1982 में इसकी पिसाई का एक संयन्त्र बाड़मेर में लगाया जिसकी क्षमता 1.3 मीट्रिक टन प्रति घण्टा फाउण्ड्री श्रेणी के बेन्टोनाइट पाउडर निर्माण की थी जिसे बढ़ाकर 2.8 मीट्रिक टन करने हेतु दिसम्बर 1990 में 1.5 मीट्रिक टन प्रति घण्टा की क्षमता वाला एक और संयन्त्र

स्थापित किया गया। 1995-96 तक के पांच वर्षों में संयन्त्र का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था :

वर्ष	उत्पादन		वास्तविक उत्पादन की संस्थापित क्षमता से प्रतिशतता
	संस्थापित क्षमता के अनुसार	वास्तविक	
	(मीट्रिक टनों में)		
1991-92	19,600	6,036	**30.8**
1992-93	19,600	6,984	**35.6**
1993-94	19,600	5,851	**29.9**
1994-95	19,600	5,161	**26.3**
1995-96	19,600	6,707	**34.2**

संयन्त्र की क्षमता का कम उपयोग होने के कारण आरएसएमडीसी को 0.93 करोड़ रुपये मूल्य के 22,186 मीट्रिक टन उत्पादन की हानि उठानी पड़ी जो कि नियन्त्रण-योग्य तत्वों के कारण हुई थी।

उपरोक्त ब्यौरे से स्पष्ट होता है कि 1991-92 से 1995-96 के दौरान संस्थापित क्षमता का उपयोग 26.3 प्रतिशत से 35.6 प्रतिशत तक विचरित रहा जिसके परिणामस्वरूप 243 लाख रुपये मूल्य के 58,586 मीट्रिक टन उत्पादन की हानि हुई जिसमें से 92.90 लाख रुपये मूल्य का 22,186 मीट्रिक टन उत्पादन संयन्त्र बन्द रहने व श्रम के अभाव से हुआ था जिसे प्रतिरोधात्मक उपाय करके नियन्त्रित किया जा सकता था ।

2ब.8.5.2 वसूली को समय-बाधित होने देना

अकली बेन्टोनाइट परियोजना, बाड़मेर पर बेन्टोनाइट निकालने, लाने, ले जाने तथा भराई करने के लिए एक कार्य-आदेश 7 मई 1988 को आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि हेतु टी.आर. राजपुरोहित एण्ड कम्पनी को दिया गया। समझौते की शर्तानुसार कार्य की संविदात्मक मात्रा 10,000 मीट्रिक टन वार्षिक की थी। दर 52.05 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित थी। यद्यपि ठेकेदार का कार्य-निष्पादन मात्रा तथा गुण दोनों ही दृष्टियों से शुरू से ही कमजोर पाया गया था फिर भी आरएसएमडीसी ने दिसम्बर 1988 में इसे एक अन्य आदेश 5,000 मीट्रिक टन

अतिरिक्त मात्रा के लिए एक वर्ष में पूर्ण करने हेतु दे दिया। खुदाई का 9,183 मीट्रिक टन व ढुलाई का 9,672 मीट्रिक टन कार्य करने के पश्चात् सितम्बर 1989 से ठेकेदार ने काम करना रोक दिया ।

अन्तिम नोटिस देकर (अक्टूबर 1989) आरएसएमडीसी ने कार्य को 3.88 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करके पहले ठेकेदार की जोखिम तथा लागत पर अन्य ठेकेदारों से करवाया । इसके अलावा, ठेकेदार 0.69 लाख रुपये (वास्तविक कमी के लिए संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से) हर्जाना देने के लिए भी दायी था । तथापि, आरएसएमडीसी केवल 0.37 लाख रुपये की राशि ही वसूल कर सका था ।

मामला निपटाने के लिए जून 1991 में नियुक्त एकाकी मध्यस्थ ने जुलाई 1991 में आरएसएमडीसी से विवाद व विवादस्थ मात्रा का पूर्ण ब्यौरा देने का अनुरोध किया। सम्बन्धित विवरण आरएसएमडीसी ने उपलब्ध नहीं करवाया क्योंकि सम्बन्धित पत्रावली मई 1993 तक ढूंढी नहीं जा सकी और प्रकरण सितम्बर 1992 में कालबाधित हो गया। आरएसएमडीसी मध्यस्थ को सम्बन्धित ब्यौरा नहीं दे सका जिसकी वजह से आरएसएमडीसी को 4.20 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी ।

2ब.8.6 फ्लोर्सपार

फ्लोर्सपार का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योगों में बहावकों की तरह किया जाता है। कम्पनी 8 खनन पट्टों/कार्य-अनुमतियों, जो कि डूंगरपुर व जालौर जिलों में मांडों की पाल (4) तथा करारा (4) में स्थित हैं, का परिचालन कर रही थी। 1991-92 से 1995-96 के दौरान फ्लोर्सपार का वास्तविक उत्पादन 1400 मीट्रिक टन से 2322 मीट्रिक टन के बीच विचरित हुआ तथा इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 31 प्रतिशत तथा 89 प्रतिशत के बीच रही। आरएसएमडीसी द्वारा उत्पादन लक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था।

2ब.8.6.1 परिशोधन संयंत्र की स्थापना

मार्च 1985 से निस्तारण की प्रतीक्षा में पड़े 0.30 करोड़ रुपये के यन्त्रों पर निरर्थक निवेश के फलस्वरूप 0.80 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 2ब.8.1.5 में उल्लेख किया गया था कि रोलर मिल प्रणाली द्वारा सूखी पिसाई प्रक्रिया पर आधारित 30 टन प्रतिदिन क्षमता प्रत्येक के दो परिशोधन संयंत्रों (45.21 लाख रुपये) को, जिन्हें कि फरवरी/मार्च 1982 में चालू किया गया था, मार्च 1985 में बंद कर दिये गये थे तथा अप्रेल

1985 में यह निर्णय लिया गया था कि इन दोनों परिशोधन संयंत्रों को निस्तारित कर दिया जावे। उनके निस्तारण की कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं की गई थी (सितम्बर 1997) सिवाय इसके कि 15.70 लाख रुपये मूल्य के संयंत्र तथा औजार अन्य खानों को स्थानान्तरित कर उपयोग में लाए गये ।

इस प्रकार शेष रहे संयंत्र एवं औजारों का निस्तारण/उपयोग नहीं करने से इन पर किया गया 29.51 लाख रुपये का निवेश निष्फल हो गया। निष्फल निवेश पर मार्च 1997 तक ब्याज की 79.68 लाख रुपये की हानि हुई ।

2ब.8.7 बहु-धातु

बहु-धातु के अन्तर्गत सीसा, ताम्बा और जस्ता आते हैं। आरएसएमडीसी के पास सिरोही जिले के डेरी में पट्टे पर एक बहु-धातु की खान थी। खनिज की बिक्री भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को की जाती है । आरएसएमडीसी द्वारा सितम्बर 1993 में बहु-धातु खनिज का उत्पादन बंद कर दिया गया क्योंकि इसके एक मात्र खरीददार एच जेड एल ने अपने यहां जस्ते का जमाव इकट्ठा हो जाने के कारण खरीद बंद कर दी थी।

आरएसएमडीसी ने आज दिन (अप्रेल 1997) तक बहु धातु के उत्पादन क्रिया-कलाप पुनः प्रारम्भ नहीं किये थे जिसके कारण सितम्बर 1993 के बाद 104.95 लाख रुपये की हानि निम्न कारणों से हो चुकी थी :

(i) अक्टूबर 1993 और दिसम्बर 1996 के बीच 47.36 लाख रुपये की सीमा तक बिना कार्य वेतन एवं भत्तों का भुगतान करना पड़ा ।

(ii) 1994-95 तथा 1996-97 के बीच परियोजना कार्यालय के रख-रखाव पर 29 लाख रुपये का व्यय हो गया ।

> बहु-धातु का उत्पादन सितम्बर 1993 से बन्द हो जाने के बावजूद आरएसएमडीसी द्वारा 0.76 करोड़ रुपये का व्यय निट्ठले स्टॉफ तथा परियोजना कार्यालय के रख-रखाव पर किया गया व अयस्क का निस्तारण नहीं करने के कारण भी 0.29 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी ।

(iii) स्टॉक में पड़े (फरवरी 1997) 2228 मीट्रिक टन खनिज अयस्क का निस्तारण नहीं होने से धात्विक तत्वों की उल्लेखनीय रूप से न्यूनता हो गई । तत्वों की न्यूनता का प्रतिशत 38.54 से 15.21 तक था जिसके परिणामस्वरूप आरएसएमडीसी को 28.59 लाख रुपये की हानि हो गई ।

तथापि, मार्च 1997 में आरएसएमडीसी एवं बिनानी ज़िंक लिमिटेड तथा व्हाईट टाईगर रिसोर्सेज, आस्ट्रेलिया के बीच हुए एक समझौता-ज्ञापन के अनुसार आधारभूत धातु की खोज,विकास एवम् परिशोधन हेतु एक नई संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी बनायी जानी थी लेकिन इस नई कम्पनी की अभी तक स्थापना नहीं हुई है (सितम्बर 1997)।

2ब.9 संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र में अनार्थिक निवेश

आरएसएमडीसी ने दिसम्बर 1981 में खनन परिशोधन एवं खनिज उद्योगों के जरिये संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्र में प्रवेश का निर्णय लिया। तदनुसार 1983 तथा 1988 के बीच संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्र में 125.89 लाख रुपये का इक्विटी निवेश करके आठ परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया । 125.89 लाख रुपये में से 76.08 लाख रुपये पुनर्खरीद के आधार सात इकाईयों पर निवेशित थे तथा इस पर निवेश की तारीख से 14 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलनीय था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि :

(i) जनवरी 1985 में राजेश मिनेरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरएमआईएल) के साथ हुए पुनर्खरीद समझौते के अन्तर्गत 9 लाख रुपये का जो निवेश किया गया था उसकी सितम्बर 1991 में पुनर्खरीद की जानी थी । आरएमआईएल खनिज अयस्क के खनन हेतु ठेकेदार के रूप में भी आरएसएमडीसी का कार्य कर रहा था । चूंकि आरएमआईएल ने निर्दिष्ट तिथि पर शेयरों की पुनर्खरीद से इन्कार कर दिया था इसलिए आरएसएमडीसी शेयरों में निवेशित राशि मय ब्याज के आरएमआईएल द्वारा निष्पादित खनन कार्य के बिलों में से वसूल करने को सहमत हो गया (अप्रेल 1992)। यद्यपि अप्रेल 1992 से मार्च 1997 के दौरान आरएसएमडीसी ने खनन कार्य निष्पादन के लिए आरएमआईएल के द्वारा 207.60 लाख रुपये के बिलों का भुगतान किया था लेकिन इसने आरएमआईएल के शेयरों में निवेशित राशि तथा इसका ब्याज वसूल नहीं किया जिसके लिए कारण भी नहीं बताये गये । इस विवेकहीन कार्य की वजह से जनवरी 1985 से मार्च 1997 तक की अवधि में 35.89 लाख रुपये की हानि मय 26.89 लाख रुपये के ब्याज के हो गई ।

> एएससीज् में निवेशों के समझौतों के पुर्नखरीद प्रावधानों पर अमल नहीं करने के कारण आरएसएमडीसी को 1.47 करोड़ रुपये

(ii) पोलर मार्मो एग्लोमेरेटस लिमिटेड के साथ हुए पुनर्खरीद समझौते के अन्तर्गत किया गया 18.50 लाख रुपये का निवेश (फरवरी तथा जुलाई 1990) अप्रेल 1992 तथा अप्रेल 1994 में पुनर्खरीद हेतु देय था। प्रवर्तकों द्वारा 10 लाख रुपये मूल्य के शेयरों की अप्रेल 1992 में देय पुनर्खरीद नहीं की गई । यद्यपि आरएसएमडीसी

समझौते के अनुसार इन शेयरों को खुले बाजार में बेचने को स्वतंत्र था फिर भी वह ऐसा करने में विफल रहा। इन शेयरों का भाव जनवरी 1993 में 16 रुपये प्रति शेयर आ रहा था। प्रवर्तकों द्वारा अप्रेल 1994 में पुनर्खरीद हेतु देय शेष 8.50 लाख रुपये मूल्य के शेयर भी नहीं खरीदे गये। प्रवर्तकों के अनुरोध पर मोल-भाव के बाद आरएसएमडीसी इस मामले को 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभारित करके निपटाने पर सहमत हो गया (अक्टूबर 1996)। प्रवर्तकों ने 27.40 लाख रुपये चुकाकर 47.37 लाख रुपये की बकाया को काट दिया। इस प्रकार जनवरी 1993 में शेयरों का निस्तारण नहीं करने तथा ब्याज की कम दर स्वीकार कर लेने से आरएसएमडीसी के 19.97 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी ।

शेयरों में निवेश हेतु किये गए पुनर्खरीद समझौते में दी गई दर से कम ब्याज की दर स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप आरएसएमडीसी को 0.20 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(iii) निहोन निर्माण लिमिटेड (एनएनएल) के मामले में आरएसएमडीसी ने नवम्बर 1987 तथा अगस्त 1989 के बीच पुनर्खरीद योजना के अंतर्गत 30 लाख रुपये का निवेश किया था। समूचा निवेश जुलाई 1990 में पुनर्खरीद हेतु देय हो गया जिसके बाद आरएसएमडीसी शेयर खुले बाजार में बेचने को स्वतंत्र था। यद्यपि मार्च 1992 तथा मई 1992 के बीच एनएनएल के शेयरों का भाव 45 रुपये से 75 रुपये तक रहा लेकिन आरएसएमडीसी ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया व इसके बजाय मई 1992 में एनएनएल द्वारा सम-मूल्य पर प्रस्तावित अधिकार निर्गम के अन्तर्गत 17.25 लाख रुपये का निवेश बिना पुनर्खरीद आधार पर और कर दिया। निर्गम 1 जून 1992 को बन्द हुआ तथा आरएसएमडीसी को सितम्बर 1992 में अधिकार शेयर प्राप्त हो गये । एनएनएल में उत्पादन मार्च 1994 से बन्द हो गया था तथा इसके कारण से इसके शेयरों का तथा लगातार घटकर 1.70 रुपये प्रति शेयर ही रह गया था (अप्रेल 1997) । इसके परिणामस्वरूप निवेशित 47.25 लाख रुपये की वसूली की दूर-दूर तक सम्भावना नहीं थी ।

इस प्रकार ऊचें भाव में 30 लाख रुपये के शेयरों का निस्तारण करने का अवसर गंवा देने तथा बिना पुनर्खरीद आधार पर शेयरों में 17.25 लाख रुपये का और निवेश कर देने से आरएसएमडीसी को नवम्बर 1987 से मार्च 1997 तक की अवधि

के ब्याज के 44.33 लाख रुपये सहित 91.58 लाख रुपये की भारी हानि उठानी पड़ी।

2ब.10 विविध देनदार

निम्नांकित तालिका में 1995-96 तक के पांच वर्षों के प्राप्य ऋणों की अवस्थानुसार स्थिति दर्शायी गई है:

अवधि	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
		(रुपये लाखों में)			
एक वर्ष तक के ऋण	566.03	1155.57	585.64	765.69	743.95
एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्षो से कम के ऋण	224.00	231.90	54.13	210.71	158.13
दो वर्षो से अधिक किन्तु तीन वर्षो से कम के ऋण	9.47	168.62	526.44	90.74	122.49
तीन वर्षो से अधिक के ऋण	125.57	76.67	226.79	268.11	297.86
योग	925.07	1632.76	1393.00	1335.25	1322.43

तालिका दर्शाती है कि 1992-93 में तीन वर्षो से अधिक के ऋण 76.67 लाख रुपये (कुल ऋणों के 4.70 प्रतिशत) से तेजी से बढ़कर 1995-96 में 297.86 लाख रुपये (कुल ऋणों के 22.52 प्रतिशत) हो चुके थे ।

तीन वर्षो से अधिक पुराने ऋण तेजी से बढ़कर 1992-93 के 0.77 करोड़ रुपये से 1995-96 में 2.98 करोड़ रुपये हो गये थे जिसका कारण उधार-बिक्री नीति पर ध्यान नहीं दिया जाना रहा।

लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि देनदारों में वृद्धि के प्रमुख कारण प्रबन्धन द्वारा वसूली की यथासमय कार्यवाही करने में विफलता तथा बिक्री नीति के अनुसार अधिकतम 100 दिनों से अधिक के लिए उधार देना रहे थे ।

2ब.11 अन्य रूचिकर प्रकरण

(i) रियायती बिक्री कर के फार्मों का संग्रहण नहीं करने तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान करने के कारण हानि

> बिक्री-कर फार्मों की रियायती दर प्राप्त करने व समय पर बिक्री-कर विवरणी भरने में विफल रहने से आरएसएमडीसी को बिक्री-कर (ब्याज सहित) के 0.59 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

आरएसएमडीसी विभिन्न ग्राहकों को इस समझ के आधार पर रियायती बिक्री कर पर खनिज बेचता रहा कि वे बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा बिक्री के निर्धारण से पूर्व अपने बिक्री कर घोषणा फार्म जमा करवा देंगे । तथापि उन्होंने आरएसएमडीसी द्वारा समय-समय पर स्मरण कराने के बाद भी ये फार्म प्रस्तुत नहीं किये। बिक्री कर प्राधिकारियों ने आरएसएमडीसी द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई बिक्री कर की रियायती दर को नहीं माना और इसे सितम्बर 1988 से मार्च 1993 के दौरान बिक्री कर प्राधिकारियों को 37.68 लाख रुपये की राशि जमा करानी पड़ी जिसमें 1981-82 से 1988-89 के वित्तीय वर्षों के लिए कर में अन्तर के 21.46 लाख रुपये तथा उस पर ब्याज के 16.22 लाख रुपये शामिल थे । यह मानकर कि इस राशि की वसूली संदिग्ध थी आरएसएमडीसी ने अपने 1993-94 वर्ष के वार्षिक लेखों में 25.32 लाख रुपये तथा 1995-96 में 12.36 लाख रुपये के प्रावधान कर लिये थे। इस प्रकार ग्राहकों के रियायती बिक्री कर के फार्म प्रस्तुत नहीं करने से आरएसएमडीसी को बिक्री कर के 37.68 लाख रुपये अधिक चुकाने पड़े। ऐसा सितम्बर 1997 तक हो रहा था लेकिन बाद के वर्षों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप नहीं दिया जाने से आरएसएमडीसी को इनमें हुई हानि की गणना नहीं की जा सकी ।

इसके अलावा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 के अनुसार आरएसएमडीसी को बिक्री क़र की देय राशि का निर्धारित अवधि में मासिक भुगतान करना था जिसमें विफल रहने पर नहीं जमा कराई गयी/ कम जमा कराई गई/ विलम्ब से जमा कराई गयी राशि पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज देय था। आरएसएमडीसी समय पर मासिक कर जमा करवाने में विफल रहा तथा इसने कर

भी कम जमा करवाया जिसके परिणामस्वरूप इसको 1984-85 से 1992-93 तक के बिक्री कर निर्धारणों में फरवरी 1990 से सितम्बर 1996 तक के ब्याज के 21.78 लाख रुपये (कर जमा कराने में विलम्ब के 11.69 लाख रुपये तथा कम कर जमा कराने पर 10.09 लाख रुपये) चुकाने पड़े ।

(ii) वसूली समय बाधित होने दी गई

> बिना उपयुक्त मूल्यांकन किये परियोजना का कार्य हाथ में ले लेने तथा एएससीज् के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में विफल रहने से आरएसएमडीसी 0.70 करोड़ रुपये की राशि वसूल नहीं कर सका।

सरकार ने अप्रेल 1983 तथा दिसम्बर 1984 के बीच आदेश जारी कर आरएसएमडीसी को संगमरमर के खनन हेतु उदयपुर जिले के अगारिया, पारबती तथा निजराना संगमरमर क्षेत्रों का कार्यकारी अभिकर्ता नियुक्त किया था। आदेशों की शर्तों के अनुसार आरएसएमडीसी को सारे खर्चे निकालने के बाद बचे शुद्ध लाभ का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रति वर्ष सरकार को चुकाना था। भारी निवेश तथा जोखिम व खनिज की उपलब्धता की अनिश्चितता पर विचार करके आरएसएमडीसी ने सहायता प्राप्त क्षेत्र में यंत्रीकृत खनन करने का निर्णय लिया । तद्नुसार, निजराना क्षेत्र के चार सह-प्रवर्तकों तथा पारबती क्षेत्र के एक सह-प्रवर्तक को चुनकर उनके साथ सरकार के अनुमोदन से जनवरी 1985 तथा अप्रेल 1986 के बीच 20 वर्षों की अवधि के समझौते निष्पादित किये। इन समझौतों में, अन्य के अलावा, यह भी प्रावधान थे कि सह-प्रवर्तक आरएसएमडीसी को प्रतिवर्ष 34,080 घन फुट के लिये 7.83 लाख रुपये की न्यूनतम गारन्टी राशि तथा उत्पादन खण्डों के अनुसार 30 रुपये प्रति घन फुट से 16.50 रुपये प्रति घन फुट के बीच विचरित सेवा-प्रभारों का भुगतान करेंगे ।

सहायता-प्राप्त क्षेत्र की कम्पनियों (एएससीज्) ने 1985-86 में उत्पादन प्रारम्भ किया । ढांचागत सुविधाओं के अभाव तथा संगमरमर खण्डों में भू-वैज्ञानिक दोषों के कारण एएससीज् अपेक्षित प्रगति बनाये नहीं रख सकी जिसके परिणामस्वरूप आरएसएमडीसी को न्यूनतम सेवा-प्रभार नहीं चुका पाये ।

एएससीज् द्वारा उत्पन्न अनेक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने आरएसएमडीसी **को** जारी कार्यकारी अनुमति समूचे निजराना क्षेत्र के लिए तथा पारबती क्षेत्र के **एक भाग** (5 प्लाटों में से 2 प्लाटों) के लिए वापस ले ली (मार्च 1989)तथा **एएससीज् को** सीधे ही खनन पट्टे जारी कर दिये । आरएसएमडीसी द्वारा 13 अप्रेल 1989 **को ये** क्षेत्र सरकार को सौंप दिये गए तथा निजराना क्षेत्र में कार्यरत सह प्रर्वतकों के साथ हुए समझौतें समाप्त कर दिये गये । सरकार द्वारा अचानक व झट से क्षेत्र वापस ले लेने के परिणामस्वरूप इन चारों एएससीज् में आरएसएमडीसी की 69.60 लाख रुपये की राशि बकाया रह गई जिसके लिए अनुमति वापस लेने से पूर्व सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। एएससीज् से वसूलनीय सेवा प्रभारों के मामलें में हुई शिकायत की जांच करवाने के लिए सम्बन्धित पत्रावलियाँ जुलाई 1991 में राजकीय अनुसन्धान एकक (एसबीआई) को सौंप दी गई थी। ये पत्रावलियाँ जनवरी 1994 में वापस आई और तब तक देय राशियां समय बाधित हो चुकी थी ।

इस प्रकार बिना उपयुक्त मूल्यांकन के परियोजना प्रारम्भ कर देने तथा एएससीज् के खिलाफ कार्यवाही करनें में विफल रहने से 69.60 लाख रुपये की राशि नहीं वसूली जा सकी थी ।

(iii) विवरणी प्रस्तुत नहीं करने/विलम्ब से प्रस्तुत करने से हानि

बैंकों द्वारा नकद साख की सीमा स्वीकृति हेतु जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशानुसार आरएसएमडीसी द्वारा बैंकों को निर्धारित समयावधि में त्रैमासिक सूचना तथा अर्द्धवार्षिक परिचालन विवरण-पत्र बनाकर प्रस्तुत किये जाने थे। इन विवरणी को प्रस्तुत न करने अथवा इसमें विलम्ब करने पर बैंक, स्वीकृत/उपयोगित नकद साख की राशि पर देरी से विवरणी प्रस्तुत करने या प्रस्तुत नहीं करने की अवधि के लिए 1.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्डात्मक ब्याज प्रभारित करने को अधिकृत थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने/विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण बैंक ने 1993-94 से 1995-96 तक के वर्षों में 19.33 लाख रुपये दण्डात्मक ब्याज लगाकर वसूल कर लिये थे ।

बाद में (मार्च 1997) यद्यपि बैंक ने 1995-96 के वर्ष के दण्डात्मक-ब्याज के 10.25 लाख रुपये माफ कर दिये थे फिर भी 1993-94 से 1994-95 तक के वर्षों के दण्डात्मक ब्याज के 9.08 लाख रुपये माफ नहीं किये थे। इस प्रकार, आरएसएमडीसी को केवल विलम्ब से विवरणी प्रस्तुत करने की वजह से 9.08 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी थी।

निष्कर्ष

आरएसएमडीसी का समामेलन राज्य में खनिज संसाधनों के प्रापण एवं विदोहन करने तथा खनिज आधारित उद्योगों का विकास करने व उन्हें परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। अपने प्रारम्भ के 18 वर्षों बाद भी आरएसएमडीसी खानों के विकास हेतु परामर्श देने तथा खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करने और खनिजों व धातुओं के आयातक एवं निर्यातक के क्रिया-कलाप प्रारम्भ नहीं कर पाया था। जिप्सम, चूना-पत्थर, रॉक फॉस्फेट तथा लिग्नाइट के खनन परिचालनों को छोड़कर, अन्य पांच खनिजों में खनन परिचालन 1991-92 से घाटे में चल रहे थे। वर्ष 1995-96 के दौरान रॉक फॉस्फेट का खनन भी घाटे में था। हानियों के मुख्य कारण थे:

- उच्च उत्पादन लागत,
- घाटे वाली खानों में परिचालन जारी रहना तथा घटिया श्रेणी के खनिज उत्पादित करना,
- खनिजों की खुदाई हेतु अनार्थिक अनुबन्ध करना,
- परिशोधन संयन्त्रों का अकुशल प्रचालन,
- आपूर्ति आदेशों के निष्पादन में अनियमितताएं,
- पुराने ऋण वसूल नहीं होना तथ अनुचित उधार-बिक्री, तथा
- संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्र में अनार्थिक विनियोजन।

अपने परिचालन को सुधारने तथा हानियों को घटाने के लिये आरएसएमडीसी को ऊंची उत्पादन लागत पर नियन्त्रण, खनिजों की श्रेणी में सुधार, हानि उठा रही खानों, जिनके नाम है: ग्रेफाइट, बेन्टोनाइट, फ्लोर्सपार, ग्रेनाइट एवं बहु धातु, में परिचालन रोकने, लाभप्रद खनिजों के बाजार तलाशने, पुराने ऋण वसूलने तथा अपने ठेके, व्यापारिक प्रगति तथा विपणन संभागों को सुदृढ़ बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित कर दिया गया था (अगस्त 1997), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 1997)।

अध्याय - III

सांविधिक निगम से सम्बन्धित समीक्षा

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल

सामग्री प्रबन्धन

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल

सामग्री प्रबन्धन

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	113
3.1	प्रस्तावना	115
3.2	संगठनात्मक ढाँचा	115
3.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	115
3.4	क्रय प्रक्रिया	115
3.5	क्रय प्रबन्धन में कमियाँ	116
3.6	सामग्री/सहायक सामग्री के अभाव में संचरण, निर्माण तथा वितरण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब	128
3.7	फील्ड में आवश्यकता से अधिक क्रय	129
3.8	सामग्री नियन्त्रण	130
3.9	अपर्याप्त प्रबन्धन सूचना प्रणाली	134
3.10	क्रय अनुसन्धान	134
3.11	सवाई माधोपुर (ओ.एण्ड एम.) वृत के करोली उप-खण्ड में गुम ट्रांसफार्मर /भण्डार सामग्री	135
	निष्कर्ष	135

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
सामग्री प्रबन्धन

झलकियां

- मण्डल प्रतिवर्ष उत्पादन भण्डारों से सम्बन्धित कार्यकलापों के अलावा सामग्री क्रय पर औसतन 364 करोड़ रुपये व्यय करता है जो मण्डल के कुल व्यय का 14 प्रतिशत भाग होता है ।

(अनुच्छेद 3.1)

- टावर्स, पी.जी. क्लेम्प्स, टी. क्लेम्प्स, कन्ट्रोल केबल्स, मीटर टर्मिनल ब्लाक्स तथा ओ. एण्ड एम. सामग्री की आवश्यकताओं का गलत आकलन करने के कारण 6.04 करोड़ रुपये मूल्य की अधिक सामग्री क्रय हुई जिससे 1.72 करोड़ रुपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई ।

(अनुच्छेद 3.5.1.1 से 3.5.1.4, 3.7.1 एवं 3.7.2)

- अनुभवहीन फर्म से इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटरों के अविवेकपूर्ण क्रय से मण्डल न केवल अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा अपितु इन मीटरों के क्रय पर 18 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय भी किया ।

(अनुच्छेद 3.5.2)

- के.वी.ए.एच. मीटर की विशिष्ट मांग के समक्ष बाइवेक्टर मीटर क्रय करने के कारण मण्डल ने 0.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया ।

(अनुच्छेद 3.5.4)

- उपकेन्द्र ढांचों तथा लाइटनिंग अरेस्टर को ऊंची दर पर क्रय करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण मण्डल ने एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 3.5.5 तथा 3.5.6)

– निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण मण्डल ने 1.61 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन की ।

(अनुच्छेद 3.5.7 तथा 3.5.8)

– ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन की राशि का प्रतिफल अनुमत करने/दावा नहीं करने के मण्डल के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरुप सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से 3.35 करोड़ रुपये वसूल नहीं किये जा सके ।

(अनुच्छेद 3.5.9)

विभिन्न भण्डार वृत्तों/उपखण्डों में 0.43 करोड़ रुपये मूल्य की अगतिशील सामग्री निस्तारण की प्रतीक्षा में पांच वर्षों से भी पहले से पड़ी थी ।

(अनुच्छेद 3.8.2)

– 1995-96 तक की अवधि तक के लिए भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में आये भण्डार के आधिक्य तथा कमियों के क्रमश : 0.69 करोड़ रुपये एवं 0.41 करोड़ रुपये जांच के लम्बित रहते समायोजन प्रतीक्षित थे ।

(अनुच्छेद 3.8.7)

3.1 प्रस्तावना

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) का संचरण, वितरण, प्रचालन तथा संधारण भण्डारों के क्रय पर 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान 36,400 लाख रुपये का वार्षिक औसत व्यय हुआ । इन कार्यकलापों पर मण्डल द्वारा किया गया कुल क्रय मण्डल के प्रतिवर्ष कुल व्यय का 14 प्रतिशत होता है। भण्डार अधिप्रापण पर व्यय के लिए प्रभावी सामग्री प्रबन्धन तथा नियन्त्रण की आवश्यकता होती है ।

3.2 संगठनात्मक ढांचा

मण्डल की सामग्री प्रबन्धन (एम.एम.) समूह का मुखिया एक मुख्य अभियन्ता होता है जिसकी सहायता उप मुख्य अभियन्ता (सामग्री निरीक्षण), तीन अधीक्षण अभियन्ता तथा एक मुख्य लेखाधिकारी करते हैं । समस्त राज्य में फैले हुए संचरण तथा निर्माण उपखण्डों और प्रचालन तथा संधारण उपखण्डों की सामग्री सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अधिप्राप्त सामग्री 22 भण्डार गृहों में (एक केन्द्रीय भण्डार, दो संचरण तथा निर्माण भण्डार तथा विभिन्न स्थानों पर स्थित 19 अन्य भण्डार) संग्रहित की जाती है जो भण्डार नियंत्रक के समग्र नियंत्रण में कार्य करते हैं । इसके अतिरिक्त, चिन्हित कार्यो से सम्बन्धित आपूर्ति इस कार्य के लिए प्रेषिति बनाए गए निर्माण उपखण्डों द्वारा सीधे ही प्राप्त की जाती है ।

3.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

इस प्रणाली की कुशलता तथा मितव्ययता का मूल्यांकन करने हेतु संचरण, वितरण, प्रचालन तथा संधारण कार्यो (ऊर्जा उत्पादन के लिए क्रय को छोड़कर) से सम्बन्धित सामग्री प्रबन्धन तथा भण्डार नियंत्रण के 1996-97 तक के पाँच वर्षो के कार्यकलापों की जनवरी 1997 से अप्रेल 1997 के मध्य लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई और इससे उद्घाटित मुख्य बिन्दु अनुवर्ती अनुच्छेदों में बतायें गये है ।

3.4 क्रय प्रक्रिया

मण्डल ने न तो कोई क्रय संहिता बनाई और न ही विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 79(जी) के अन्तर्गत कोई प्रक्रिया निर्धारित की जिसके अभाव में राज्य सरकार की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (जी.एफ. एण्ड ए. आर.) में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा रही थी । सामग्री क्रय के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं, प्रचालन तथा संधारण (ओ. एण्ड एम.), मुख्य अभियंता, संचरण एवं निर्माण वृत्त (टी. एण्ड सी.सी.) और मुख्य अभियंता मीटर एवं संरक्षण (एम. एण्ड पी.) द्वारा मांग पत्र भेजे जाते है । क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत क्रय किये गये स्थानीय एवं तात्कालिक क्रयों को छोड़कर सभी क्रय, सामग्री प्रबंधन शाखा (एम.एम.विंग) द्वारा किये जाते है । क्रय मामलों को विभिन्न स्तरों पर समितियों द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है (अधीक्षण अभियंता (एम.एम.) 50 लाख रुपये तक, मुख्य अभियंता (एम.एम.) 150 लाख रुपये तक तथा पूर्णकालिक सदस्य 150 लाख रुपये से अधिक) । इसके विपरीत 1993-94 तथा इसके बाद के वर्षो के लिए प्रचालन तथा संधारण हेतु सामग्री क्रय का आकलन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं (ओ. एण्ड एम.) से मांग पत्र के बिना गत चार-पांच वर्षो के उपभोग के आधार पर किया गया।

सम्बन्धित शाखाओं की आवश्यकताओं के आधार पर, मात्रा एवं मूल्य दोनों के अनुसार मण्डल द्वारा वार्षिक सामग्री बजट नहीं बनाया गया । सामग्री आवश्यकता के केवल तदर्थ प्रावधान बनाकर मण्डल के सामान्य बजट में सम्मिलित किये जाते है। सामग्री आवश्यकता का आकलन नहीं करने अथवा अनुचित आकलन करने के कारण अधिक क्रय के मामले अनुच्छेद 3.5.1, 3.7.1 तथा 3.7.2 में बताये गये है।

3.5 क्रय प्रबन्धन में कमियां

सामग्री प्रबन्धन (एम.एम.) समूह ने वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान सामग्री क्रय (उत्पादन के अलावा) के लिए 381 निविदा सूचनाओं को अंतिम रूप देकर 1783.40 करोड़ रुपये के क्रयादेश जारी किये ।

सामग्री प्रबन्धन (एम.एम.), प्रचालन एवं संधारण (ओ. एण्ड एम.) तथा मीटर एवं सुरक्षा (एम. एण्ड पी.) शाखाओं के क्रय मामलों की लेखापरीक्षा में की गई संवीक्षा से निम्नलिखित कमियां प्रकट हुई जो अनुवर्ती अनुच्छेदों में बताई गई है :

		मामलों की संख्या	वित्तीय प्रभाव (रुपये लाखों में)	अनुच्छेद संख्या
(i)	आवश्यकताओं का गलत आकलन करने के कारणअधिक क्रय	9	776.39	3.5.1.1 से 3.5.1.4 तथा 3.7.1 एवं 3.7.2
(ii)	उपकरणों का अनौचित्यपूर्ण क्रय	1	1800.00	3.5.2
(iii)	खुली निविदाएं आमंत्रित नहीं करने के कारण अतिरिक्त लागत	1	7.31	3.5.3
(iv)	परिहार्य अतिरिक्त व्यय	1	25.76	3.5.4
(v)	क्रय के लिए अबुद्धिमत्ता-पूर्ण निर्णय के कारण अतिरिक्त व्यय	2	100.09	3.5.5 तथा 3.5.6
(vi)	निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अतिरिक्त लागत	2	161.01	3.5.7 तथा 3.5.8
(vii)	मीडियम तथा हाई कार्बन स्टील वायर रोड पर ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन की वूसली नहीं करना	1	335.00	3.5.9
	योग	17	3205.56	

3.5.1 आवश्यकताओं का गलत आकलन करने से अधिक क्रय

3.5.1.1 टावर्स

आवश्यकता से अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के टावर्स के प्रापण के फलस्वरूप 3.40 करोड़ रुपये की निधियाँ अवरूद्ध हुई तथा अवरूद्ध राशि पर 1.40 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(क) निम्नलिखित तालिका में 132 के.वी. डबल सर्किट लाइन की विभिन्न प्रकार की टावर्स, जो 1989-90 में दिये गये आदेशों पर प्राप्त हुई थी तथा 1990-91 से 1995-96 के दौरान काम में ली गई थी, का विवरण

दर्शाया गया है :

वर्ष	प्राप्त टावर्स (उपयोजित) 'ए' टाइप		प्राप्त टावर्स (उपयोजित) 'बी' टाइप		प्राप्त टावर्स (उपयोजित) 'सी' टाइप	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
			(मूल्य : रुपये लाखों में)			
1990-91	185	106.59	-	-	26	14.98
	(10)	(5.76)	(-)	(-)	(-)	(-)
1991-92	10	5.76	26	14.98	-	-
	(35)	(20.17)	(11)	(6.34)	(12)	(6.92)
1992-93	-	-	-	-	-	-
	(38)	(21.88)	(8)	(4.61)	(5)	(2.88)
1993-94	-	-	-	-	-	-
	(53)	(30.54)	(5)	(2.88)	(4)	(2.30)
1994-95	-	-	-	-	-	-
	(24)	(13.83)	(2)	(1.15)	(5)	(2.88)
1995-96	-	-	-	-	-	-
	(35)	(20.17)	(-)	(-)	(-)	(-)

(कोष्ठकों में दी गई संख्या उपयोजित टावर्स की संख्या है ।)

142.31 लाख रुपये की 247 टावर्स जो 1990-91 (121.57 लाख रुपये की 211) तथा 1991-92 (20.74 लाख रुपये की 36) में प्राप्त हुई थी इसके लीड टाइम के समक्ष 1995-96 तक काम में लाई गई जो आवश्यकता से अधिक सामग्री प्रापण दर्शाती है। मुख्य अभियन्ता (एम.एम.) ने बताया (मार्च 1997) कि टावर्स का अधिप्रापण डाली जाने वाली संचरण एवं निर्माण लाइनों की योजना तथा इन्हें खड़ा करने के लिए वांछित समय पर निर्भर करती है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि-

(i) निष्पादन हेतु किसी कार्य की योजना नहीं थी जिनमें इन टावर्स की आवश्यकता हो इसलिए मुख्य अभियन्ता, परियोजना आयोजना तथा अनुश्रवण (पी.पी.एम.) से कोई मांग नहीं थी,

(ii) वर्ष 1989-90 की आयोजना में प्रस्तावित लाईनें 1992-93 में पूर्ण हो गई थी, तथा

(iii) अधिकतम प्रतिस्थापन समय (लीड टाइम) दो वर्ष युक्तियुक्त मानते हुए 1989-90 में आवश्यकता से अधिक टावरों के प्रापण से 1991-92 से 1995-96 तक 4 से 5 वर्षो के मध्य 64.20 लाख रुपये के परिणामी ब्याज के साथ कुल 130.21 लाख रुपये की निधियां अवरूद्ध रही तथा अपक्षय भी हुआ।

(ख) निम्नलिखित तालिका, डी.टाइप 132 के.वी. सिंगल सर्किट (एस./सी.) टावर्स जो 1993-94 से 1995-96 के आदेशों के समक्ष प्राप्त हुई तथा 1993-94 से 1995-96 के वर्षो के दौरान उपयोग में ली गई, की स्थिति दर्शाती है :

		'डी-टावर्स'		
वर्ष	प्रारम्भिक शेष संख्या में	प्राप्तियाँ संख्या में	उपयोग में ली गई संख्या	अन्तिम शेष संख्या में
1993-94	3	70	44	29
	(2.21)	(51.50)	(32.37)	(21.34)
1994-95	29	50	33	46
	(21.34)	(36.78)	(24.27)	(33.85)
1995-96	46	117	15	148
	(33.85)	(86.07)	(11.04)	(108.88)
1996-97	148	-	4	144
	(108.88)	-	(2.94)	(105.94)

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े टावर्स का मूल्य लाख रुपये में दर्शाते है।))।

इस प्रकार 1993-94 से 1995-96 के मध्य प्राप्त की गई 237 टावरों के समक्ष केवल 93 टावरों का 1996-97 तक उपयोग हुआ (प्रारम्भिक स्टॉक की 3 टावरों का उपयोग छोड़कर) तथा 105.94 लाख रुपये मूल्य की शेष 144 टावर्स मार्च 1997 के अन्त में स्टॉक में पड़ी हुई थी। पर्याप्त आवश्यकता के अभाव में 1995-96 में 86.07 लाख रुपये की 117 टावरों की और प्राप्ति अनौचित्यपूर्ण थी जिसके कारण इस राशि तक निधियां अवरूद्ध रही जिससे मण्डल को 30.99 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई। मुख्य अभियन्ता (एम.एम.) ने बताया (मार्च 1997) कि वार्षिक योजना में तीन 132 के.वी. एस./सी.लाइनों की प्राथमिकता में परिवर्तन के कारण जब कभी भी क्षेत्रों से माँग प्राप्त होगी इस सामग्री का उपयोग कर लिया जायेगा। यह इंगित करता है कि आवश्यक मांग का उचित निर्धारण किये बिना टावर्स का प्रापण किया गया।

(ग) 220 के.वी. एस./सी.लाइनों के लिए 'टी.टी.डी.'टाइप 120 टावर्स मार्च 1995 में प्राप्त की गई जिसमें से 1996-97 में केवल 13 उपयोग में ली गई तथा 124 लाख रुपये मूल्य की शेष 107 टावर्स अनुपयोजित पड़ी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप 124 लाख रुपये मूल्य की निधियां अवरूद्ध हो गई तथा 44.64 लाख रुपये के परिणामी ब्याज की हानि हुई। निकट भविष्य में भी इनके उपयोग की संभावना बहुत कम है क्योंकि उपर्युक्त एस./सी. लाइनों का कार्य बन्द कर दिया गया है तथा योजना प्रस्तावों से भी निकाल दिया गया है।

3.5.1.2 पी.जी.क्लेम्प्स् (पी टू पी)

टी. एण्ड सी.सी.भण्डारों (हीरापुरा तथा ब्यावर) में 31 मार्च 1995 को 320 पी.जी. क्लेम्प्स् पड़े हुए थे। इसके बाद में 29,902 तथा 4,277 क्लेम्प्स् क्रमशः 1995-96 तथा 1996-97 में प्राप्त किये गये जबकि 1995-96 तथा 1996-97 में केवल 8259 तथा 10,706 जारी किये गये जिससे मार्च 1997 के अन्त में 15,534 क्लेम्प्स् शेष रह गये । इस प्रकार 1996-97 में 6.23 लाख रुपये मूल्य के 4,277 पी.जी. क्लेम्प्स् का क्रय आवश्यक नहीं था और इसके परिणामस्वरूप इस राशि तक निधियां अवरूद्ध हो गई ।

3.5.1.3 टी.क्लेम्प्स् (पी टू पी)

टी. एण्ड सी.सी.भण्डारों (हीरापुरा तथा ब्यावर) में 1994-95 से 1996-97 के वर्षो के दौरान 20,399 टी.क्लेम्प्स् प्राप्त किये गये (1994-95 में 2698, 1995-96 में 6,392 तथा 1996-97 में 11,309) जिनमें से इन वर्षो के दौरान कुल 8,776 क्लेम्प्स् जारी हुए (1994-95 में 548, 1995-96 में 4,862 तथा 1996-97 में 3,366) जिससे मार्च 1997 के अन्त में 11,623 टी.क्लेम्प्स् शेष रह गये । इस प्रकार, 1996-97 में 14.02 लाख रुपये मूल्य के 11,309 क्लेम्प्स् का क्रय अनुचित था जिसके कारण इस सीमा तक निधियां अवरूद्ध रहीं ।

3.5.1.4 कन्ट्रोल केबल्स्

विभिन्न आकारों के कन्ट्रोल केबल्स का क्रय आवश्यकता से अधिक किया गया जिसके कारण टी. एण्ड सी.सी.भण्डारों में अत्यधिक मात्रा में कन्ट्रोल केबल्स एकत्रित हो गये जैसा कि नीचे बताया गया है :

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियां	जारी	अन्तिम शेष
			(कि.मी. में)	
कन्ट्रोल केबल 4x4 एम.एम.				
1994-95	-	100.851	100.591	0.260
1995-96	0.260	325.954	172.828	153.386
1996-97	153.386	573.038	178.542	547.882
कन्ट्रोल केबल 4x6 एम.एम.				
1994-95	7.889	30.736	10.861	27.764
1995-96	27.764	92.284	50.483	69.565
1996-97	69.565	18.887	13.177	75.275

परवर्ती वर्षो की मांग पूर्ति हेतु 1995-96 के अन्त में कन्ट्रोल केबल्स का पर्याप्त स्टॉक था इसलिए 204.91 लाख रुपये मूल्य के 4x4 एम.एम.के 422.038 किलोमीटर केबल्स (573.038 कि.मी. में से घटाये 151 कि.मी. प्रतिवर्ष औसत खपत) तथा 9.04 लाख रुपये मूल्य के 4x6 एम.एम.के 18.887 कि.मी. केबल्स का क्रय औचित्यपूर्ण नहीं था जिसके कारण 213.95 लाख रुपये की सीमा तक निधियां अवरूद्ध हुई।

> आवश्यकता से अधिक विभिन्न प्रकार की केबल्स क्रय करने से 2.14 करोड़ रुपये की निधियाँ अवरूद्ध हो गयी।

3.5.2 सिंगल फेज इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर का अविवेकपूर्ण क्रय

यद्यपि इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटरों की मांग नहीं थी, अधीक्षण अभियंता (प्रापण-I) ने अपने आप, बिना मांग का आकलन किये तथा बिना नई निविदाएं आमंत्रित किये, इण्डेक्टिव मेकेनिकल टाइप मीटर क्रय के लिये उपर्युक्त पूछताछ (टी एन 1514) में भाग लेने वाले (अप्रैल 1994) निविदाकार से आई.एस./13779/1993 अथवा नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समनुरूप इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक सिंगल फेज मीटर के लिये प्रस्ताव करने का अनुरोध किया (जून 1994)। तीन फर्मो, ने जो इस क्षेत्र में नई थी तथा जिन्हें किसी भी विद्युत मण्डल को पूर्व में इलक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर की आपूर्ति तथा निर्माण का अनुभव नहीं था, अपनी दरें 1000 रुपये प्रति मीटर उद्धरित की जिनके साथ विनिर्दिष्ट विशिष्टताओं के समनुरूप गारेन्टेड टेक्नीकल पेरामीटर/टाइप टेस्ट प्रमाण पत्रों का विवरण नहीं था। ।

इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर की ऊँची दरों तथा टाइप टेस्ट प्रमाण पत्रों की मूल आवश्यकता के अभाव तथा मुख्य अभियन्ता (एम. एण्ड पी.) द्वारा अक्टूबर 1994 में बताए जाने के बावजूद भी अधीक्षण अभियन्ता (प्रापण-I) ने इस प्रकार के मीटर का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर की बहुत कम मात्रा में क्रय का प्रस्ताव किया (दिसम्बर 1994)। विद्युत मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों ने इस तर्क के आधार पर कि इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर के अधिक सही होने के कारण इनके प्रस्थापन से मण्डल को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, विकास हाइब्रिड्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बैंगलोर (वी.एच.ई.एल.) से दो लाख इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर क्रय करने का निर्णय लिया (जनवरी 1995)।

दो लाख मीटरों के आदेश (मार्च 1995) के समक्ष वी.एच.ई.एल. ने 1800 लाख रुपये मूल्य के 1.80 लाख मीटर जून 1995 तथा मार्च 1997 के मध्य आपूर्त किये और इसी मध्य सितम्बर 1996 तक 1,03,469 मीटर उपयोगार्थ जारी हुये। प्रयोग में लाये जाने पर इन मीटरों में कई कमियां ध्यान में आई। मण्डल ने सितम्बर 1996 में इच्छा व्यक्त की, कि मीटर स्थाई रूप से क्षतिग्रस्त होने तक यह इमेक्स से ऊपर किसी भी करन्ट पर कार्य करने चाहिये तथा मीटर को सामान्य लोड पर

आई.एस. स्पेक्स के भीतर पोजिटिव साइड पर लगभग शून्य प्रतिशत बर्ताव करना चाहिये। इसे प्राप्त करने के लिए वी.एच.ई.एल. द्वारा मण्डल की सलाह पर कुछ मीटरों में परिर्वतन किया गया लेकिन परीक्षण के समय मण्डल के ध्यान में आया कि इन मीटरों का व्यवहार अभी भी त्रुटिपूर्ण था। वी.एच.ई.एल. को बाद में अक्टूबर 1996 में सन्दर्भित करने पर वी .एच. ई. एल. ने सूचित किया (7 अक्टूबर 1996) कि यह मीटर यू.पी.एफ./0.8 लैगिंग पी.एफ. पर अधिकतम 20 एम्पीयर के लिए बनाये गये थे तथा अभिकल्पित प्राचलों के कारण इस सीमा से आगे परिशुद्धता की गारन्टी नहीं दी जा सकती। इसलिये जिस उद्देश्य के साथ इन मीटरों को खरीदा गया था इसके अपर्याप्त अभिकल्पित प्राचलों के कारण इसे प्राप्त नही किया जा सका।

त्रुटियों की अधिक प्रतिशतता को ध्यान में रखतें हुये मण्डल ने सभी भण्डारों को निर्देश जारी किये (सितम्बर 1996) कि इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर ओ. एण्ड एम. उपखण्डों को उपयोगार्थ जारी नहीं किये जाये तथा वी.एच.ई.एल. से 80,983 मीटरों की मरम्मत/संशोधन कार्य करने के लिए कहा (अक्टूबर 1996)। वी.एच.ई.एल. ने 11 अगस्त 1997 तक सभी मीटर संशोधित कर दिये तथा 990.17 लाख रुपये मूल्य के शेष 99,017 मीटरों के संशोधन के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई (सितम्बर 1997)।

अनुभवहीन फर्म से इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटरों के अविवेकपूर्ण क्रय से मण्डल न केवल अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के अपने उद्देश्य में असफल रहा अपितु 18 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय भी किया ।

इस प्रकार अनुभवहीन फर्मो से इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटरों की खरीद तथा मुख्य अभियन्ता (एम. एण्ड पी.) तथा अधीक्षण अभियन्ता (प्रापण-I) की सलाह को अनदेखा करने से मण्डल न केवल इन मीटरों की प्रस्थापना से अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा बल्कि इन मीटरों के क्रय पर कुल व्यय हुई 1800 लाख रुपये की लागत भी निष्फल सिद्ध हुई क्योंकि इनमें अभिकल्पित प्राचल नही थे। इसके अतिरिक्त इन मीटरों के लिए खुली निविदाएँ आंमत्रित नहीं किये जाने से इनके मूल्य की तुलनात्मकता/औचित्यता को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.5.3 अतिरिक्त व्यय

मण्डल ने पोलिफेज इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर के क्रय हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित नहीं करके जिन निविदाकारों ने अप्रेल 1994 में सामान्य पोलिफेज एनर्जी मीटर के लिये मांगी गई टी.एन.1516 निविदा सूचना में भाग लिया था उनसे पोलिफेज इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर की दरें उद्धरित करने का अनुरोध किया (जून 1994)। पूर्णकालिक सदस्यों ने न्यूनतम निविदाकार जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(जे.एम.ई.एल.) से गंतव्य पर 2,375 रुपये प्रतिमीटर की निश्चित दर से 10,000 पोलिफेज इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर क्रय करने का निर्णय लिया (जून 1995)। जे.एम.इ.एल. को इस शर्त के साथ आदेश दिया (अक्टूबर 1995) कि संपूर्ण आपूर्ति 19 जून 1996 तक कर दी जायेगी।

इसके पश्चात मण्डल ने एक लाख पोलिफेज इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर टी. एन. 1560 के अन्तर्गत आपूर्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (दिसम्बर 1995) जो 16 जनवरी 1996 को खोली गई। जे.एम.ई.एल. ने उपर्युक्त निविदा में भी भाग लिया था तथा उन्होंने अपनी दर 2069 रुपये प्रति मीटर गंतव्य पर उद्धरित की थी जिसे समझौता वार्ता के पश्चात घटाकर 2000 रुपये कर दिया था। तथापि, मण्डल ने दिसम्बर 1995 में आमंत्रित निविदा के समक्ष क्रय करते समय जे.एम.ई.एल. को अक्टूबर 1995 के पूर्व आदेशों पर परवर्ती निविदा में उद्धरित दरों के अनुसार आपूर्ति करने का दबाव नहीं डाला। जे.एम.ई.एल. अक्टूबर 1995 के आदेशों के समक्ष निर्धारित समय तक केवल 1,950 मीटर आपूर्त कर सका तथा इस आदेश के शेष 8,050 मीटर की मात्रा अगस्त 1996 में रद्द कर दी गई।

समझौता वार्ता के बाद पूर्णकालिक सदस्यों ने दिसम्बर 1995 में आमंत्रित निविदाओं के समक्ष 23,000 पोलिफेज इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटर जे.एम.ई.एल. सहित चार फर्मो से 2000 रुपये प्रति मीटर की दर से क्रय करने का निर्णय लिया (9 अक्टूबर 1996) तथा 28 फरवरी 1997 को आदेश दिया गया।

इस प्रकार बिना निविदा आमंत्रित किये 1,950 पोलिफेज इलेक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटरों के क्रय के परिणामस्वरूप 375 रुपये प्रति मीटर की ऊंची दर से भुगतान करना पड़ा। जब इन दरों की तुलना समान प्रकार के मीटर, जो उसी आपूर्तिकर्ता को बाद में दिये गये क्रयादेशो की दरों से की जाये तो मण्डल को 7.31 लाख रुपये का परिणामी अतिरिक्त व्यय हुआ।

3.5.4 एल.टी.बाइवेक्टर मीटरों के क्रय पर परिहार्य/अतिरिक्त व्यय

मध्यम औद्योगिक ऊर्जा (एम.आई.पी.) उपभोक्ताओं के ऊर्जा घटक सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से मुख्य अभियन्ता (एम. एण्ड पी.) ने मुख्य अभियन्ता (एम.एम.) को अपनी आवश्यकता के अधिकतम मांग संकेतक (एम.डी.आई.) सहित 286 के.वी.ए.एच. मीटर तथा बिना एम.डी.आई. के 1865 के.वी.ए.एच. मीटर के क्रय करने हेतु लिखा (3 सितम्बर 1993)। उपर्युक्त विशिष्टताओं वाले मीटर की आवश्यकता के विपरीत मुख्य अभियन्ता स्तर की क्रय समिति ने एल.टी. बाइवेक्टर मीटर क्रय करने का निर्णय लिया (मई 1993) तथा सिमको इन्जिनियरिंग लिमिटेड, त्रिची को 3420 रुपये प्रति मीटर के विनिर्माण मूल्य की दर से 2000 एल.टी. बाइवेक्टर मीटर (सामान्य प्रोजेक्सन में के.डब्ल्यू.एच. तथा के.वी.ए.एच.) की आपूर्ति हेतु क्रयादेश दिया (19 अक्टूबर 1993)। मुख्य अभियन्ता (एम. एण्ड पी.) ने मुख्य अभियन्ता (एम.एम.) को बताया (दिसम्बर 1993) कि के.वी.ए.एच. मीटर की आवश्यकता के समक्ष बाइवेक्टर मीटर का आदेश दिया जाना गलती थी जिसे एम.एम.

शाखा के अधीक्षण अभियन्ता (एस.एस.पी.सी.) ने स्वीकार कर लिया था जिसने बाद में बताया कि यदि मामले को नये सिरे से चालू किया जाये तो के.वी.ए.एच. मीटर प्राप्त करने में विलम्ब होगा। प्राप्त हुये बाइवेक्टर मीटर को मध्यम औद्योगिक ऊर्जा उपभोक्ताओं के परिसरों में लगा दिया गया तथा उनके वहाँ से के.डब्ल्यू.एच. मीटर (सी.टी. चालित) हटाकर लघु उद्योग (एस.आई.) उपभोक्ताओ/अघरेलू (एन.डी.) उपभोक्ताओं के परिसरों में लगा दिये गये जहां सामान्य के.डब्ल्यू.एच. (थ्री फेज) मीटर काम में लिये जा सकते थे।

इस प्रकार के.वी.ए.एच. मीटर की विशिष्ट मांग के समक्ष बाइवेक्टर मीटर का क्रय अविवेकपूर्ण था क्योंकि जो कार्य कम मूल्य (2342 रुपये प्रति मीटर) के के.वी.ए.एच. मीटर लगाने से हो सकता था उसे ऊंची कीमत के (3420 रुपये प्रति मीटर) बाइवेक्टर मीटर लगाकर किया गया।

> के.वी.ए.एच. मीटर की विशिष्ट मांग के समक्ष बाईवेक्टर मीटर के क्रय के परिणामस्वरूप 0.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इससे न केवल के.वी.ए.एच. मीटर के स्थान पर 2000 बाइवेक्टर मीटर के क्रय पर 21.56 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ अपितु इसके परिणामस्वरूप, जहां निम्न रेटिंग थ्री फेज के.डब्ल्यू.एच. मीटर (मूल्य: 840 रुपये प्रति मीटर) काम में लाये जा सकते थे वहां 2000 ऊंची रेटिंग सी. टी. प्रचालित के.डब्ल्यू.एच. मीटर (मूल्य: 1050 रुपये प्रति मीटर) काम में लेने से 4.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3.5.5 11/0.4 के.वी.उपकेन्द्र ढांचा (स्ट्रक्चर्स) प्रापण पर अतिरिक्त व्यय

क्षेत्रीय इकाइयों की निर्मित स्टील सामग्री की आवश्यकता पूर्ति करने के लिये मण्डल ने विभिन्न स्टील आपूर्तिकर्ताओं से स्टील खरीदा तथा बाजार में निर्माताओं से रूपान्तरण आधार पर इसे निर्मित करवाने की व्यवस्था की। यह तरीका 1994-95 तक जारी रहा। तथापि 1995-96 से यह तरीका छोड़ दिया गया तथा मण्डल ने इसे बदलकर संयुक्त आधार पर ठेका देने की प्रणाली अपना ली। तद्नुसार, 1995-96 के लिये निर्मित स्टील ढांचों की मांग पूर्ति के लिये मण्डल ने 11/0.4 के.वी. उप केन्द्र ढांचों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित (अगस्त 1995) करने के बाद (जो 12 सितम्बर 1995 को खोले गये) 4265.505 मेट्रिक टन निर्मित ढांचों के लिये परिवहन सहित राजस्थान में कही भी समायोजित मूल्य 19,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से संयुक्त आधार पर आदेश दिया। इस सामग्री को अक्टूबर 1996 तक आपूर्त किया जाना था। तथापि मार्च 1997 तक 3848.808 मे.ट.निर्मित ढांचे प्राप्त हुये थे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा करने पर प्रकट हुआ कि रूपान्तरण आधार के स्थान पर उप केन्द्र ढांचों के संयुक्त आधार पर प्रापण करने के मण्डल के निर्णय से लागत मितव्ययता की जांच किये बिना आदेश दिये जाने से 2273 रुपये प्रति मेट्रिक टन का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार, मण्डल ने संयुक्त आधार पर 3848.808 मेट्रिक टन निर्मित ढांचों के प्रापण पर 87.48 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

> उप केन्द्र ढांचों के क्रय करने में अविवेकपूर्ण निर्णय लेने से 0.87 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मुख्य अभियन्ता (एम.एम.) ने बताया (अप्रेल 1997)कि कृषि कनेक्शनों को जारी करने के लिये अपनाई गई नई नीति के कारण ढांचों की अतिरिक्त मांग की पूर्ति करने के लिये स्टील (एम.एस.चैनल) की कमी, स्टील आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अग्रिम भुगतान का दावा करने तथा उप केन्द्र ढांचों के सभी भागों की अनुपलब्धता के कारण मण्डल को नई प्रणाली अपनाने को बाध्य होना पड़ा। उपर्युक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्टील की कोई कमी नहीं थी (जैसा कि 'सेल' द्वारा सितम्बर 1995 में पुष्टि की गई) तथा पुरानी प्रणाली से पर्याप्त संख्या में ढांचे बनाने वालों को लगाकर उपकेन्द्र ढांचे बनाये जा सकते थे।

3.5.6 120 के.वी. लाइटनिंग अरेस्टर के क्रय हेतु अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण अतिरिक्त व्यय

पचास 120 के.वी. लाइटनिंग अरेस्टर (एल.ए.) के क्रय हेतु 43164.06 रुपये प्रति एल.ए. की दर से एशिया ब्राउन बोवेरी लिमिटेड (ए.बी.बी.), वडौदरा को एक आदेश (टी.एन. 2385) दिया गया (जनवरी 1995)। यह मूल्य 1 मई 1994 के आधार आंकड़ों के साथ परिवर्तनीय था तथा सामग्री को 25 अगस्त 1995 तक आपूर्त करना था।

ए.बी.बी. ने 25 अगस्त 1995 को चौबीस 120 के.वी. के एल.ए. का निरीक्षण करने का प्रस्ताव किया। प्रस्तुत सामग्री के निरीक्षण हेतु 27 अगस्त 1995 को एक निरीक्षण अधिकारी को लगाया गया परंतु आपूर्तिकर्ता ने सामग्री को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, सामग्री आपूर्त करने की निर्धारित तिथि अर्थात् 25 अगस्त 1995, समाप्त होने के बाद आपूतिकर्ता ने 50 एल.ए. 27 सितम्बर 1995 को निरीक्षण के लिए पुनःप्रस्तुत किया जिनका 10 अक्टूबर 1995 को निरीक्षण किया गया तथा फरवरी 1996 में सुपुर्दगी ले ली गई। आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री को निर्धारित अवधि के भीतर आपूर्त करने में असफल रहने के बावजूद तथा उसी सामग्री के 25 अगस्त 1995 को खोले गये

> ऊंची दरों पर लाइटनिंग अरेस्टर्स क्रय करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 0.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

टी.एन.-2419 के तहत असामान्य रूप से कम मूल्य (29699.77 रुपये प्रति 120 के.वी. एल.ए.)पर उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुये मण्डल ने आदेश को निरस्त नहीं किया तथा कम मूल्य का लाभ नहीं उठाया। इस प्रकार, मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता, उपकेन्द्र प्रापण वृत्त (एस.एस.पी.सी.) का केवल इस आधार पर निर्णय (जनवरी 1996) कि टी.एन. 2385 के तहत सामग्री पूर्ति इसलिए स्वीकार कर ली गई थी कि प्रस्तावित सामग्री का निरीक्षण नये टी.एन. 2419 के तहत जारी आशय-पत्र से पहले कर लिया गया था, अविवेकपूर्ण था। जिससे मण्डल को 25 अगस्त 1995 (टी.एन. 2419) के तहत प्राप्त निम्न दरों की तुलना में 12.61 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा ।

3.5.7 क्रयादेश की कार्यवाही में विलम्ब से अतिरिक्त व्यय

मण्डल ने मार्च 1994 में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से रतनगढ़ तक 170 किलोमीटर 400 के.वी. लाईन के निर्माण में प्रयुक्त करने के लिए 1800 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. 'मूज' कन्डक्टर क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जो 14 जून 1994 को खोली गई । अपार लिमिटेड, बड़ौदा का 1,23,699 रुपये प्रति किलोमीटर का प्रस्ताव न्यूनतम था ।

> निविदा को अंतिम रूप देने में देरी के कारण ए.सी.एस.आर. 'मूज' कन्डक्टर खरीदने में 1.52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

इस प्रस्ताव की वैधता का समय 12 अक्टूबर 1994 तक था जिसे 31 अक्टूबर 1994 तक बढ़ा दिया गया। वैधता समय तक क्रय आदेश देने का निर्णय नहीं लिया गया तथा पूर्णकालिक सदस्यों ने 16 दिसम्बर 1994 को दूसरे (200 किलोमीटर 1,28,945 रुपये प्रति किलोमीटर की दर पर), तीसरे (1400 किलोमीटर 1,32,815 रुपये प्रति किलोमीटर की दर पर) तथा चौथे (200 किलोमीटर 1,32,815 रुपये प्रति किलोमीटर की दर पर) निविदाकार के पक्ष में निर्णय लिया क्योंकि प्रथम न्यूनतम निविदाकार (अपार लिमिटेड, बड़ौदा) की वैधता अवधि समाप्त हो गई थी तथा निविदाकार ने मूल्य को पहले की दर 1,23,699 रुपये प्रति किलोमीटर से संशोधित करके 1,33,040 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया (नवम्बर 1994)। उपर्युक्त क्रय आदेशों के समक्ष सितम्बर 1997 तक कुल 1757.529 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. 'मूज' कन्डक्टर प्राप्त हुआ था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मण्डल द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित अधिकतम 47 दिवस के स्थान पर पूर्णकालीक सदस्यों ने उपर्युक्त निविदा को अंतिम रूप देने में 185 दिवस का समय लिया । इस प्रकार वैधता

अवधि में निविदा को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण मण्डल को 1757.529 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. 'मूज' कन्डक्टर खरीदने में 152.48 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ।

मुख्य अभियन्ता (एम.एम.) ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 1997) कि पूर्णकालिक सदस्यों की पूर्व व्यस्तता के कारण उनकी बैठक नहीं होने से निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथा इस लाईन से सम्बन्धित अन्य ठेकों को अंतिम रूप देना लम्बित रहते इस निविदा को दूसरी वरीयता दी गई ।

उपर्युक्त उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि मण्डल ने ऐसी निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर रखी है और विशेषतया जब विशाल वित्तीय प्रभाव समाहित हो तब इसका पालन किया जाना चाहिए ।

3.5.8 निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब से अतिरिक्त व्यय

विभिन्न आकारों के 2/4 कोर पी.वी.सी. केबल क्रय करने हेतु 13 जून 1995 को निविदाएं खोली गई जिसके समक्ष 12 प्रस्ताव (2 अगस्त 1995 तक वैध) प्राप्त हुए । नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.एस.आई.सी.एल.), नोयेडा का प्रस्ताव 4X25 एम.एम. आकार को छोड़कर सभी आकारों के लिए न्यूनतम था ।

इस मामले में प्रत्याशित विलम्ब को देखते हुए निविदाकारों को उनके प्रस्ताव की वैधता 15 सितम्बर 1995 तक बढ़ाने के लिए कहा गया (25 जुलाई 1995)। एनएसआईसीएल को छोड़कर सभी निविदाकारों ने अपने प्रस्तावों की वैधता बढ़ा दी ।

पूर्णकालिक सदस्यों ने एन.एस.आई.सी.एल., नोयेडा से अलग पांच फर्मो को संशोधित समायोजित मूल्य पर आदेश देने का निर्णय लिया (15 सितम्बर 1995) तथा तद्नुसार 11 अक्टूबर 1995 को आदेश दे दिये गये तथा जुलाई 1996 तक आपूर्ति पूर्ण हो गई ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मण्डल द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने हेतु निर्धारित 47 दिवस के समक्ष लिया गया समय 84 दिवस (15 सितम्बर 1995) था जो मुख्यतया मामले की कार्यवाही में प्रत्येक स्तर पर देरी के कारण था। इस प्रकार इस देरी के कारण 50 दिवस तक (13 जून 1995 से 2 अगस्त 1995) वैध एन.एस.आई.सी.एल. के न्यूनतम प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका तथा पी.वी.सी. केबल्स को 8.62 लाख रुपये के अतिरिक्त मूल्य पर खरीदना पड़ा ।

मुख्य अभियंता (एम.एम.) ने बताया (मार्च 1997) कि मुख्य अभियंता (एम. एम.) के अवकाश पर चले जाने तथा अध्यक्ष के 5 जुलाई 1995 से 2 अगस्त 1995 तक विदेश यात्रा पर रहने के कारण विलम्ब अपरिहार्य था।

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जो विदेश यात्रा पर चले गये थे, मामलें को पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जा सकता था क्योंकि उन्हें अध्यक्ष द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (5 जुलाई 1995) के अनुसार मण्डल का कार्य करना था ।

3.5.9 प्रतिदाय अनुमत करने/ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन (मूल्यों में गिरावट) का दावा नहीं करनें का अविवेकपूर्ण निर्णय

मण्डल ने जुलाई 1994 तथा जून 1995 में टी.एन. 1499 तथा टी.एन.1532 के तहत ए.सी.एस.आर. के 'वीजल' तथा 'डोग' कन्डकटर आपूर्ति हेतु क्रय आदेश दिये । इनका मूल्य क्रमशः जून 1993 तथा मार्च 1994 के आधार मूल्य के अनुसार परिवर्तनीय था ।

केबल एण्ड कन्डकटर्स मैन्युफैक्चर्स एशोसियेशन ऑफ इण्डिया (सी.ए.सी.एम.ए.आई.) ने 26 जुलाई 1995 को मध्यम तथा उच्च कार्बन स्टील वायर रोड (बिलेट रूट) का 1 जनवरी 1995 से प्रभावी ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन सूचित किया। इसके परिणामस्वरूप 118.31 लाख रुपये की राशि वसूलनीय हो गई जिसे जनवरी 1995 से जुलाई 1995 तक की गई आपूर्तियों के भुगतान में समायोजित करके विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर लिया गया (अक्टूबर तथा नवम्बर 1995)।

इसके बाद सी.ए.सी.एम.ए.आई. ने 17 अक्टूबर 1995 को बताया कि मध्यम तथा उच्च कार्बन स्टील वायर रोड तथा हाई टेनसाइल गेल्वेनाइज्ड स्टील कोर वायर के मध्य इसकी अभिकल्पन, गेल्वेनाइजेशन आदि की लागत को हिसाब में लेने के बाद मूल्य में कोई सीधी समानता नहीं है और इसलिए उच्च कार्बन वायर रोड का मूल्य 1 जनवरी 1995 से 27 जुलाई 1995 तक स्थिर समझा जाए । इसके आधार पर आपूर्तिकर्ताओं ने पहले वसूल की गई राशि के प्रतिदाय करने का विवाद किया । इस मामले पर मण्डल की शिकायत समिति ने 4 दिसम्बर 1995 को विचार किया तथा राशि के प्रतिदाय का निर्णय लिया गया । तदनुसार यह राशि दिसम्बर 1995 के बाद प्रतिदाय कर दी गई । तथापि, पहले काटी गई राशि को किस आधार पर समिति ने प्रतिदाय करने का निर्णय लिया, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं हुए ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्यम तथा उच्च कार्बन स्टील वायर रोड के लिए मुकुन्द लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मूल्यों के सन्दर्भ में स्टील मूल्यों में परिवर्तन का भुगतान किया जा रहा था जिसका मण्डल द्वारा सभी मामलों में पूर्णतया पालन किया जा रहा था । इसके अतिरिक्त मुकुन्द लिमिटेड द्वारा अधिसूचित मूल्य के आधार पर कन्डक्टरों के मामलों में स्टील रोड की कीमतों में कमी से ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन के आधार पर महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल द्वारा भी

आपूर्तिकर्ताओं से जनवरी 1995 के पूर्ववर्ती प्रभाव से वसूल की गई थी जैसा कि मण्डल द्वारा पूछताछ (जुलाई/अगस्त 1996) की गई थी ।

> मण्डल द्वारा प्रतिदाय अनुमत करना/ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन की राशि का दावा नहीं करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण आपूर्तिकर्ताओं से 3.35 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो सकी ।

इस प्रकार, शिकायत समिति का ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन की राशि का प्रतिदाय अनुमत करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप इस बाबत ए.सी.एस.आर. के 'वीजल' तथा 'डोग' कण्डक्टर्स के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से 118.31 लाख रुपये की वसूली नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी 1995 के बाद आपूरित ई.एच.वी. कण्डक्टर्स, जी.एस.एस. वायर तथा पी.सी.सी. पोल्स के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से 216.69 लाख रुपये के ऋणात्मक मूल्य परिवर्तन भी वसूलनीय हो गया (जैसाकि मण्डल द्वारा अप्रेल 1997 में निकाला गया), जिसके लिये मण्डल ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की (सितम्बर 1997)।

पूर्णकालिक सदस्यों ने सी.ए.सी.एम.ए.आई. के 17 अक्टूबर 1995 के परिपत्र की उपेक्षा करने का निर्णय लिया (अगस्त 1997) क्योंकि यह आपूर्तिकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेरित था तथा आपूर्तिकर्ताओं से वसूली को प्रभावित करने वाला था। तथापि, इसकी वसूली के लिये कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई (सितम्बर 1997)।

3.6 सामग्री/सहायक सामग्री के अभाव में संचरण, निर्माण तथा वितरण कार्यो के निष्पादन में विलम्ब

मण्डल द्वारा अपने अधिकारियों को सामग्री के आवक-जावक पर चयनात्मक नियन्त्रण रखने में सक्षम बनाने हेतु सामग्री का ए.बी.सी. विश्लेषण नहीं किया गया।

लम्बित आपूर्तियों के लिये एम.एम. शाखा द्वारा प्रभावी अनुसरण नहीं किया गया तथा आपूर्तियां विलम्ब से प्राप्त हुई जिसके कारण 1992-93 से 1996-97 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के पूर्ण होने में परिणामी विलम्ब हुआ जैसा कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा एम.एम. शाखा को समय-समय पर सूचित किया गया था। निर्धारित समय सारणी के दौरान पूर्ण नहीं हो सकने वाली कुछ परियोजनाओं/ कार्यो का विवरण अनुबन्ध VIII में दिया गया है।

3.6.1 पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेसन के चालू होने में विलम्ब

पावर लाइन कैरियर कम्यूनिकेसन (पी.एल.सी.सी.) को समय से चालू करने के लिए एक्स्ट्रा हाई टेनसन (इ.एच.टी.) सर्किट (उनकी स्थापना तथा चालू होने सहित) तथा विभिन्न स्थलों पर प्रस्तावित 220/132 के.वी. इ.एच.टी. लाइनों से सम्बन्धित संचार सम्पर्क स्थापित करने में पर्याप्त समन्वय का होना नितांत आवश्यक है।

> संचार सम्पर्क में विलम्ब के कारण न केवल विद्युत की निर्बाध आपूर्ति, भार स्थानान्तरित करने तथा दोष ढूंढने के मुख्य ध्येय असफल हुए अपितु इसके परिणामस्वरूप 0.45 करोड़ रुपये की निधियाँ सहायक सामग्री की प्राप्ति के अभाव में अवरूद्ध हुई।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एम.एम. शाखा को पी.एल.सी.सी. उपकरणों की मांग 1992-93 में प्रेषित की गई थी लेकिन इनके लिये क्रय आदेश इनकी मांग प्राप्ति से 2 से 3 वर्ष बाद जारी किये गये तथा मई 1996 तथा फरवरी 1997 के मध्य प्राप्त हुऐ। यह विलम्ब संचार मंत्रालय के वायरलेस सलाहकार से फ्रिक्वेन्सी आवंटन का अनुमोदन प्राप्त करने में देरी के कारण हुआ। 220/132 के.वी. इ.एच.टी. कार्यो की निष्पादन सारणी तथा पी.एल.सी.सी. तथा अन्य सहायक सामग्री के प्रापण में उचित समन्वय के अभाव में 38 लाइने, जो 1992-93 से 1996-97 के दौरान पूर्ण हो गई थी तथा ऊर्जाकृत हो गई थी, संचार सम्पर्क स्थापित करने के लिए नहीं जोड़ी जा सकी। इस प्रकार, संचार सम्पर्क में विलम्ब के कारण न केवल विद्युत की निर्बाध आपूर्ति, भार को स्थानान्तरण करने तथा दोष ढूंढने आदि का मुख्य ध्येय ही असफल हुआ अपितु सामग्री क्रय पर मई 1996 से अब तक (मई 1997) सहायक सामग्री की प्राप्ति के अभाव में 45.33 लाख रुपये की निधियां अवरूद्ध हुई।

3.7 फील्ड में आवश्यकता से अधिक क्रय

3.7.1 मीटर टर्मिनल ब्लाक्स का क्रय

मुख्य अभियन्ता (एम एण्ड पी) ने विभिन्न श्रेणी के मीटर टर्मिनल ब्लाक्स 14.64 लाख रुपये की लागत से खरीदे (नवम्बर 1993) जिसमें से 9.65 लाख रुपये की सामग्री भण्डारों में पड़ी हुई थी। लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 1996 में बताये जाने पर इस सामग्री को मीटर प्रयोगशाला, जयपुर को जारी कर दिया गया जहां यह अप्रयुक्त पड़ी हुई थी (मई 1997)। इसके परिणामस्वरूप सामग्री में मई 1997 तक अवरूद्ध रही 9.65 लाख रुपये की निधियों पर 5.50 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

3.7.2 वृत सामग्री की त्वरित आवश्यकता पूर्ति के लिये प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर, बीकानेर, कोटा तथा अधिशाषी अभियन्ता, हिण्डोन ने आवश्यकता से अधिक 20.09 लाख रुपये मूल्य की सामग्री क्रय (1983-84 से 1994-95 के मध्य) की जिसके कारण क्रय करने की दिनांक से मई 1997 तक इस सीमा तक निधियां अवरूद्ध रहीं जिससे 26.84 लाख रुपये ब्याज की परिणामी हानि हुई।

> विभिन्न फिल्ड कार्यालयों द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में सामग्री क्रय से 0.20 करोड़ रुपये की निधियाँ अवरूद्ध हुई तथा 0.27 करोड़ रुपये के परिणामी ब्याज की हानि हुई।

3.8 सामग्री नियन्त्रण

3.8.1 सामग्री धारिता

निम्नलिखित तालिका 1995-96 तक के पांच वर्षो के लिए भण्डारों का प्रारम्भिक स्टॉक, प्राप्तियां, जारी करना तथा अन्तिम स्टॉंक दर्शाती है :

वर्ष	प्रारिम्भक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान जारी	अन्तिम शेष	माह उपभोग के अनुसार अंतिम शेष
			(रुपये लाखों में)		
1991-92	4257.30	18566.18	18270.75	4552.73	2.99
1992-93	4552.73	20674.27	19649.44	5577.56	3.41
1993-94	5577.56	22454.26	21807.83	6223.99	3.42
1994-95	6223.99	25179.45	22283.32	9120.12	4.91
1995-96	9120.12	48510.37	38730.96	18899.53	5.86

सामग्री की अधिकतम तथा न्यूनतम मात्रा निर्धारित करने के अभाव में सामग्री धारिता पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा जा सका और इसके कारण 1991-92 में 3 माह उपभोग की स्टाक धारिता तीव्र रूप से बढ़कर 1995-96 में 5.86 माह उपभोग हो गई। सामग्री नियन्त्रण की प्रणाली में निम्नलिखित से सम्बन्धित कमियां पाई गई:

(i) ए.बी.सी. विश्लेषण,

(ii) सहायक सामग्री की उपलब्धता आश्वस्त करना,

(iii) सामग्री धारण लागत मालूम करना,

(iv) सामग्री काम में लेने वालों को मुख्य सामग्री प्रापण में लगने वाला 'लीड' समय सूचित करना, तथा

(v) काम में न आने वाली सामग्रियों को मालूम करने के लिए उचित प्रणाली तथा इसे अन्य उपयोग कर्ताओं को भेजना।

3.8.2 अगतिशील भण्डार सामग्री

31 अक्टूबर 1996 को 43.19 लाख रुपये की अगतिशील सामग्री आठ वृत्त भण्डारों तथा नागौर वृत्त के पांच उपखण्डों में 5 वर्ष से अधिक अवधि से पड़ी हुई थी । उनके प्रयोग/निस्तारण के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई (मई 1997)। इन भण्डार सामग्रियों का लेखापरीक्षा में विश्लेषण करने पर निम्नलिखित कमियां प्रकट हुई:

विभिन्न वृत भंडारों, उप केन्द्रों में 0.43 करोड़ रुपये की अगतिशील भण्डार सामग्री का निस्तारण 5 वर्ष से अधिक समय से प्रतीक्षित था।

(i) वृत्त भण्डार, जयपुर की सूची में सम्मिलित 1.27 लाख रुपये मूल्य के लो टेंसन करंट ट्रांसफार्मर, मीटर उपकरणों के मानकीकरण के कारण अप्रचलित हो गये थे।

(ii) 2.83 लाख रुपये मूल्य के 25 एम्पियर के 84 मिनियेचर सर्किट ब्रेकर्स (एम.सी.बी.) तथा 16 एम्पियर के 1544 एम.सी.बी वृत्त भण्डार बीकानेर में पडे हुए थे । भण्डार नियन्त्रक ने बताया (मार्च 1997) की इन एम.सी.बी की निम्न आकार क्षमता प्रयुक्ति में नही है तथा इनके निस्तारण हेतु एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा था।

(iii) वृत्त भण्डार, बीकानेर मे 3.40 लाख रुपये मूल्य का 5400 के.वी.ए.आर. केपीसिटर सिंगल फेस का एक सेट (अपूर्ण) 8 वर्ष से अधिक समय से पड़ा हुआ था। भण्डार नियंत्रक ने बताया (मार्च 1997) कि इसके निस्तारण हेतु सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा इसे निकट भविष्य में नीलाम किया जाएगा ।

3.8.3. गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में असामान्य विलम्ब

ट्रांसफार्मरों की खरीद आदेश में सम्मिलित सामान्य शर्त के अनुसार यदि ट्रांसफार्मर गारण्टी अवधि में खराब हो जाता है तो इसकी मरम्मत/प्रतिस्थापन इसके खराब होने की सूचना की दिनांक/फर्म की कार्यशाला में ट्रांसफार्मर की प्राप्ति के एक माह के भीतर निशुल्क करनी पड़ती है । विलम्ब के मामले में फर्म क्षतिपूर्ति के लिए दायी है । मण्डल यह अधिकार भी सुरक्षित रखता है कि ट्रांसफार्मर की लागत और/अथवा क्षतिपूर्ति को बैंक गारण्टी अथवा बकाया देय भुगतान में से वसूल कर लें।

अलवर, अजमेर, बीकानेर वृत्तों तथा भण्डार नियन्त्रक, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से यह देखा गया कि

(i) अजमेर वृत्त भण्डार से केन्द्रीय भण्डार, जयपुर को आपूर्तिकर्ता द्वारा आगे मरम्मत के लिए ले जाने हेतु 9 ट्रांसफार्मर (3.32 लाख रुपये) भेजने में 3 और 4 वर्षो के मध्य विलम्ब हुआ और इन्हें आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नहीं ले जाया गया तथा मरम्मत नहीं की गई (मई 1997) ।

(ii) 8.89 लाख रुपये के 25 पावर/डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो 1987-88 से 1995-96 के दौरान गारन्टी अवधि में असफल हो गये थे, वृत्त भण्डार, अलवर में पड़े हुये थे । इन्हें मरम्मत के लिये नहीं भेजा गया ।

(iii) आपूर्तिकर्ताओं को 1991 से जुलाई 1996 तक मरम्मत के लिये भेजे गये 92 पावर/डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (मूल्य उपलब्ध नहीं) अभी भी (मई 1997) आपूर्तिकर्ताओं के पास पड़े थे ।

(iv) 15.13 लाख रुपये मूल्य के 44 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर गारन्टी अवधि में असफल हो गये । यह अक्टूबर 1991 से जुलाई 1996 तक वृत्त भण्डार, बीकानेर में पड़े हुए थे तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मरम्मत के लिये उठाये नहीं गये थे ।

(v) 15.85 लाख रुपये मूल्य के 1 एम.वी.ए./1.6 एम.वी.ए. के चार पावर ट्रांसफार्मर तथा एक डिस्टीब्यूशन ट्रांसफार्मर गारन्टी अवधि में असफल हो गये ।यह अभी भी (मार्च 1997) आपूर्तिकर्ता (निशान, उदयपुर) के पास पड़े हुये थे ।

> गारन्टी अवधि में खराब हुये ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में तीन से चार वर्षो के मध्य असामान्य विलम्ब के कारण नये ट्रांसफार्मरों के क्रय पर वर्षानुवर्ष अतिरिक्त निवेश हुआ ।

इस प्रकार, मण्डल द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण ये ट्रांसफार्मर तीन से चार वर्ष की अवधि के मध्य तक प्रतिस्थापित/मरम्मत नहीं किये जा सके फलतः मण्डल ने अपनी विद्युत प्रणाली के सहज प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर नये ट्रांसफार्मरों के प्रापण में अतिरिक्त निवेश किया।

3.8.4 स्थल सामग्री लेखा/पूर्णता रिपोर्ट नहीं बनाना तथा अन्य कमियां

मण्डल की सामग्री नियन्त्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियां ध्यान में आई :

(i) स्थल सामग्री लेखा तथा कार्यपूर्ण होने की रिपोर्ट नहीं बनाई गई जिसके अभाव में वास्तव में उपयोजित सामग्री तथा कार्य स्थल पर पडी हुई शेष सामग्री सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

(ii) स्थानान्तरण होने पर उप-खण्डों से कनिष्ठ अभियन्ताओं को उन्हें जारी सामग्री का लेखा प्राप्त किये बिना कार्यमुक्त कर दिया गया।

(iii) मण्डल के आदेशों में कनिष्ठ अभियन्ताओं के अनुभागीय भण्डारों की सहायक अभियन्ताओं द्वारा जांच निर्धारित नहीं की गई।

(iv) स्थल भण्डारों के समय-समय पर भौतिक सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं थी।

3.8.5 भण्डार के शेष का लेखों से मिलान नहीं करना

मूल्ययुक्त भण्डार खातों के शेष का वित्तीय लेखों से मिलान नहीं किया गया। तीन इकाइयों (बाड़मेर, भीलवाड़ा तथा कोटा) के अभिलेखों की नमूना जांच से दोनों पुस्तकों में 19.83 लाख रुपये का अन्तर देखा गया (मार्च 1997)।

लेखाधिकारी (भण्डार) ने बताया (मार्च 1997) कि वृत्त भण्डार, कोटा तथा बाड़मेर के भण्डारों का अंकमिलान स्टॉफ की कमी के कारण नहीं किया जा सका। भीलवाड़ा वृत्त भण्डार में अन्तर का मिलान कर लिया गया था तथा आगे की कार्यवाही प्रगति में थी (मई 1997)।

3.8.6 विलम्ब शुल्क एवं घाट शुल्क प्रभारों का भुगतान

> मण्डल ने विलम्ब शुल्क व घाट शुल्क प्रभारों इत्यादि के 0.15 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

सात वृत्त भण्डारों तथा केन्द्रीय भण्डार, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि आर.आर./जी.टी.आर. की विलम्ब से निवृत्ति के कारण 1988-89 से 1995-96 की अवधि के दौरान विलम्ब शुल्क तथा घाट शुल्क प्रभारों के 15.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया ।

आर.आर./जी.टी.आर. को विलम्ब से निवृत्त करने के कारणों की छानबीन नहीं की गई तथा चूककर्ता कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

3.8.7 भण्डारों का भौतिक सत्यापन

> भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमी तथा आधिक्य क्रमशः 0.41 करोड़ रुपये तथा 0.69 करोड़ रुपये की भण्डार सामग्री का समायोजन जांच के विचाराधीन होते लम्बित था।

भण्डारों के वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमी तथा आधिक्य को जांच के लम्बित रहते स्टॉक सस्पेंस एकाउण्ट जैसे सामग्री स्टॉक कमी में हस्तान्तरित कर

दिया गया । इसकी जांच तथा समायोजन नहीं किया गया इसके परिणामस्वरूप 1995-96 की अवधि तक क्रमश: 69.32 लाख रुपये तथा 40.73 लाख रुपये का आधिक्य तथा कमियों का अन्तिम समायोजन किया जाना प्रतीक्षित था (मई 1997)।

इसके अतिरिक्त, भरतपुर वृत्त भण्डार की वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई बताई जिससे भण्डार में कमी तथा आधिक्य की स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

3.9 अपर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली

मण्डल में उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली में निम्नलिखित रिपोर्टिंग करने में कमियाँ पाई गई :

(i) स्थानीय खरीद एवं वांछित प्रवृति तथा उस पर लिये जाने वाले निर्णय का विवरण,

(ii) सामग्री के अभाव में रुके हुए कार्यो का विवरण,

(iii) मुख्य सामग्री के मांग पत्रों का विवरण, जिन पर तीन माह में क्रय आदेश नहीं दिये गये ,

(iv) ट्रांसफार्मर तथा मीटर, जो मरम्मत में है, उनका त्रुटियों तथा विलम्ब में वर्गीकृत विवरण,

(v) सहायक सामग्री तथा वांछित मात्रा,

(vi) तीन वर्ष से अधिक समय से उपखण्डों में अप्रयुक्त पड़े हुए प्रत्येक मद का स्टॉक शेष,

(vii) उन मदों का विवरण, जिनकी लीड समय में कमी होने की संभावना हो,

(viii) मुख्यालय से धन राशि की विलम्ब से प्राप्ति के प्रत्येक मामले, जिसके कारण विलम्ब शुल्क आदि का भुगतान हुआ,

(ix) धीमें गतिशील तथा अगतिशील मदों की रिपोर्ट, तथा

(x) प्रापण की चरणबद्ध स्थिति तथा स्टॉकधारिता की स्थिति के बारें में मण्डल को रिपोर्ट करने की प्रणाली ।

3.10 क्रय अनुसंधान

यद्यपि, इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है तथा तकनीकि बहुत तेजी से परिवर्तित/परिवर्धित हो रही है, मण्डल ने विद्युत की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने में सुधार तथा लागत मितव्ययता प्रभावित करने के लिए नवीनतम तकनीकी प्रयोग में लाने के लिए तकनीकी अनुसंधान तथा मूल्य झुकाव इत्यादि के बारे में अंदाज लगाने के लिए बाजार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं अपनाई । लेखापरीक्षा

संवीक्षा में यह देखा गया कि पी.एल.सी.सी. में नवीनतम तकनीक माईक्रो प्रोसेसर आधारित तकनीक है जबकि मण्डल अभी भी गत दस वर्षो से सादृश्य तकनीक प्रयोग में ला रहा था ।

3.11 सवाई माधोपुर (ओ.एण्डएम.) वृत्त के करौली उपखण्ड में गुम ट्रांसफार्मर/भण्डार सामग्री

(i) सहायक अभियंता, हिण्डौन द्वारा जारी मांग पत्रों के आधार पर करौली उपखण्ड के लिए वृत्त भण्डार, जयपुर से मार्च 1993 में 2.61 लाख रुपये मूल्य के पांच ट्रांसफार्मर भेजे गये थे। तथापि, ये ट्रांसफार्मर करौली उपखण्ड में प्राप्त नहीं हुए तथा इन ट्रांसफार्मर का अतापता मालूम नहीं था। अगस्त 1994 के बाद इस मामले का अनुसरण नहीं किया गया ।

(ii) 25 सितम्बर 1992 के मांग पत्र पर वृत्त भण्डार, सवाईमाधोपुर द्वारा 2.66 लाख रुपये मूल्य की भण्डार सामग्री करौली उपखण्ड को जारी की गई । इस सामग्री को करौली उपखण्ड के स्टॉक अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया ।

अधिक्षण अभियंता, सवाईमाधोपुर ने मुख्य अभियंता (ओ.एण्ड एम.), कोटा को सूचित किया (जून 1997) कि इन मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही थी।

निष्कर्ष

मण्डल प्रतिवर्ष उत्पादन भण्डारों के अलावा सामग्री क्रय पर औसत 364 करोड़ रुपये व्यय करता था जो कुल व्यय का 14 प्रतिशत था। ऐसे विशाल व्यय के लिए प्रभावी सामग्री प्रबंधन एवं भण्डार नियन्त्रण की आवश्यकता होती है। तथापि, मण्डल ने कोई सामग्री क्रय संहिता तैयार नही की और इसकी सामग्री प्रबंधन तथा भण्डार नियन्त्रण प्रणाली निम्नलिखित कमियों के कारण प्रभावी नहीं थी:

- सामग्री आवश्यकताओं का आकलन उचित तौर से नहीं करने के परिणामस्वरूप सामग्री का अधिक प्रापण हुआ जिससे विशाल निधियाँ परिणामी रूप से अवरूद्ध हुई तथा स्टॉकधारिता एकत्रित हुई,

- सामग्री प्रापण/ निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण विभिन्न कार्यो के निष्पादन में विलम्ब हुआ जिससे अतिरिक्त व्यय हुआ ;

- सामग्री क्रय के लिये अनौचित्यपूर्ण/अविवेकपूर्ण निर्णय लेने के कारण परिहार्य/अतिरिक्त/अधिक व्यय हुआ,

वैज्ञानिक तथा प्रभावी सामग्री प्रबंधन तथा भण्डार नियंत्रण के लिए मण्डल को निम्नलिखित उपाय बरतने की आवश्यकता है :

- सामग्री क्रय संहिता बनाये,

- प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करें,

- सभी शाखाओं की सामग्री आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय पूर्व सामग्री बजट तैयार करें,

- समय पर तथा सही सामग्री का उचित मूल्य पर प्रापण एवं निविदा प्रक्रिया में क्रयादेश जारी करने में देरी कम करने के लिए सामग्री प्रबन्धन समूह को सुदृढ़ करें,

- सामग्री प्रापण/उपयोजन, तकनीकि/ सामग्री गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी आदि के लिए अन्य राज्य विद्युत मण्डलों/ विद्युत उत्पादक संगठनों से पोषक जानकारी प्राप्त करने के दृष्टिकोण से एक क्रय अनुसंधान शाखा स्थापित करे,

- सामग्री के स्टॉक तथा उनके प्रयोग/निस्तारण पर नियन्त्रण रखे ।

उपर्युक्त मामले सरकार/मण्डल को जून 1997 में प्रतिवेदित किये थे, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1997) ।

अध्याय-IV

विविध रूचिकर प्रकरण

4अ. सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में

4ब. सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में

विविध रूचिकर प्रकरण

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
4अ	सरकारी कम्पनियाँ	141
4अ.1	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	141
4अ.1.1	किराये के आवास पर निष्फल व्यय	141
4अ.1.2	फास्टफूड केन्द्र 'पाथेय' का प्रतिकूल स्थान पर संचालन	142
4अ.2	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड -परिहार्य व्यय	143
4अ.3	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड -लुप्त प्रेषित धन	144
4ब	सांविधिक निगम	145
4ब.1	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	145
4ब.1.1	रामगढ़ गैस टरबाइन तापीय ऊर्जा परियोजना (जीटीपीपी) का क्रियान्वयन	145
4ब.1.2	ईंधन अधिभार के निर्धारण में देरी	148
4ब.1.3	ऊर्जा उपभोग के बिलों को बनाने में देरी	149
4ब.1.4	गलत गुणक-घटक का प्रयोग	150
4ब.1.5	मागंरोल से बाराँ तक सिंगल सर्किट लाइन के निर्माण में देरी - ऊर्जा उत्पादन में हानि	151
4ब.1.6	स्टॅब-शाफ़्ट्स की मरम्मत में देरी	152
4ब.1.7	ब्याज की हानि	154
4ब.2	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	155
4ब.2.1	ट्रीड रबर की खरीद	155
4ब.2.2	वातानुकूलित (ए.सी.) कोच निर्माण	156
4ब.2.3	ब्याज की हानि	158
4ब.3	राजस्थान वित्त निगम	159
4ब.3.1	आस्थगित ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में देरी	159
4ब.3.2	आयकर का परिहार्य भुगतान	160
4ब.3.3	अव्यवहार्य परियोजना को वित्त देना	162
4ब.3.4	ब्याज की हानि	164

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रूचिकर प्रकरण

4अ सरकारी कम्पनियाँ

4अ.1 राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड

4अ.1.1 किराये के आवास पर निष्फल व्यय

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (आरएसएचसीएल) का प्रधान कार्यालय, जयपुर के होटल खासा कोठी प्रांगण में बसाया हुआ था। आरएसएचसीएल के अध्यक्ष ने निम्नलिखित आधार पर प्रधान कार्यालय को किराये के आवास में स्थानान्तरित करना तय किया (दिसम्बर 1992) :

- खासा कोठी प्रांगण में होटल उद्देश्य के लिए स्थानाभाव रहता था तथा वहाँ राजकीय अतिथियों एवम् पर्यटकों के परिचारकों, ड्राइवरों तथा वैयक्तिक स्टॉफ के ठहरने के लिए कोई प्रावधान नहीं था ;
- वे कमरे, जो प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित करने से खाली होने थे, का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जा सकेगा ;
- खासा कोठी होटल के दिन प्रतिदिन के संचालन में प्रधान कार्यालय का हस्तक्षेप समस्यामूलक हो गया था।

कम्पनी ने बापू नगर, जयपुर स्थित रिहायशी मकान के एक हिस्से को 1 जनवरी 1993 से 5,000 रुपये प्रतिमाह पर किराये पर लेने के लिये एक पुष्टीकरण पत्र उसी दिन (1 जनवरी 1993 को ही) मकान मालिक को भेजा तथा 1 जनवरी 1993 को ही प्रधान कार्यालय किराये के आवास में स्थानान्तरित कर दिया गया। यद्यपि, खासा कोठी प्रांगण में रिक्त हुए स्थान का कोई उपयोग प्रारम्भ नहीं हुआ था, आरएसएचसीएल के मण्डल ने अपनी 10 जून 1995 को बुलाई गई बैठक में प्रधान कार्यालय को पुनः किराये के आवास से खासा कोठी प्रांगण में स्थानान्तरित करना तय कर लिया ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके एवं बेहतर समन्वय तथा प्रभावी नियन्त्रण स्थापित किया जा सके। अन्ततः 12 सितम्बर 1995 को किराये के आवास को खाली कर दिया गया। किराये के आवास हेतु कुल 1.68 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, व्यवसाय में बढ़ोत्तरी से उत्पन्न सम्भावित लाभ के बारे में पहले से ही अध्ययन किये बिना प्रधान कार्यालय के स्थानान्तरण के फलस्वरूप किराये पर 1.68 लाख रुपये का निष्फल व्यय वहन करना पड़ा।

> किराये के आवास में प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप 0.02 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

कम्पनी ने सूचित किया (जून 1997) कि प्रधान कार्यालय को किराये के आवास में स्थानान्तरित करने के पश्चात् यह अनुभव किया गया कि पर्यटकों के ड्राईवर व अन्य अपनी जेब से कुछ भी भुगतान करने को तैयार नहीं थे तथा यह स्थान अतिविशिष्ट लोगों को ठहराने के लिए काम में लिए जाने वाले कमरों के नजदीक था। अत: उनका रुकना राजकीय अतिथियों के लिए खलल पैदा कर सकता था। दुर्लभ सामग्री आदि के संग्रहण एवं सचिव आरएसएचसीएल के पंजीकृत कार्यालय के लिए कमरों के उपयोग के पश्चात् छोड़े गये स्थान का अन्य कोई वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रूपान्तरण, आर्थिक दृष्टी से योग्य एवं पर्याप्त नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि इन तथ्यों से आरएसएचसीएल भली-भाँति परिचित था। इस प्रकार, प्रधान कार्यालय को किराये के आवास में स्थानान्तरण का निर्णय अविवेकपूर्ण था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1997), किन्तु उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1997)।

4अ.1.2 फास्टफूड केन्द्र 'पाथेय' का प्रतिकूल स्थान पर संचालन

यथोचित मूल्य पर उत्तम आहार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से तथा जयपुर में यात्रा विराम करने वाले अल्प-ठहराव वाले यात्रियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के साहचर्य से केन्द्रीय बस स्टेण्ड, जयपुर के प्रथम तल पर एक फास्टफूड केन्द्र स्थापित करने एवं संचालित करने का निर्णय राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (आरएसएचसीएल) ने लिया था (जून 1992) । आर्थिक गणना के अनुसार प्रतिदिन 10,000 रुपये के खाद्य पदार्थ विक्रय पर अनुमानित लाभ 2,000 रुपये प्रतिदिन था। आरएसआरटीसी ने आहार गृह (रेस्टरॉन्ट) संचालन के लिए केन्द्रीय बस-स्टेण्ड के प्रथम तल पर स्थान आवंटित कर दिया (दिसम्बर 1993)।

आरएसएचसीएल ने आवंटित स्थान का दिसम्बर 1993 में कब्जा ले लिया एवं इसे फास्टफूड केन्द्र के रूप में रूपान्तरित करने पर 8.75 लाख रुपये का व्यय किया। इस केन्द्र ने अगस्त 1994 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (जनवरी 1996) में सामने आया कि यह इकाई इसके संचालन के प्रारम्भ (अगस्त 1994) से ही हानि में चल रही थी एवं संचित हानि की राशि 13.05 लाख रुपये तक हो गई थी (अगस्त 1997 तक) ।

हानि के मुख्य कारणों में केन्द्र का प्रथम तल पर प्रतिकूल स्थिति में होना था जिससे यात्रियों को अपने सामान सहित सीढ़िया चढ़ने में कठिनाई होती थी तथा आरएसएचसीएल ने यात्रियों को प्रस्तावित अमानती सामान घर एवम् डॉर्मिटरि सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई थी। इकाई को व्यवहार्य बनाने हेतु आरएसआरटीसी से बस स्टेण्ड के प्लेटफार्म पर स्थान उपलब्ध करवाने के लिए विषय-चर्चा की गई (अक्टूबर 1995)। आरएसआरटीसी प्रारम्भ में (अक्टूबर 1995) डिलक्स प्लेटफार्म एवं प्लेटफार्म संख्या 1 पर केवल विक्रय काउण्टर के लिए स्थान उपलब्ध करवाने हेतु सहमत हो गया था, परन्तु बाद में (मार्च 1997) केवल डिलक्स प्लेटफार्म पर ही विक्रय काउण्टर सुविधा प्रदान की गई।

इस प्रकार आर्थिक व्यवहार्यता एवं उपलब्ध सुविधाओं का समुचित परीक्षण किये बिना योजना क्रियान्विति के परिणामस्वरूप अगस्त 1997 तक 13.05 लाख रुपये की हानि हुई जो आगे भी बढ़ेगी।

आर्थिक व्यवहार्यता की जांच किये बिना प्रतिकूल स्थान पर फास्टफूड केन्द्र खोले जाने के फलस्वरूप 0.13 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि इकाई को व्यवहार्य बनाने के लिए प्रारम्भिक कठिनाइयों को टालने हेतु दो-तीन वर्ष अपेक्षित होते है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि इकाई का प्रतिकूल स्थान पर होना प्रबन्धन को अच्छी तरह से पता था और इस सम्बन्ध में अब तक कोई सुधार भी नहीं हुआ था (अगस्त 1997) तथा अप्रैल 1997 से अगस्त 1997 तक औसत बिक्री मात्र 1089 रुपये प्रतिदिन रही जो अनुमानित बिक्री 10,000 रुपये प्रतिदिन से बहुत कम थी।

4अ.2 राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

- परिहार्य व्यय

छोटी लाइन से बड़ी लाइन में रेल पथ परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय रेल एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (रापविनि) ने नवनिर्मित बड़ी लाइन पर चलाने के लिए एक नई वातानुकूलित रेल ' पैलेस ऑन व्हील्स ' का 21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण करना तय किया था (1993-94) जिसका 50 प्रतिशत व्यय रापविनि द्वारा वहन किया जाना था । अपनी वित्तीय दशा को ध्यान में रखते हुये एवं स्वयं द्वारा तैयार किये गये परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (अप्रैल 1994) के आधार पर रापविनि ने रेल की लागत के एक भाग का वित्त प्रबन्ध करने हेतु एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 'टुरिज्म फाइनेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इन्डिया' (टीएफसीआई) से ऋण लेना तय किया (अगस्त 1994)। तथापि, रापविनि की ओर से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवम् टीएफसीआई से 5 करोड़ रुपये के ऋण का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोटेशन लिए बिना ही, रापविनि द्वारा 2.50 लाख रुपये के शुल्क भुगतान पर टुरिज्म फ्यूचर्स, नई दिल्ली को परामर्शदाता नियुक्त कर

दिया गया(जून 1994)। रापविनि द्वारा तैयार की हुई परियोजना साध्यता प्रतिवेदन की एक प्रति भी ऋण आवेदन-पत्र तैयार करने हेतु परामर्शदाता को उपयोगार्थ दे दी गई।

परामर्शदाता ने टीएफसीआई को प्रस्तुत करने के लिए केवल निर्धारित प्रारूप में ऋण आवेदन-पत्र तैयार किया (सितम्बर 1994) जिसके लिए रापविनि ने 1994-95 में 2.50 लाख रुपये शुल्क के रूप में परामर्शदाता को दिये। यह आवेदन-पत्र नवम्बर 1994 में टीएफसीआई को प्रस्तुत किया गया और जनवरी 1995 में ऋण (5 करोड़ रुपये) प्राप्त हुआ।

2.50 लाख रुपये के शुल्क के भुगतान पर परामर्शदाता की नियुक्ति निम्नलिखित कारणों से परिहार्य थी:

(i) ऋण, टीएफसीआई, जो भारत सरकार का उपक्रम है, से प्राप्त किया गया था जिसने साध्यता प्रतिवेदन आदि प्रस्तुत करने के लिए कभी भी आग्रह नहीं किया था।

(ii) निर्धारित (आवेदन-पत्र) प्रारूप में भरा जाने वाला विवरण इतना तकनीकि प्रकृति का नहीं था कि जिसके लिए किसी बाहर वाले से सहायता की आवश्यकता पड़े तथा यह रापविनि द्वारा स्वयं तैयार किया जा सकता था । क्योंकि रापविनि को राष्ट्रीयकृत बैंको से ऋण-पत्रों के द्वारा ऋण उठाने का अनुभव था (रापविनि द्वारा अप्रैल 1996 में यह तथ्य स्वीकार किया गया)।

(iii) परामर्शदाता ने मात्र रापविनि द्वारा तैयार परियोजना साध्यता प्रतिवेदन, कुछ संशोधन/सुधार के साथ, संलग्न करते हुये तथा रापविनि से ही सूचनाएँ प्राप्त करने के पश्चात् ऋण आवेदन-पत्र भरा था।

सरकार ने बताया (जुलाई 1997) कि रापविनि के पास इस तरह की विशिष्ट परियोजना के ऋण सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन बनाने का कोई अनुभव नहीं था तथा यह भी महसूस किया गया कि रापविनि द्वारा तैयार परियोजना प्रतिवेदन में कुछ कमियाँ थी । अतः प्रबन्धन को एक समुचित परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करने की सलाह दी गई। उत्तर उपरोक्त (i) से (iii) पर दिये गये कारणों के दृष्टिकोण से युक्तियुक्त नहीं है।

4अ.3 राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

- लुप्त प्रेषित धन

अपने बीज हेंडलिंग अभिकर्त्ताओं द्वारा विक्रय किये गये बीज की प्राप्तियों के संग्रहण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससी) ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे) की विभिन्न शाखाओं में संग्रहण खाते खोले (अक्टूबर 1982)। एसबीबीजे की विभिन्न शाखाओं द्वारा 2000 रुपये से अधिक के शेषों को एसबीबीजे, जयपुर के केन्द्रीय संग्रहण खातें में प्रति सप्ताह भेजा जाना था। अप्रैल 1989 से हेंडलिंग अभिकर्त्ताओं के माध्यम से बीज विक्रय की योजना को बन्द कर दिया गया था किन्तु सितम्बर 1991 तक इन बैंक खातों का मिलान करने एवं इन्हें बन्द करने की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई थी।

अक्टूबर 1991 से आरएसएससी ने शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे, जयपुर से इसकी विभिन्न शाखाओं के संग्रहण खातों में पड़े शेषों को केन्द्रीय संग्रहण खातें में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था करने का निवेदन किया। मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि अक्टूबर 1982 से जून 1986 के मध्य 10.28 लाख रुपये की राशि विभिन्न शाखाओं में जमा की गई जिसे केन्द्रीय संग्रहण खाते में प्रेषित नहीं किया गया । अनुसरण करने पर दिसम्बर 1991 से जनवरी 1993 के मध्य 7.11 लाख रुपये की जमा प्राप्त की जा सकी किन्तु शेष बची 3.17 लाख रुपये की राशि अभी भी प्राप्त की जानी थी (सितम्बर 1997)।

इस प्रकार समय पर अंक मिलान में चूक के परिणामस्वरूप :

(अ) अक्टूबर 1982 से जनवरी 1993 तक विभिन्न अवधियों के मध्य अवरुद्ध रही 7.11 लाख रुपये की विभिन्न राशियों पर 7.88 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

बैंक से समय पर अंक मिलान में चूक के फलस्वरूप 0.13 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी। 0.03 करोड़ रुपये की वसूली प्रतीक्षित थी।

(ब) अक्टूबर 1982 से जून 1986 के मध्य जमा 3.17 लाख रुपये की राशि की अभी भी वसूली की जानी थी जिस पर 5.34 लाख रुपये के ब्याज की हानि हो चुकी थी (अगस्त 1997) ।

इस प्रकरण को मार्च 1997 में सरकार/आरएसएससी के ध्यान में लाया गया। हांलाकि सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, आरएसएससी ने बताया (जून 1997) कि 3.17 लाख रुपये की वसूली एवम् ब्याज की हानि के मामले में बैंक से पत्राचार जारी है।

4ब. सांविधिक निगम

4ब.1 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

4ब.1.1 रामगढ़ गैस टरबाइन तापीय ऊर्जा परियोजना (जीटीपीपी) का क्रियान्वयन

4ब.1.1(i) 35.5 मेगावाट के सिविल कार्यों का निष्पादन

(अ) 1016 लाख रुपये की अनुमानित लागत के 35.5 मेगावाट जीटीपीपी से सम्बन्धित सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसबीसीसी) को आशय पत्र जारी किया गया था (मई 1993)। विस्तृत कार्यादेश मई 1993 में जारी किया गया था। समझौते की शर्तों के अनुसार, लागत में 12.5 प्रतिशत सेन्टेज प्रभारों (उपरिव्यय प्रभारों) को जोड़कर कार्य निष्पादन किया जाना था। तथापि, कार्य के लिए आवश्यक सीमेन्ट एवं स्टील की आपूर्ति यदि मण्डल द्वारा

की जाती तो आपूरित सीमेन्ट एवं स्टील की लागत पर सेन्टेज प्रभारों की दर पांच प्रतिशत थी। कार्य मई 1996 में पूर्ण कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएसबीसीसी ने सीमेन्ट (155.61 लाख रुपये के 1.77 लाख थैले) एवम् स्टील (343.14 लाख रुपये की 1633.28 टन) का स्वयंमेव प्रापण किया तथा 16 प्रतिशत की दर से बिक्रीकर का भुगतान किया और इस सामग्री की लागत (बिक्री कर सहित) पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभार मण्डल से वसूले।

> आरएसबीसीसी को सीमेन्ट एवं स्टील की आपूर्ति नहीं करने से मण्डल ने बिक्रीकर एवं सेन्टेज प्रभारों के 0.97 करोड़ रुपये का परिहार्य भुगतान किया ।

सेन्टेज प्रभारों एवं बिक्री कर की रियायती दर उठाने के लिए विक्रयकर प्राधिकारियों से सीमेन्ट व स्टील के क्रय हेतु पंजीकृत होने के नाते मण्डल सीमेन्ट एवं स्टील का प्रापण कर आरएसबीसीसी को उपयोग के लिए आपूरित कर सकता था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया था और इसलिए मण्डल ने बिक्रीकर एवं सेन्टेज प्रभारों के 97.26 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया।

> शटरिंग एवं सेन्टरिंग आदि के लिए मचान बांधने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 0.39 करोड़ रुपये अभी भी वसूले नहीं गये।

(ब) मई 1993 एवं फरवरी 1997 के मध्य आरएसबीसीसी ने कार्य निष्पादन हेतु शटरिंग एवं सेन्टरिंग के लिए मचान बांधने की सामग्री के 38.84 लाख रुपये का भुगतान किया। मचान बनाने की सामग्री उपभोज्य मदों का हिस्सा नहीं है अत: सामग्री अथवा इसकी लागत जो पूर्व में ही कार्य को प्रभारित कर दी गई थी, आरएसबीसीसी से वसूल लेनी चाहिये थी। मण्डल ने वसूली आदि के लिए कोई कदम नहीं उठाया (मई 1997)।

4ब.1.1(**ii**) गैस हेतु निष्फल भुगतान

3 मेगावाट की गैस तापीय ऊर्जा परियोजना के संचालन के लिए मण्डल ने गैस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (जीएआइएल)से 50,000 प्रमापित घन मीटर/दैनिक (एससीएमडी) गैस की व्यवस्था की (नवम्बर 1993)। ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र तक गैस आपूर्ति हेतु जीएआइएल के साथ की गई संविदा (नवम्बर 1993) के अनुच्छेद 5.02 के अनुसार मण्डल द्वारा दिनांक 1 अप्रेल 1994 से गैस की प्रतिदिन न्यूनतम मात्रा की आपूर्ति (40,000 एससीएमडी) प्रत्याभूत की गयी तथा कमी/न्यूनतम आपूर्ति नहीं लेने की दशा में मण्डल न्यूनतम प्रत्याभूत आपूर्ति के 80 प्रतिशत का भुगतान करेगा। तथापि, अपने हितों की रक्षार्थ मण्डल ने संयन्त्र संचालन के लिए वांछित मात्रा में सुनिश्चित गुणवत्ता की गैस आपूर्ति में जीएआइएल के असफल हो जाने की दशा में संविदा में क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं किया था।

तीन मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन-संयन्त्र जनवरी 1994 में प्रारम्भ होना अनुसूचित था किन्तु यह 13 नवम्बर 1994 से प्रारम्भ हो पाया और प्रारम्भ होने में देरी के फलस्वरूप मण्डल 1 अप्रेल 1994 से 12 नवम्बर 1994 के मध्य गैस उपयोग में नहीं ले सका। परियोजना के प्रारम्भ होने में देरी का पूर्वाभास हो जाने के बावजूद मण्डल ने समझौते की शर्तों में बदलाव के लिए कोई बातचीत जीएआइएल से नहीं की तथा न्यूनतम प्रत्याभूत आपूर्ति के लिए 197 लाख रुपये का भुगतान किया जो निष्फल सिद्ध हुआ।

> परियोजना प्रारम्भ होने में देरी के परिणामस्वरूप न्यूनतम प्रत्याभूत आपूर्ति के लिए 1.97 करोड़ रुपये का निष्फल भुगतान हुआ।

4ब.1.1(**iii**) ऊर्जा उत्पादन की हानि

समझौते (नवम्बर 1993) के अनुसार, जीएआइएल ने 3 मेगावाट विद्युत उत्पादन संयन्त्र हेतु गैस आपूर्ति के उद्देश्य से तैयार की गई गैस लाइन द्वारा आपूर्ति बिन्दु पर 2 कि.ग्रा./सी एम^2 दाब पर ओएनजीसी गैस (50,000 प्रमाणिक घन मीटर) की आपूर्ति की । 35.5 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र के लिए 10 कि.ग्रा./सीएम^2 दाब पर ओआइएल गैस प्राप्त करने के लिए पृथक गैस लाइन का निर्माण नहीं किया गया था। इसलिए जीएआइएल द्वारा जुलाई 1996 एवं उसके आगे उच्च दाब की ओआइएल गैस भी उसी गैस पाइप लाइन में प्रवाहित की गई। ओएनजीसी की 5000 केसीएएल उष्मीय मूल्य (कैलोरिफिक वेल्यू) वाली गैस का 3 मेगावाट संयंत्र में उपयोग हो सकता था जबकि 3900 केसीएएल उष्मीय मूल्य वाली ओआइएल गैस, जो कि घटिया किस्म की थी, केवल 35.5 मेगावाट संयन्त्र को चलाने में उपयोगी थी। इस घटिया किस्म एवं उच्च दाब की गैस के कारण 3 मेगावाट जीटी इकाई के परिचालन हेतु अच्छी किस्म की ओएनजीसी गैस प्रवाहित नहीं की जा सकी थी। इसके परिणामस्वरूप मण्डल जुलाई 1996 से अक्टूबर 1996 के मध्य बारम्बार 3 मेगावाट संयन्त्र को बन्द करता रहा और आखिरकार नवम्बर 1996 में इसको पूर्णतया बन्द कर दिया गया। मण्डल ने जीएआइएल को उच्च दाब पर गैस आपूर्ति करने हेतु निवेदन किया (नवम्बर 1996)। तथापि जीएआइएल ने केवल 3 मेगावाट संयंत्र के लिए ओएनजीसी गैस के उपयोग हेतु अलग पाइप लाइन डालने की सम्भावना सुझाई।

इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के लिए गैस प्रवाहित करने का तन्त्र समुचित नहीं होने के साथ-साथ उच्च दाब पर गैस प्रवाहित करने के लिए पृथक लाइन की आवश्यकता के पूर्व निर्धारण में मण्डल द्वारा असफल हो जाने के फलस्वरूप जुलाई 1996 से

> गैस प्रवाहित करने का उचित तत्र नहीं होने के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में हानि के कारण 3.39 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मार्च 1997 के मध्य मण्डल को 233.95 लाख इकाई ऊर्जा उत्पादन की हानि एवं 339.23 लाख रुपये की परिणामी सम्भावित राजस्व की हानि उठानी पड़ी। संयन्त्र को परिचालन योग्य बनाने के लिए अन्तिम निर्णय लिया जाना बाकी था (सितम्बर 1997)।

उपरोक्त प्रकरण मण्डल/सरकार को जून 1997 में प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 1997)।

4ब.1.2 ईंधन अधिभार के अन्तिम निर्धारण में देरी

विद्युत आपूर्ति हेतु टैरिफ के प्रावधानों में ईंधन लागत विचरण एवं ईंधन समायोजन उपबंध दिये हुए है। जिसके अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं से प्रभारयोग्य ईंधन अधिभार की अन्तिम दर के निर्धारण में देरी के फलस्वरूप राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) को ब्याज की हानि उठानी पड़ी, इस सन्दर्भ में वर्ष 1986-87 के भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अनुच्छेद 4.3.1 में उल्लेख किया गया था। नवम्बर 1995 में राजकीय उपक्रम समिति ने इस प्रकरण को परीक्षण हुआ मान लिया था। ईंधन अधिभार की अन्तिम दर तय किया जाना विचाराधीन रहते उपभोक्ताओं से अनन्तिम दर प्रभारित की जाती है। ईंधन अधिभार की अन्तिम दर पूर्वप्रभाव से लागू की जाती थी। अंतिम तथा अनन्तिम दरों के अन्तर की राशि पर मण्डल की टैरिफ के अनुसार ब्याज, न्यायालय के निर्णय के कारण वसूल नहीं किया जा सकता हैं। इस खाते ब्याज की हानि टालने हेतु समय पर ईंधन अधिभार की अन्तिम दर निर्धारण के लिए सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए मण्डल को सुसज्जित होना चाहिये था।

> वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के लिए अन्तिम ईंधन अधिभार की दर अधिसूचित करने में 16 माह तक की असाधारण देरी के परिणामस्वरूप 42.76 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया (जून 1996) कि इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के लिए ईंधन अधिभार की अन्तिम दर क्रमशः नवम्बर 1995 एवं अक्टूबर 1996 में तय की गई। यह मानते हुए की छः माह का समय तार्किक व पर्याप्त है वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 के अन्तिम लेखे क्रमशः जनवरी 1994 एवम् दिसम्बर 1994 में तैयार हो जाने के पश्चात् भी 1992-93 एवं 1993-94 के ईंधन अधिभारों के अन्तिम निर्धारण की अधिसूचना कम से कम 16 माह पश्चात् परिहार्य देरी से की गई। ईंधन अधिभार की अन्तिम दर का निर्धारण एवं इसकी अधिसूचना हेतु समय पर कार्यवाही कर ली जाती तो अन्तिम एवं अनन्तिम दर में अन्तर की राशि मण्डल द्वारा काफी पहले वसूल कर ली जाती। इसके परिणामस्वरूप मण्डल को 42.76 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

ईंधन अधिभार की अन्तिम दर निर्धारण में देरी, विभिन्न स्रोतों से सूचनाएँ प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया का समुचित/अनुश्रवण नहीं होना तथा प्रकरण को प्रक्रिया में लाने में विलम्ब, के कारण थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 1997) कि अनुमोदन हेतु कार्यसूचि प्रारूप तय हो जाने (मई 1995) के पश्चात् ईंधन अधिभार की अन्तिम दर निर्धारण में देरी का कारण यह तथ्य था कि टैरिफ में संशोधन विचाराधीन था (मार्च 1995) तथा अन्तिम ईंधन अधिभार एवं टैरिफ में बढ़ोत्तरी से उपभोक्ता पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता था।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि ईंधन अधिभार की दर में संशोधन नैत्यक प्रकृति का था एवं उपभोक्ता की जानकारी में था ।

4ब.1.3 ऊर्जा उपभोग के बिल तैयार करने में असाधारण देरी

निर्धारित प्रक्रिया (मार्च 1975) के अनुसार, उच्च दाब (एच.टी.) वाले उपभोक्ताओं के बिल राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) के वाणिज्यिक वृत द्वारा परिचालन एवम् संधारण (ओ एण्ड एम) उप-खण्ड अधिकारी (सहायक अभियन्ता) से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बनाये जाते थे ।

उच्च दाब एवं मध्यम औद्योगिक ऊर्जा (एमआईपी) उपभोक्ताओं द्वारा अपनाये जाने वाले अवांछित उपयोग का पता लगाने के दृष्टिकोण से एवं इसके द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए मण्डल के मीटर्स एवं प्रोटेक्शन (एम एण्ड पी) समूह को तीन से छः माह के अन्तराल में एच.टी. उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित मीटर उपकरणों की जांच करने एवं मीटर उपकरणों में कमियाँ पाये जाने पर तुरन्त वाणिज्यिक समूह को प्रतिवेदित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया (जुलाई 1990) ताकि विद्युत उपभोग का उचित निर्धारण कर उसका सही बिल बनाया जा सके। मण्डल द्वारा सितम्बर 1994 में वाणिज्यिक वृत्त को तथ्य प्रतिवेदित करने में 15 दिवस की अवधि को तार्किक माना गया।

सितम्बर 1994 में आगे निर्देश दिये गये कि लेखापरीक्षा द्वारा कोई अल्प निर्धारण बताया गया हो तो इसे एक माह की अवधि में निश्चित रूप से तय किया जाना चाहिये।

छः वृतों (अलवर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर) के एच.टी. बिलों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 1993 से मार्च 1997) में सामने आया कि कम निर्धारण के बिल विलम्ब से, अप्रैल 1997 तक बनाये गये तथा यह पाया गया कि :-

- एम एण्ड पी समूह द्वारा वाणिज्यिक वृत को तथ्य प्रतिवेदित करने में एक माह से 80 माह तक, व
- एम एण्ड पी समूह से वाणिज्यिक वृत में प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् बिल तैयार करने में 12 माह से 77 माह, तथा
- लेखापरीक्षा द्वारा कम निर्धारण बताये जाने के पश्चात् प्रकरण तय करने में 2 माह से 41 माह के मध्य का असाधारण विलम्ब हुआ।

ऊर्जा उपभोग के बिल बनाने में 77 माह तक की असाधारण देरी के फलस्वरूप 0.63 करोड़ रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ।

उपरोक्त देरी इस तथ्य को इंगित करती है कि एम एण्ड पी समूह तथ्य प्रतिवेदित करने में असफल रहा तथा वाणिज्यिक वृत समय पर बिल बनाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त उल्लेखित अवधि में 103.54 लाख रुपये वसूल नहीं किये जा सके और इस पर 62.77 लाख रुपये के ब्याज का नुकसान हो गया।

सरकार ने बताया (जून/जुलाई 1997) कि ओ. एण्ड एम. अधिकारियों से सूचनाओं के इकट्ठा करने/प्राप्त करने, सम्बन्धित एम. एण्ड पी. अधिकारियों के स्थानांतरित हो जाने एवं अतिरिक्त निर्धारण प्रस्तुत करने में देरी; विलम्ब के कारण थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एम. एण्ड पी. समूह से अतिरिक्त मांग प्राप्त हो जाने के बावजूद भी वाणिज्यिक समूह ने बिल बनाने में 12 से 77 माह तक की देरी की थी। इस असाधारण विलम्ब के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4ब.1.4 गलत गुणक घटक* का प्रयोग

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) द्वारा इण्डो अमेरिकन सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (आईएसीएल) का उच्च दाब (एच.टी.) श्रेणी के तहत 750 केवीए संविदा मांग का एक विद्युत संबंध 14 अप्रेल 1994 को जारी किया गया जिसे जुलाई 1994 में 1000 केवीए तक एवं अक्टूबर 1994 में 1500 केवीए तक बढ़ा दिया गया। आईएसीएल के फैक्ट्री स्थल पर लगाये गये मीटर उपकरणों के आधार पर गुणक घटक (एम एफ), केडब्ल्यूएच, केवीएएच के लिए 16.5 तथा एमडीआई के लिए 165 था किन्तु असावधानी (अनदेखी) के कारण गुणक घटक, केडब्ल्यूएच, केवीएएच के लिए 1.1 तथा एम डी आई के लिए 11 ले लिया गया तथा बिलिंग माह अप्रेल 1995 तक इस आधार पर उपभोक्ता को बिल दिया जाता रहा जिसके फलस्वरूप 30.58 लाख रुपये (विद्युत प्रभार: 28.77 लाख रुपये व विद्युत शुल्क: 1.81 लाख रुपये) का बिल कम बनाया गया। अन्तर की राशि उपभोक्ता को बिलिंग माह मई 1995 में प्रभारित की गई।

उपभोक्ता ने विद्युत शुल्क का भुगतान तो कर दिया किन्तु गलत एमएफ के प्रयोग एवं समय पर बिल बनाने में चूक करने को पूर्णतः मण्डल पर डालते हुए विद्युत प्रभार के 28.77 लाख रुपये के भुगतान से मना कर दिया। उपभोक्ता द्वारा

---

* गुणक घटक, एक अनुपात है जो भौगोलिक नक्शे में माप के अनुपात के समरूप है तथा निम्न सूत्र से निकाला गया है:
गुणक घटक = करेन्ट ट्रान्सफार्मर (सीटी) अनुपात X पॉटेन्शियल ट्रान्सफार्मर (पीटी) अनुपात X मीटर का डायल घटक

पुनः निवेदन करने पर (अगस्त 1995) मण्डल बकाया राशि किस्तों में लेने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गया कि उपभोक्ता बकाया राशि पर देरी से भुगतान के लिए अधिभार का भुगतान करता रहेगा। तथापि, उपभोक्ता ने बकाया भुगतान की उपरोक्त निर्धारित सारणी का पालन नहीं किया। आगे एलपीएस से मुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा निवेदन किये जाने पर (मार्च 1997) मण्डल स्तरीय समझौता समिति में मामले पर विचार-विमर्श हुआ (मार्च 1997) और उपभोक्ता के निवेदन को रद्द कर दिया गया। उपभोक्ता के विरुद्ध 28.77 लाख रुपये की राशि अगस्त 1997 में भी बकाया थी।

इस प्रकार, प्रारम्भिक चरणों में गुणक घटक की गलत गणना के कारण मण्डल को अगस्त 1997 तक 28.77 लाख रुपये (जिसे अभी भी प्राप्त किया जाना है) पर 7.28 लाख रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

> प्रारम्भिक चरण में गुणक घटक की गलत गणना के कारण मण्डल को अगस्त 1997 तक 0.29 करोड़ रुपये पर 0.07 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि यह एक निष्कपट गलती थी जो असावधानी (अनदेखी) के कारण हुई थी।

4ब.1.5 मांगरोल से बारॉं तक सिंगल सर्किट लाइन के निर्माण में देरी - ऊर्जा उत्पादन में हानि

मांगरोल (जिला बारॉं) में 6 मेगावाट की लघु जल विद्युत योजना (एमएचपीएस) नवम्बर 1992 में प्रारम्भ की गई तथा मांगरोल से 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस), बारॉं तक अतिरिक्त 33 केवी लाइन नहीं होने के कारण 132 केवी जीएसएस, बारॉं तक, उत्पादित ऊर्जा का प्रवाह, मौजूदा 33 केवी सिंगल सर्किट लाइन से किया गया था। उत्पादित ऊर्जा के प्रवाह का समुचित तन्त्र उपलब्ध नहीं होने के कारण मौजूदा वितरण तन्त्र बारम्बार खराब (ट्रिप्ड्) हो जाता था जिसके फलस्वरूप जनरेटिंग स्टेशन के बन्द व शुरू करने को रोकने के कारण ऊर्जा उत्पादन में हानि होती थी।

मांगरोल से 132 केवी जीएसएस, बारॉं तक 25 किलोमीटर लम्बी 33 केवी लाइन बिछाने के कार्य की निविदा आमंत्रित की गई तथा दिसम्बर 1992 में कार्यादेश जारी किया गया (कार्य दिसम्बर 1993 तक पूर्ण होना था)। ठेकेदार ने 270 खम्भें खड़े किये और 16 कि.मी. लाइन हेतु कण्डक्टर (49 कि.मी.) बिछाया परन्तु आगे सामग्री की अनुपलब्धता के कारण अक्टूबर 1993 में कार्य बन्द कर दिया। ठेकेदार ने फरवरी 1996 में शेष कार्य, जिसमें क्षतिग्रस्त एवं अतिरिक्त कार्य भी सम्मिलित है, करने हेतु पुनः कार्य प्रारम्भ किया। इसी अवधि के दौरान 4.57 लाख रुपये मूल्य का लाइन पर बिछा हुआ कण्डक्टर (21.6 कि.मी.) चोरी चला गया (फरवरी 1994 से अक्टूबर 1994 के बीच) तथा 1.66 लाख रुपये के 70 खम्भे गिर कर क्षतिग्रस्त हो गये । लाइन के पथ परिवर्तन के कारण अतिरिक्त कार्य, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग का

कार्य भी सम्मिलित है, का कार्यादेश जून 1996 में दिया गया। दोनों कार्य अक्टूबर 1996 में पूर्ण कर दिये गये तथा 28 अक्टूबर 1996 को लाइन प्रारम्भ कर दी गई।

इस प्रकार, समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं करवाये जाने से मांगरोल से 132 केवी जीएसएस, बाराँ तक वांछित 33 केवी सिगंल सर्किट लाइन देरी से स्थापित की गई जिसके फलस्वरूप जनवरी 1994 से दिसम्बर 1996 तक ऊर्जा उत्पादन (335580 इकाइयाँ) में हानि हुई एवं जिससे 4.86 लाख रुपये (लगभग) के सम्भावित राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, सामग्री के चोरी चले जाने (4.57 लाख रुपये) से एवं खम्भों के क्षतिग्रस्त होने (1.66 लाख रुपये) से 6.23 लाख रुपये की हानि हुई।

मण्डल/सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि:

(अ) सामग्री प्रबन्ध समूह के सामग्री प्रापणतंत्र में खामी होने के कारण वांछित सम्पूर्ण सामग्री एक ही समय पर जुटाई नहीं जा सकी,

(ब) अधिकारियों के बारम्बार स्थानान्तरण के कारण भी कार्य निष्पादन में विलम्ब हुआ, तथा

(स) उत्पादन हानि के लिये बताया गया कि मौजूदा लाइन (132 केवी जीएसएस, बाराँ-मांगरोल) को टाइ-लाइन के रूप में काम में लिया जाता रहा है अतः ऊर्जा उत्पादन में कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर तर्क-संगत नहीं है क्योंकि उचित प्रबन्ध द्वारा कार्य निष्पादन में हुए विलम्ब से बचा जा सकता था तथा 132 केवी जीएसएस, बाराँ पर अर्थ फाल्ट, अधिक करंट एवं लोड-शेडिंग के कारण वास्तविक खराबी (ट्रिपिंग) के सन्दर्भ में ऊर्जा उत्पादन हानि की गणना की गई है जिससे समय पर लाइन निर्माण द्वारा बचा जा सकता था। लाइन प्रारम्भ होने के बाद खराबी (ट्रिपिंग) में कमी आई तथा ऊर्जा उत्पादन में सुधार हुआ था।

4ब.1.6 स्टॅब-शाफ्ट्स की मरम्मत में देरी

1.5 मेगावाट प्रत्येक की तीन टरबों जनरेटर इकाई वाले अनूपगढ़ लघु जल विद्युत गृह-I की स्थापना 1987-88 में बिरधवाल में की गई थी। जून 1995 से विद्युत गृह की दो इकाई (I व III) उच्च तापमान वहन करने वाले सूचक (हाई गाइड बियरिंग टेम्प्रेचर) के खराब (ट्रिप्ड) हो जाने के फलस्वरूप बन्द पड़ी थी। इसके परिणामी प्रभाव से कार्यशील इकाई -II का परिचालन भी जुलाई 1995 के पश्चात् बन्द कर दिया गया था। फ्लोवेल लिमिटेड, नई दिल्ली के सर्विस इन्जिनियर ने 11 जनवरी 1996 को मशीनों की जांच की एवं मण्डल को सूचित किया कि इकाई -I व III के टरबाइन

> स्टॅब शाफ्ट्स की मरम्मत में देरी के कारण मण्डल को 0.97 करोड़ रुपये की राजस्व हानि वहन करनी पड़ी ।

के स्टॅब शाफ्ट्स खराब हो गये है। स्टॅब शाफ्ट्स* की मरम्मत करने के लिए फर्म ने 3 लाख रुपये से 19.50 लाख रुपये के बीच की लागत के पांच विकल्प मण्डल को प्रस्तावित किये थे (8 फरवरी 1996) । आगे उत्पादन हानि को टालने के उद्देश्य से स्टॅब शाफ्ट्स की डाई को 12 मी.मी. तक घटाने एवं मूल शाफ्ट का व्यास बनाये रखने हेतु समान सामग्री की नलियाँ (स्लब्ज) भीतर बैठाने के प्रस्ताव संख्या 2 (4 लाख रुपये) को मण्डल के अधिशाषी अभियन्ता ने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया (मार्च 1996)। मुख्य अभियन्ता (एचएण्डजीपी) ने पाया (7 जून 1996) कि यह प्रस्ताव ज्यादा महंगा है इसमें उद्ध्वसन (डिसमेंटलिंग) का कार्य, विद्युतगृह से फर्म कार्यशाला एवं फर्म कार्यशाला से विद्युतगृह तक ढुलाई, शाफ्ट्स को जोड़ने एवं पंक्तिबद्ध करने का कार्य सम्मिलित नहीं है और कार्य को विभागीय स्तर पर करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, स्टॅब शाफ्ट्स का उद्ध्वसन (डिसमेन्टलिंग) किया गया (जुलाई 1996) एवं 3 सितम्बर 1996 को 0.70 लाख रुपये की लागत से मरम्मत करवा ली गई और आखिरकार विद्युत गृह स्थल पर उन्हें जोड़ दिया गया (नवम्बर 1996)। जनवरी 1997 से इकाई- I व III ने ऊर्जा उत्पादन शुरू कर दिया। परन्तु मार्च 1997 तक इकाई- II का संचालन नहीं किया जा सका क्योंकि स्वचालित वोल्टेज नियन्त्रक (एवीआर) मरम्मत में था।

इस प्रकार, स्टॅब शाफ्ट्स की मरम्मत में देरी के कारण अगस्त 1995 से दिसम्बर 1996 तक की अवधि के दौरान (मरम्मत आदि के लिए 3 माह को छोड़कर) 67.77 लाख इकाई ऊर्जा उत्पादन नहीं हो सका जिसके कारण मण्डल को 97.38 लाख रुपये राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने बताया (अगस्त 1997) कि, उपरोक्त समय का उपयोग जल विद्युतगृहों द्वारा सामान्यत: उठाई जाने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए जनवरी 1991 में परामर्शकों के दल द्वारा सुझायेनुसार (i) निकास पर स्थान छोड़ने के प्रावधान सहित निकास बिन्दु तथा अन्तिमछोर के स्ट्रक्चर्स का निर्माण (सितम्बर 1992 से मई 1994), (ii) उपमार्ग तंत्र के कार्य (जून 1995 से दिसम्बर 1996), तथा (iii) नहर के दरवाजों पर मुहानों तथा डी.टी दरवाजों का प्रावधान (जुलाई 1995 से मई 1997)करने में किया गया था, अन्यथा इन कार्यों के लिए विद्युत गृह को पर्याप्त समय के लिए बन्द करना पड़ता । उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि परामर्शकों के दल द्वारा जनवरी 1991 में सुझाये अनुसार कार्यो को करने के लिए मण्डल ने कभी भी योजना बनाने एवं इसके लिए लगने वाले समय का निर्धारण नहीं किया था तथा इन कार्यो के करने में हर स्तर पर विलम्ब हुआ था जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

(i) निकास द्वार प्रावधित करने हेतु फरवरी 1994 में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) को आदेश दिया गया था तथा आईजीएनपी को दो किश्तों में अग्रिम

---

* स्टॅब शाफ्टस जल टरबाइन का एक भाग है तथा जल दाब के उपयोग के दौरान घूमने वाली पत्तियों की सहायता से घूमता है और अन्ततोगत्वा गीयर बाक्स की सहायता से जनरेटर के रोटर को घुमाता है।

राशि का भुगतान जुलाई 1995 एवं सितम्बर 1996 में किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कार्य मई 1997 में पूर्ण हो सका।

(ii) उपमार्ग तन्त्र के कार्य के आरेखों (ड्राईंग्स) को दिसम्बर 1994 में स्वीकार किया गया, निविदायें फरवरी 1995 में आमंत्रित की गई, कार्य जून 1995 में आवंटित किया गया और अन्तिम रूप से कार्य दिसम्बर 1996 में पूर्ण हुआ था।

इसके अलावा मण्डल ने स्टॅब शाफ़्ट्स की मरम्मत में देरी के कोई विशिष्ट कारण भी नहीं दर्शाये थे।

4ब.1.7 ब्याज की हानि

4ब.1.7(अ) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल) के माही जल विद्युत परियोजना, बागीदोरा (बांसवाड़ा) की द्वितीय चरण की इकाई -I व II के टरबो जेनरेटरों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), हरिद्वार द्वारा किया गया था। ये इकाइयाँ क्रमशः 15 फरवरी 1989 एवं 27 सितम्बर 1989 में चालू कर दी गई थी। इनकी स्थापना के समय से फरवरी 1991 तक विभिन्न कमियां बनी रही जबकि इन्हें संस्थापित करने वाला 'भेल' का दल बांसवाड़ा में ही था। जब हालात अनियंत्रणीय हो गये तब 'भेल', नई दिल्ली को तार द्वारा सूचित किया गया (अप्रेल 1991)। 'भेल', नई दिल्ली द्वारा मई से अगस्त 1991 के दौरान खामियों को सुधार दिया गया तथा 2.78 लाख रुपये के दो बीजक सेवा प्रभारों के प्रस्तुत किये गये (अगस्त एवं सितम्बर 1991)। तथापि, मण्डल द्वारा (नवम्बर 1991) समाश्वासन अवधि में ही खामियाँ होने के आधार पर सेवा प्रभारों को अमान्य कर दिया गया था तथा 'भेल' मई 1990 में बिना प्रभारों के आधार पर ही खामियाँ सुधारने को सहमत हो गया था। दिसम्बर 1991 में 'भेल', मण्डल के विरुद्ध बकाया दावों एवं क्षतिपूरक प्रत्याभूति के खाते काटी गयी राशि में से 2.78 लाख रुपये समायोजित करने के लिए सहमत हो गया था। परन्तु, मण्डल ने बिना इस तथ्य को सत्यापित किये कि मण्डल के पास कोई दावा बकाया है, 2.78 लाख रुपये का भुगतान 'भेल' को कर दिया (नवम्बर 1992)। इसके परिणामस्वरूप 2.78 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हो गया। लेखापरीक्षा द्वारा अक्टूबर 1996 में ध्यान में लाये जाने पर 'भेल' द्वारा दिसम्बर 1996 में बनाये गये बिलों में से जुलाई 1997 में राशि वसूल कर ली गई थी। बिना इस तथ्य के सत्यापन के कि कोई दावा बकाया है, राशि (2.78 लाख रुपये) जारी कर दिये जाने के फलस्वरूप मण्डल को 2.34 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

4ब.1.7(ब) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श (फरवरी 1994) पर चिन्हित हुए चार स्थानों (धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा एवं आबूरोड़) पर 'कम्बाइन साइकिल' (मिले-जुले चक्र) गैस आधारित ऊर्जा संयन्त्रों की स्थापना हेतु वातावरण पर द्रुतगामी प्रभाव (आरईआईए) के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) ने प्रत्येक स्थान के अध्ययन के लिए 15 लाख रुपये की

निविदा दी थी (मई 1994) । मण्डल ने सभी स्थानों के अध्ययन के लिए 'नीरी' को कार्य (60 लाख रुपये) आवंटित किया था (जुलाई 1994) ।

आरम्भ में दो स्थानों (धौलपुर एवं कोटा) का अध्ययन 6 माह की अवधि में किया जाना था तथा इसके बाद अन्य दो स्थानों (बांसवाड़ा व आबूरोड़) का अध्ययन किया जाना था। इस मामले पर आगे चर्चा के आधार पर एवं मण्डल के निवेदन किये जाने पर (6 जनवरी 1995) 'नीरी' ने (11 जनवरी 1995) अपने 30 लाख रुपये अग्रिम के विपत्रों/मांग को 15 लाख रुपये तक संशोधित किया । तथापि, अधीक्षण अभियन्ता (एस ई) ने 'नीरी' द्वारा मांग में कमी की जाने की उपेक्षा करते हुए 24 जनवरी 1995 को 30 लाख रुपये का एक डिमान्ड ड्राफ्ट भेज दिया ।

बाद में सरकार ने एक गैस टरबाइन ऊर्जा परियोजना (जीटीपीपी) कोटा या बांरा जिले में एवं दूसरी धौलपुर में लगाने का तय किया (मार्च 1995) जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में प्रस्तावित स्थलों बासंवाड़ा एवं आबूरोड़ स्थल का आरईआईए अध्ययन समाप्त कर दिया गया।

मण्डल ने धौलपुर की अनुकूल स्थल के रूप में पहचान की (जुलाई 1995) तथा 'नीरी' को कार्य आरम्भ करने के लिए कहा गया जिसे जुलाई 1996 में पूर्ण हो जाना था । तथापि, कोटा/बाराँ का स्थान चयन मण्डल द्वारा निश्चित नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप अध्ययन नही किया जा सका था।

लेखापरीक्षा के ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 1996) मण्डल ने 'नीरी' से जनवरी 1995 में अधिक भेजे हुए 15 लाख रुपये की मांग की (जनवरी 1997) जो मण्डल को फरवरी 1997 में प्राप्त हो गये थे।

इस प्रकार, संशोधित विपत्र की शर्तों के अलावा अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के फलस्वरूप मण्डल को जनवरी 1995 से जनवरी 1997 तक की अवधि में 4.80 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (मई 1997) कि पूर्णकालीक सदस्यों द्वारा अनुमोदित कार्यदिश की दशाओं एवं शर्तों के अनुरूप 'नीरी' को अग्रिम (30 लाख रुपये) का भुगतान किया गया था। उत्तर युक्तिसंगत नहीं हैं क्योंकि 'नीरी' 15 लाख रुपये अग्रिम के रूप में लेने हेतु सहमत हो गई थी तथा 'नीरी' को 30 लाख रुपये के भुगतान से पूर्व यह मण्डल की जानकारी में था।

4ब.2 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.2.1 ट्रीड रबर की खरीद

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के क्रय मण्डल ने अपनी ट्रीड रबर की वार्षिक आवश्यकता की पूर्ति, संस्थापित एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने वाली फर्मों से लेने का निश्चय किया यथा एल्गी टायर एवं ट्रीड लिमिटेड (25 मी.टन प्रति माह), एमआरएफ लिमिटेड (15 मी.टन प्रति माह) एवं इन्डेग रबर लिमिटेड (5 मी.टन प्रति माह) से नियमित क्रय करने तथा 2 मी. टन प्रतिमाह का

परीक्षण आदेश ब्रेमेल्स इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (बीआईपीएल), मिडास प्रिक्यॉर्ड ट्रीड प्राइवेट लिमिटेड (एमपीटीपीएल) तथा विक्रांत टायर्स लिमिटेड प्रत्येक को विक्रेता-विकास के तहत देना तय किया (जनवरी 1994)। तद्नुसार तीन महीनों की आवश्यकतानुसार आदेश दे दिये गये ।

क्रय मण्डल ने, तथापि, बीआईपीएल एवं एमपीटीपीएल के पक्ष में क्रमशः 10 मी.टन एवं 5 मी.टन प्रतिमाह का बढ़ा हुआ आदेश अप्रेल-जून 1994 की तिमाही के लिए देना तय किया (अप्रेल 1994)।

> उच्च परिचालन लागत वाली फर्मो से ट्रीड रबर खरीदने से आरएसआरटीसी को 0.18 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

बीआईपीएल तथा एमपीटीपीएल की जून 1994 में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अगस्त 1991 से अप्रेल 1994 की अवधि के दौरान प्रति टायर प्रति 100 किलोमीटर लागत क्रमशः 4.47 रुपये एवं 17.89 रुपये थी जबकि इण्डेग रबर लिमिटेड (आईआरएल) की यह लागत 3.31 रुपये थी और यह तथ्य ध्यान में आ जाने के बावजूद इन आपूर्ति कर्त्ताओं को माह जुलाई-सितम्बर 1994 वाली तिमाही के लिए इन दोनों आपूर्तिकत्ताओं को 7.5 मी.टन प्रतिमाह का आदेश, क्रय मण्डल ने देना तय किया (जुलाई 1994)। तद्नुसार, बीआईपीएल एवं एमपीटीपीएल ने तिमाही के दौरान क्रमशः 14.99 मी.टन तथा 22.49 मी.टन ट्रीड रबर की आपूर्ति की। यदि यह मात्रा आईआरएल से खरीदी जाती तो आरएसआरटीसी परिचालन लागत मद में 17.66 लाख रुपये बचा सकती थी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि सामग्री की निष्पादकता निर्धारण हेतु उचित आकार के प्रतिदर्श के लिए बीआईपीएल एवं एमपीटीपीएल से क्रय की मात्रा बढ़ाई गई तथा आगे बताया कि अगस्त 1991 से मई 1997 की अवधि में बीआईपीएल एवं एमपीटीपीएल की लागत आईआरएल की लागत से कम थी। तथापि, उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जुलाई 1994 में लिया गया निर्णय उस वक्त उपलब्ध तुलनात्मक निष्पादन पर आधारित हो सकता था तथा बाद में भी उनकी उच्च तुलनात्मक लागत के कारण बीआईपीएल एवं एमपीटीपीएल को क्रय मण्डल ने उपेक्षित करना तय किया था (अक्टूबर 1994) ।

4ब.2.2 वातानुकूलित (ए.सी.) कोच निर्माण

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) ने जून 1996 तक दो ए. सी. कोच निर्माण (संरचना) के लिए बिना निविदा किये एक कार्य आदेश सतलज मोटर्स लिमिटेड (एसएमएल), जालंधर को दिया (जनवरी 1996)। कार्य में मोटर गाड़ी के लिलेंड वाईकिंग चेसिस पर 'किर्लोस्कर' मार्का एसएमओ - 220 ए.सी. संयन्त्र लगाये जाने का प्रावधान था। आरएसआरटीसी ने इसके साथ ही किर्लोस्कर न्यूमेटिक

कम्पनी लिमिटेड (केपीसीएल), दिल्ली को ए.सी. संयंत्रों जिनमें कोच में उष्मा देने का प्रबन्ध भी हो, की अभिकल्पना, संरचना एवं लगाने का कार्य करने का एक कार्यादेश दिया (फरवरी 1996)।

केपीसीएल ने एसएमएल को एसएमओ - 220 मॉडल के ए. सी. संयंत्रों के आरेख, उनको लगाने के लिए अनुकूल प्रावधान करने हेतु भिजवाये (फरवरी 1996)। कार्यादेश की शर्तों के अनुसार बस-बॉडी के निर्माण हेतु एसएमएल को मोटर गाड़ी के चेसिस सुपुर्द कर दिये गये (अप्रेल 1996)।

आरएसआरटीसी ने एसएमएल को परिवर्धित वाष्पीकरण संघनित करने वाली इकाई को स्थान देने के लिए खन्दे रखने तथा शीतल करने वाले रबर पाइप के साथ गरम व शीतल जल के अतिरिक्त दो रबर पाइप संचालन हेतु स्थान रखने के लिए सूचित किया था (4 जून 1996) । तथापि, 13 जून 1996 को एसएमएल ने सूचित किया कि उन्हें इस तरह के ए.सी. संयन्त्र को लगाने के लिए कभी परामर्श नहीं दिया गया और तात्कालिक प्रचलन के अनुसार उन्होंने किर्लोस्कर के आरएम - 21 मॉडल के ए.सी. संयन्त्र के लिए डक्टिंग (नलिकाएँ) व अन्य प्रावधानों का निर्माण किया था तथा अब आवश्यक परिवर्धन किया जाना सम्भव नहीं था एवम् आरएसआरटीसी को अपने ए.सी. संयंत्र चयन का पुनः निर्धारण करना चाहिये । तथापि, 5 एवं 6 जुलाई 1996 को ए.सी. कोच के निरीक्षण के समय आरएसआरटीसी एवं केपीसीएल दोनों ने यह तथ्य सत्यापित किया कि डक्टिंग प्रावधानों का निर्माण किर्लोस्कर के एसएमओ-220 मॉडल ए.सी. संयन्त्र के अनुरूप किया गया था। जब 16 जुलाई 1996 को दिल्ली में एसएमएल द्वारा केपीसीएल को इन कोचों को सम्भलवाया गया तब बाद वाली फर्म को पता चला कि एसएमओ - 220 मॉडल के ए.सी. संयंत्र के अनुरूप उन्हें लगाने एवं डक्टिंग का प्रावधान नहीं किया गया था। एसएमएल द्वारा त्रुटि सुधार करने के बाद, इन कोचों का निरीक्षण किया गया और उन्हें आरएसआरटीसी (अगस्त 1996)/ केपीसीएल (सितम्बर 1996) द्वारा परीक्षण पर रखा गया किन्तु यह ध्यान में आया कि समुचित डक्टिंग की व्यवस्था नहीं किये जाने के फलस्वरूप ए.सी. संयंत्र से हवा प्रवाह उचित नहीं हो रहा था। एसएमएल को प्रतिवेदित किये जाने (13 सितम्बर 1996) पर उसने तर्क दिया कि डक्टिंग उचित नहीं होने का कारण कोई त्रुटि पाया जाना नहीं है। इसके साथ ही, आरएसआरटीसी ने कोच लाने एवं एसएमएल द्वारा की गई चूकों एवं परिणामी हानि के लिए उसे कानूनी नोटिस देना तय किया (20 दिसम्बर 1996)। इन कोचों को 2 एवं 11 जनवरी 1997 को सड़क पर चलाया गया था । इसके पश्चात् आगे भी ए.सी. संयन्त्र उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे थे।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1997) कि देरी के कारण उठाई गई हानि के लिए एसएमएल को एक दावे का नोटिस आरएसआरटीसी द्वारा दिया गया था (जून 1997)। जुलाई 1997 में एसएमएल ने इस आधार पर दावा अस्वीकार कर दिया कि निरीक्षण में सफल कर दिये जाने एवं भुगतान (जून 1996) कर दिये जाने से अनुबन्ध का उन्मोचन हो गया है। यहाँ यह ध्यान में लाया जाना प्रासंगिक होगा कि देरी के लिए संविदा में कोई शास्ति लगाने का उपबन्ध नहीं था।

> अप्रभावी अनुश्रवण, ए.सी. कोच के देरी से परिचालन के फलस्वरूप 0.12 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इस प्रकार, आरएसआरटीसी मामलें में प्रभावपूर्ण तरीके से अनुश्रवण एवं समन्वय नहीं कर पाई । सितम्बर 1996 में जब प्रकरण पूर्ण गतिरोध पर पहुंच गया था, इन कोचों को स्वीकार कर लिया जाता तो अक्टूबर-दिसम्बर 1996 की अवधि के दौरान कम से कम 12.14 लाख रुपये की आय से वंचित नहीं होना पड़ता।

4ब.2.3 ब्याज की हानि

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) ने 97 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी थी (1983 से 1992 के मध्य) । समापन आदेश के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएँ दायर कर दी गई। विभिन्न न्यायालयों ने प्रकरण में निर्णय होने तक आरएसआरटीसी के बैंक खाते में 40.15 लाख रुपये की सीमा तक राशि जब्त करने के आदेश दिये (अक्टूबर 1983 से जनवरी 1992)।

इन 97 प्रकरणों में से 4.55 लाख रुपये के 18 प्रकरण, कर्मचारियों के पक्ष में निर्णित हुये एवं कुर्की जारी की गई। इन प्रकरणों में जब्त धन के स्थान पर सीधे ही आरएसआरटीसी के चालू खाते से भुगतान कर दिये गये थे अतः न्यायालय ने मार्च 1987 से अगस्त 1992 के मध्य पूर्व में जारी की गई कुर्की को रद्द कर दिया। 35.60 लाख रुपये के शेष 79 प्रकरणों में न्यायालयों के अन्तिम निर्णय एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई थी।

आरएसआरटीसी ने जब्त किये हुए धन को छोड़ने के लिए सिर्फ मई 1995 में बैंक से निवेदन किया था। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्याभूत करने की आरएसआरटीसी द्वारा प्रतिज्ञा लेने के पश्चात् बैंक ने आरएसआरटीसी के खातें में निधियाँ जमा कर दी (मई 1995)।

इस प्रकार, बैंक से धन आहरण पर सतर्कता की कमी के कारण न्यायालय द्वारा दी गई कुर्की का जब्त धन वाले खाते के स्थान पर अन्य खाते से आहरण करने एवं 30 माह से 95 माह के मध्य असाधारण देरी (जब्त धन को छुड़वाने के लिए कार्यवाही हेतु 3 माह की अनुग्रह अवधि को छोड़कर) के फलस्वरूप 18 प्रकरणों के में 4.55 लाख रुपये पर 3.48 लाख रुपये के ब्याज की हानि आरएसआरटीसी को वहन करनी पड़ी। पर्याप्त जानकारी के अभाव में शेष 79 प्रकरणों में आरएसआरटीसी की हानि की मात्रा नहीं बताई जा सकी।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रेल 1997) कि मामला, (अगस्त 1992 एवं अक्टूबर 1992) न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा जब्त धन पर रोक उठाना न्यायालय की राय से था एवं आदेश सीधे ही बैंक को दे दिये जाने चाहिये थे किन्तु बैंक को कोई आदेश नहीं दिये गये और इस प्रकार, बैंक से अनुसरण करने के बाद राशि जारी करवाई गई (मई 1995)। सरकार ने आरएसआरटीसी के दृष्टिकोण को सितम्बर 1997 में पृष्ठांकित किया। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि जब्त धन छुड़वाने एवं तद्नुसार 3.48 लाख रुपये के ब्याज की हानि से बचने के लिए बैंक से प्रकरण तुरन्त ही व्यवहृत किया जा सकता था जैसा कि बाद में मई 1995 में किया गया।

4ब.3 राजस्थान वित्त निगम

4ब.3.1 आस्थगित ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में देरी

राजस्थान वित्त निगम, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए उन्हें अवधि ऋण प्रदान करता है तथा उनके बदले भारत के लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी) आदि से पुनर्वित्त प्राप्त कर लेता है। अक्टूबर 1991 से सिड्बी ने अपने ब्याज दर ढाचें को बढ़ाया तथा ऐसे प्रकरणों पर भी लागू किया जहाँ ऋण एवं पुनर्वित्त अक्टूबर 1991 से पूर्व स्वीकृत हुआ किन्तु वितरित नहीं हुआ था ।

आरएफसी के अभ्यावेदित करने पर, सिड्बी ने तय किया (मई 1995) कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ प्रथम किश्त अक्टूबर 1991 से पूर्व वितरित कर दी गई हो किन्तु जिसके विरुद्ध पुनर्वित्त प्राप्त नहीं किया गया हो, ब्याज/पुनर्वित्त की दर संशोधन पूर्व की रहेगी बशर्ते कि निम्न ब्याज दर का लाभ अन्तिम उधार लेने वाले को दे दिया गया हो।

आरएफसी द्वारा प्रस्तुत (जून 1995) ऐसे उधार लेने वालों (संख्या में 63) के विवरण, जिनको ब्याज लाभ दे दिया गया था, के आधार पर सिड्बी ने आरएफसी द्वारा सिड्बी को देय ब्याज में से दावे की राशि 157.55 लाख रुपये की कटौती

स्वीकार कर ली (अगस्त 1995) किन्तु आरएफसी को परामर्श दिया कि अतिरिक्त प्रभारित ब्याज संबंधित उधार लेने वाले को लौटा दिया जाये तथा इसकी पुष्टि प्रेषित की जावे। चूंकि इस तरह की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थीं, सिड्बी ने आरएफसी को निर्देश दिया (मार्च 1996) कि 30 दिवस के भीतर ब्याज अन्तर का लाभ अन्तिम उधार लेने वाले को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में अंकेक्षक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे जिसमें असफल हो जाने पर दिया गया लाभ अस्वीकृत कर दिया जावेगा। तय की गई अवधि में अंकेक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर सिड्बी ने वितरित पुनर्वित्त में से 157.55 लाख रुपये काट लिये (जून 1996)।

आरएफसी ने बाद में 12 दिसम्बर 1996 को (60 प्रकरणों) 148.59 लाख रुपये की राशि के लिए वांछित अंकेक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और फरवरी 1997 में इस राशि का समायोजन पुनर्भुगतान की जाने वाली राशि में से करना सिड्बी ने स्वीकार कर लिया था किन्तु यह 2.87 लाख रुपये, जिसका लाभ गलती से आरएफसी को दे दिया गया था के समायोजन के पश्चात् था। 6.89 लाख रुपये के तीन प्रकरणों के सम्बन्ध में अंकेक्षक का प्रमाण पत्र मई 1997 में भेजा गया। इस राशि की वसूली सितम्बर 1997 में हुई थी।

अंकेक्षक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में 16 माह तक की असाधारण देरी से 1.55 करोड़ रुपये का देरी से पुनर्भरण हुआ एवं 0.15 करोड़ रुपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

इस प्रकार, निम्न दर के ब्याज का लाभ सम्बन्धित उधार लेने वाले को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में पुष्टि/अंकेक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के फलस्वरूप 154.68 लाख रुपये के पुनर्भरण लेने में 8 से 16 माह की देरी (जून 1996 से सितम्बर 1997) के कारण 15.01 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (जुलाई 1997) कि अंकेक्षक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में देरी इकाईयों से सूचनायें प्राप्त नहीं होने के कारण थी जो कि तन्त्र में अनुश्रवण एवं समन्वय की कमी परिलक्षित करता है।

4ब.3.2 आयकर का परिहार्य भुगतान

'राजस्थान वित्त निगम' के कर्मचारियों की समूह ग्रेच्यूटी सह बीमा योजना के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी भुगतान के दायित्वों के निर्वहन हेतु राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) ने मार्च 1975 में एक ट्रस्ट विलेख तैयार किया एवम् योजना के ट्रस्टियों ने विलेख में उल्लेखित एवं राजस्थान वित्त निगम बीमा योजना में देय

परिलाभ प्रदान करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ प्रस्ताव तैयार किये (मार्च 1976)। ये प्रस्ताव जुलाई 1976 में एलआईसी द्वारा स्वीकार कर लिये गये थे तथा 31 जुलाई 1976 को एक पॉलिसी जारी की गई थी। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(अ) (7) (ब)(i) के अन्तर्गत, एक ग्रेच्यूटी फण्ड के लिए अपने हिस्से के भुगतान और किसी भी तरह की ग्रेच्यूटी देने के उद्देश्य से भुगतान पर कटौती अनुमत्य है बशर्ते कि ऐसा ग्रेच्यूटी फण्ड संबंधित आयकर आयुक्त (सीआईटी) से मान्यता प्राप्त हों। तद्नुसार, कर परिलाभ प्राप्त करने हेतु आरएफसी ने मार्च 1976 में सीआईटी से समूह ग्रेच्यूटी एवं बीमा योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयकर अधिकारी (आईटीओ), कम्पनी वृत्त-I के माध्यम से आवेदन किया। यद्यपि, आरएफसी ने सीआईटी/आईटीओ से पत्र की पावती रसीद के बारे में सुनिश्चित नहीं किया था। निर्धारण वर्ष 1978-79 के लिए आय निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी ने (निर्धारण पूर्ण हुआ जनवरी 1981 में एवं बाद में नवम्बर 1984 में संशोधित) समूह ग्रेच्यूटी सह बीमा योजना हेतु दी गई हिस्सा राशि को इस आधार पर अनुमत्य नहीं किया कि योजना सीआईटी द्वारा अनुमोदित नहीं है। इस पर आरएफसी ने एक अपील दायर की (18 फरवरी 1985) जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया (मार्च 1985) कि निर्धारिति यह साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा कि पंजिकरण के लिए एक प्रार्थना-पत्र कभी भेजा भी गया और जो आयकर कार्यालय में प्राप्त हुआ। बाद में आयकर आयुक्त एवं ट्रिब्युनल में की गई अपील भी क्रमशः अक्टूबर 1985 एवं अप्रेल 1986 में निरस्त कर दी गई।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (सितम्बर 1996) कि ट्रिब्युनल द्वारा अप्रेल 1986 में अपील निरस्त कर दिये जाने के पश्चात् भी आरएफसी ने आयकर विभाग से योजना अनुमोदन के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की ताकि योजना के अन्तर्गत भुगतान किये गये प्रब्याजी पर कटौती का परिलाभ बाद के निर्धारण वर्षो की कुल आय में प्राप्त किया जा सके एवं निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1995-96 तक के कर भुगतान से बचा जा सके। बाद में आरएफसी ने देरी से मार्च 1996 में योजना अनुमोदन करवाने के लिए सीआईटी को आवेदन किया और प्रकरण अभी भी अनुमोदन के लिए आयकर विभाग में लम्बित है।

इस प्रकार, सीआईटी से योजना अनुमोदित करवाने में असफल रहने के परिणामस्वरूप आरएफसी ने निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1995-96 तक आयकर के 18.91 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया।

> आयकर प्राधिकारी से ग्रेच्यूटी फण्ड अनुमोदित करवाने में असफल रहने के कारण आरएफसी का 0.19 करोड़ रुपये के आयकर का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

आरएफसी ने बताया (जुलाई 1997) कि जनवरी 1997 में आयकर आयुक्त (अपील्स), जयपुर ने निर्धारण वर्ष 1993-94 में एलआईसी समूह ग्रेच्यूटी पॉलिसी के लिए एलआईसी को किये गये प्रब्याजी भुगतान के लिए कटौती अनुमत्य की है। तथापि, तथ्य यह है कि आरएफसी की निर्धारण वर्ष 1978-79 की अपील अप्रेल 1986 में अस्वीकृत कर दी गई थी इसके पश्चात्, निर्धारण वर्ष 1993-94 हेतु अप्रेल 1996 से पूर्व कभी भी यह अपील में नहीं गई । इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 1992-93 तक आईटीओ द्वारा किये गये निर्धारण को स्वीकार कर लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1992-93 तक आयकर के 12.27 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया था। आगे, निर्धारण वर्ष 1993-94 हेतु 1.97 लाख रुपये के कर की वापसी अभी प्रतिक्षित थी (सितम्बर 1997)। आरएफसी ने निर्धारण वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के लिए अब तक भी कोई अपील दायर नहीं की है (सितम्बर 1997)।

सरकार ने आरएफसी के दृष्टिकोण को पृष्ठांकित किया था (सितम्बर 1997) ।

4ब.3.3. अव्यवहार्य परियोजनाओं को वित्त देना

ऋषभदेव में एक होटल परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) ने ओ.डी. एन्अरप्राइजेज को 8.89 लाख रुपये का एक ऋण (जून 1983 एवं जुलाई 1986 के मध्य) संवितरित किया एवं होटल ने वाणिज्यिक परिचालन जनवरी 1987 में शुरू कर दिया था।

प्रारम्भ से ही इकाई अपने बकाया (मूल एवं ब्याज) भुगतान में त्रुटि कर रही थी। तथापि, जब कभी भी आरएफसी द्वारा इसको कब्जे में लेने का कानूनी नोटिस दिया गया तब इकाई ने कुछ भुगतान कर दिया था। 26 अप्रेल 1994 को इकाई को कब्जे में लेने के लिए दिये गये अन्तिम नोटिस (फरवरी 1994) के उत्तर में इकाई के प्रवर्तक ने आरएफसी से निवेदन किया (22 अप्रेल 1994) कि यदि उसे दण्डनीय ब्याज से मुक्ति दे दी जावे तो समस्त बकाया चक्रवृद्धि ब्याज सहित दे दिया जावेगा। तथापि, आरएफसी द्वारा यह निवेदन स्वीकार नहीं किया गया तथा जिसके लिए कोई भी कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये। नवम्बर 1994 में प्रवर्तक ने बताया कि गलत स्थल का चुनाव कर लिये जाने एवं समीप में ही सभी सुविधाओं से सुसज्जित एक अन्य होटल से कठिन प्रतिस्पर्धा होने से अधिभोग कम रहा एवं 1987 से 1994 के दौरान यह 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के मध्य रहा है और अधिभोग में बढ़ोतरी के कोई अवसर नहीं है। पुनः फरवरी 1995 में, प्रवर्तक ने

समस्त बकाया सरल ब्याज सहित देने का प्रस्ताव किया जिसे शाखा प्रबन्धक द्वारा (मार्च 1995) एवं एकमुश्त समझौता समिति द्वारा (सितम्बर 1995) में की गई अनुशंसाओं पर आरएफसी के मण्डल द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। पार्टी ने 30 मार्च 1996 को खाता चुकता कर दिया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 1996) में सामने आया कि पार्टी द्वारा दिये गये कारणों पर दण्डनीय ब्याज प्रभारित नहीं करना एवं आरएफसी द्वारा होटल को कब्जे में न लिया जाकर सरल ब्याज के साथ एकमुश्त समझौता के लिए तैयार हो जाना, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि:

(i) आरएफसी ऋण स्वीकृत करते समय परियोजना की व्यवहार्यता की पूर्ण जांच करने में असफल रही।

(ii) यद्यपि, प्रवर्तक ने केवल दण्डनीय ब्याज से मुक्ति की प्रार्थना की थी (अप्रेल 1994), किन्तु उसे चक्रवृद्धि ब्याज से भी मुक्ति दे दी गई थी जिससे चक्रवृद्धि ब्याज से मुक्ति देकर पार्टी को 6.39 लाख रुपये का अवांछनीय परिलाभ दे दिया गया।

(iii) 'एकमुश्त समझौता योजना' 5 से 10 लाख रुपये के मध्य संवितरित ऋण के लिए लागू की गई थी(अगस्त 1996), केवल 50 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज की छूट दिया जाना था जिसके स्थान पर उद्धृत प्रकरण में 100 प्रतिशत छूट दे दी गई जिसके परिणामस्वरूप 5.05 लाख रुपये तक पार्टी को अवांछनीय लाभ पहुँचा।

इस प्रकार, बकाया के अनियमित निस्तारण से आरएफसी ने एक ऋणी को कुल 11.44 लाख रुपये तक का अवांछनीय लाभ पहुँचाया।

> अव्यवहार्य परियोजना हेतु वित्त प्रदान करने एवं आरएफसी के अविवेकपूर्ण निर्णय के फलस्वरूप ऋणी को कुल 0.11 करोड़ रुपये तक का अवांछनीय लाभ पहुँचा।

सरकार ने बताया (अगस्त 1997) कि परियोजना को निश्चित अवधारणाओं वाले अनुमानों के आधार पर व्यवहार्य माना गया था। प्रवर्तक ने फरवरी 1995 में सरल ब्याज प्रभारित कर प्रकरण तय करने हेतु निवेदन किया था। उत्तर युक्तिसंगत

नहीं है क्योंकि :

- अवधारणा अतिशयपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि परियोजना औसत 80 प्रतिशत अधिभोग के आधार पर व्यवहार्य मानी गई थी जबकि वास्तविक अधिभोग 35 से 50 प्रतिशत के मध्य विचरित था।

- अप्रेल 1994 में प्रवर्तक ने चक्रवृद्धि ब्याज दर सहित प्रकरण निपटाने के लिए निवेदन किया था, यदि दण्डनीय ब्याज से मुक्ति प्रदान कर दी जाती, किन्तु आरएफसी ने प्रकरण तय नहीं किया।

- प्रकरण तय करते समय निदेशक मण्डल ने विवेक से कार्य नहीं किया एवं 100 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज से मुक्ति दी गई जबकी बाद के चरणों में केवल 50 प्रतिशत तक दण्डनीय ब्याज से छूट देना उचित समझा गया था।

4ब.3.4 ब्याज की हानि

(अ) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) ने बैंक ऑफ राजस्थान, जयपुर के अपने खाते में दिनांक 9 जनवरी 1996 को 25 लाख रुपये का एक चैक जमा करवाया था। समाशोधन के पश्चात् 10 जनवरी 1996 को राशि खाते में जमा कर दी गई किन्तु 11 जनवरी 1996 को यह जमा गलती से बैंक ऑफ राजस्थान द्वारा उलट दी गई और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) के खाते में जमा दे दी गई । यद्यपि जनवरी 1996 के बैंक विवरण-पत्र में जमा को गलत उलटने का तथ्य दृष्टव्य था, पर आरएफसी इसे खोजने में असफल रही। वार्षिक लेखों के तैयार किये जाने के समय ही यह ध्यान में आया और 8 जून 1996 को 25 लाख रुपये खाते में जमा हुये यथा 149 दिवस की चूक के बाद।

सरकार ने बताया (जून 1997) कि बैंक ऑफ राजस्थान ने 12 मार्च 1997 को 0.45 लाख रुपये 4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज के आरएफसी के खाते में जमा किये और 'रीको' के खाते में नामे किये। तथापि, गलती की खोज समय रहते कर ली जाती तो आरएफसी द्वारा 25 लाख रुपये तक की निधियों पर 1.83 लाख रुपये का ब्याज कमाया जा सकता था। इस प्रकार अंक मिलान में लापरवाही के फलस्वरूप आरएफसी को 1.38 लाख रुपये की हानि हुई।

> बैंक के अंक मिलान में लापरवाही एवं ब्याज गलत पास कर दिये जाने के कारण 0.03 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(ब) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) ने राज्य सरकार से दो ऋण प्रत्येक 412.50 लाख रुपये के (कुल : 825 लाख रुपये) जून 1993 एवं फरवरी 1994 में प्राप्त किये। आरएफसी ने अप्रेल 1994 से

सितम्बर 1994 एवं अक्टूबर 1994 से मार्च 1995 तक की छमाही अवधि के लिए 825 लाख रुपये के स्थान पर 925 लाख रुपये पर ब्याज गणना की। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 10 लाख रुपये के अधिक ब्याज का भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर (जुलाई 1995) आरएफसी ने अधिक भुगतान किये हुए ब्याज के 10 लाख रुपये की कटौती अप्रेल से सितम्बर 1995 की अर्द्धवार्षिकी के ब्याज में से कर ली।

ब्याज की गलत गणना के फलस्वरूप आरएफसी की निधियाँ अवरुद्ध रही और इससे 1.31 लाख रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ।

सुषमा दाबक

जयपुर
दिनांक : 30 मार्च 1998

(सुषमा वि. दाबक)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- II, राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली
दिनांक : 1 अप्रैल 1998

(वी. के. शुंगलू)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध

अनुबन्ध - I

ऐसी कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है परन्तु जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं थी ।

(अनुच्छेद 1.2.10 तथा पृष्ठ 21 में उल्लिखित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	सरकार द्वारा निवेश (रुपये करोड़ों में)
1.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	0.75
2.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर	0.17
3.	मान इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	0.15
4.	मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	0.25
5.	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़	0.16
6.	मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा	0.30
	योग	1.78

अनुबन्ध - II

31 मार्च 1997 को अद्यतन पूंजी, बजट से जावक, बजट से दिया गया ऋण एवं बकाया ऋण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

(अनुच्छेद 1.2.2, 1.2.3 तथा 1.2.3(स)(i) एवं पृष्ठ 6, 9 तथा 11 में उल्लिखित)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	1996-97 के अन्त में प्रदत्त-पूंजी (रुपये लाखों में)					वर्ष के दौरान राज्य सरकार के बजट से दिया गया ऋण	बकाया दीर्घ-कालीन ऋण
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	धारित कम्पनियां	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3अ)	(3ब)	(3स)	(3द)	(3य)	(4)	(5)
1.	कृषि विभाग							
	(i) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	599.73	-	-	1.00	600.73	-	33.40
	(ii) राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	510.00	103.93	-	20.80	634.73	-	1000.00
2.	पशु पालन विभाग							
	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	15.69	271.90	-	-	287.59	-	-
3.	भू-जल विभाग							
	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	127.00	-	-	-	127.00	-	-
4.	उद्योग विभाग							
	(i) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (रीको की सहायक कम्पनी)	-	-	30.00	-	30.00	-	197.88
	(ii) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	15440.25 (550.00)	-	-	-	15440.25 (550.00)	2080.00	54193.44
	(iii) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	514.39	27.00	-	5.01	546.40	220.00	347.50
	(iv) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	485.00 (124.00)	-	-	55.00	540.00 (124.00)	297.00	901.71

(1)	(2)	(3अ)	(3ब)	(3स)	(3द)	(3य)	(4)	(5)
5.	वन एवं पर्यावरण विभाग							
	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	19.00	–	–	–	19.00	–	–
6.	खान विभाग							
	(I) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	6171.60	–	–	1.00	6172.60	350.00	7568.44
	(ii) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1633.00	–	–	–	1633.00	395.00	565.80
	(iii) राजस्थान राज्य ग्रेनाइटस एवं मार्बल्स लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि.की सहायक कम्पनी)	–	–	19.00	–	19.00	–	21.32
	(iv) राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि.की सहायक कम्पनी)	–	–	133.79	–	133.79	–	21.16
7.	राजकीय उपक्रम विभाग							
	(i) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	360.33	–	–	4.40	364.73	–	530.00
	(ii) हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड	7.60	–	–	0.05	7.65	–	11.08
8.	सार्वजनिक निर्माण विभाग							
	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	1000.00	–	–	–	1000.00	–	2342.01
9.	पर्यटन विभाग							
	(I) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	106.75	–	–	–	106.75	–	46.00
	(ii) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1383.84	–	–	–	1383.84	–	1435.50
10	ऊर्जा विभाग							
	राजस्थान राज्य पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	45.00 (15.00)	–	–	–	45.00 (15.00)	–	–
	कुल योग	28419.18 (689.00)	402.83	182.79	87.26	29092.06 (689.00)	3342.00	69215.24

टिप्पणी :- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के दौरान बजट से जावक को दर्शाते है।

अनु

सरकारी कम्पनियों के संक्षेपित

वर्ष के लेखों को 30 सितम्बर 1997 तक

(अनुच्छेद 1.2.2, 1.2.4 एवं 1.2.5.4 तथा

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	विभाग/ क्षेत्र का नाम	निगमन की दिनांक	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+)/ हानि (-) (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1 अगस्त 1969	1995-96	1997-98	(-)225.73
2.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28 मार्च 1978	1996-97	1997-98	(+)251.61
3.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	पशु पालन	31 मार्च 1975	1996-97	1997-98	(-)0.09
4.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	24 मई 1985	1991-92	1996-97	(-)1.82
5.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	भू-जल	25 जनवरी 1984	1995-96	1996-97	(+)21.11
6.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	उद्योग	28 मार्च 1969	1996-97	1997-98	(+)1617.08
7.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3 जून 1961	1996-97	1997-98	(+)344.40
8.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	3 मार्च 1984	1995-96	1997-98	(-)112.50
9.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (रीको की सहायक कम्पनी)	उद्योग	23 जनवरी 1985	1996-97	1997-98	(-)11.23
10.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	खान	7 मई 1947 (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	1996-97	1997-98	(+)1742.28

बन्ध - III

वित्तीय परिणाम जिनके नवीनतम

अन्तिम रूप दिया जा चुका था ।

पृष्ठ 6, 13 एवं 16 में उल्लिखित)

(रुपये लाखों में)

प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता
8	9	10	11	12
600.73	(-)1852.99	(-)201.80	(-)112.70	शून्य
634.73	(+) 215.68	1850.59	357.24	19.30
287.59	(-)17.38	270.21	(-)0.09	शून्य
19.00	(-)14.14	4.67	(-)1.82	शून्य
127.00	(+)5.50	137.96	21.11	15.30
15440.25	(+)551.95	72866.76	8470.46	11.62
546.40	(+)37.24	1178.59	358.29	30.40
416.00	(-)619.42	605.17	(-)42.81	शून्य
30.00	(-)221.25	9.41	(-)11.23	शून्य
6172.60	(+)60.58	22857.06	3611.79	15.80

1	2	3	4	5	6	7
11.	राजस्थन राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	खान	27 सितम्बर 1979	1995-96	1996-97	(-)181.13
12.	राजस्थान स्टेट ग्रेनाइटस एवं मार्बल्स लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि. की सहायक कम्पनी)	खान	2 फरवरी 1977	1996-97	1997-98	(-)0.01
13.	राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड (रा.रा.ख.वि.नि. की सहायक कम्पनी)	खान	22 नवम्बर 1983	1996-97	1997-98	(-)0.41
14.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड[1]	सार्वजनिक निर्माण	8 फरवरी 1979	1996-97	1997-98	(+)1341.72
15.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	राजकीय उपक्रम	1 जुलाई 1956	1996-97	1997-98	(+)15.72
16.	हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड	राजकीय उपक्रम	18 मार्च 1963	1995-96	1996-97	(-)1.07
17.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7 जून 1965	1996-97	1997-98	(+)22.45
18.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24 नवम्बर 1978	1995-96	1996-97	(+)256.69
19.	राजस्थान राज्य पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	6 अप्रेल 1995	1995-96	1997-98	शून्य

1 लेखे लेखापरीक्षा जांच में थे ।

8	9	10	11	12
1633.00	(-)374.05	1872.74	11.03	0.59
19.00	(-)50.61	(-)10.28	(-)0.01	शून्य
133.79	(-)113.79	(-)9.99	(-)0.41	शून्य
1000.00	शून्य	4778.77	1384.81	28.98
364.73	(+)0.50	1132.72	149.20	13.17
7.65	(-)17.26	1.74	(-)1.07	शून्य
106.65	(+)48.11	209.71	22.45	10.71
1383.84	(+)57.61	3737.34	400.21	10.71
30.00	शून्य	18.09	शून्य	शून्य

अनुबन्ध-IV

वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारण्टी, तथा वर्ष के अन्त तक बकाया गारण्टी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.2.3 एवं पृष्ठ संख्या 9 में उल्लिखित)

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य सरकार * से प्राप्त अर्थ साहाय्य (अनुपयोगित अर्थ साहाय्य)	वर्ष के दौरान प्राप्त गारण्टी (वर्ष के अन्त तक बकाया)				
			राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	आयात के संबंध में खोले गये साख-पत्र	विदेशी परामर्शकों अथवा ठेकेदारों को अनुबन्ध के अन्तर्गत देय भुगतान	योग
1.	**2.**	**3**	**4(अ)**	**4(ब)**	**4(स)**	**4(द)**	**(4य)**
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	137.66 (275.46)	-	-	-	-	-
2.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको)	1581.20 (1033.22)	-	1900.00 (33312.58)	-	-	1900.00 (33312.58)
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	292.69 (48.22)	-	- (37.50)	-	-	- (37.50)
4.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	14.35 (शून्य)	- (180.00)	-	-	-	- (180.00)
5.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	-	-	- (4615.00)	-	-	- (4615.00)
6.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	-	-	138.00 (2342.01)	-	-	138.00 (2342.01)
7.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	- -	-	- (1435.50)	-	-	- (1435.50)
8.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	381.05 (234.68)	-	-	-	-	-
9.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	-	-	(19.20)	-	-	(19.20)
	योग	**2406.95 (1581.58)**	**- (180.00)**	**2038.00 (41761.79)**	**-**	**-**	**2038.00 (41941.79)**

टिप्पणी:- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े वर्ष के अन्त तक अनुपयोगित अर्थ साहाय्य/बकाया गारण्टी को दर्शाते हैं।

* केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्रोत से कोई अर्थ साहाय्य प्राप्त नहीं हुआ ।

अनुबन्ध-V

वर्ष 1996-97 के दौरान विनिर्माण करने वाली कम्पनियों की उपयोजित क्षमता को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद 1.2.8 एवं पृष्ठ 21 में उल्लिखित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	प्रतिस्थापित/रेटेड क्षमता	वास्तविक उपयोग	उपयोगित क्षमता की प्रतिशतता
1.	2	3	4	5
1. कृषि				
	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	बीज एवं लिंट 2.29 लाख क्वि. (1.42 लाख क्वि.)	1.63 लाख क्वि. (1.76 लाख क्वि.)	71.18 (123.94)
2. खान				
	(i) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (1995-96)	ग्रेफाइट 1800 मै.टन (430 मै.टन)	461 मै.टन (168 मै.टन)	25.61 (39.07)
		फ्लोर्सपार 2304 मै.टन (2304 मै.टन)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
	(ii) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	(अ) क्रशिंग संयंत्र (पुराना) 10.26 लाख टन	2.68 लाख टन (2.32 लाख टन)	26.12 (22.61)
		(ब) एच.जी.ओ. क्रशिंग संयंत्र 9.03 लाख टन	3.44 लाख टन (3.78 लाख टन)	38.10 (41.86)
		(स) मुख्य प्रोसेस संयंत्र 4.21 लाख टन प्रतिवर्ष	1.02 लाख टन (1.48 लाख टन)	24.23 (35.15)
3. राजकीय उपक्रम				
	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	गन्ना (क्विंटलों में) 1000 मै.टन क्रशिंग/ डिफ्यूजन प्रतिदिन	934.02 मै.टन प्रतिदिन या 90,600 मै.टन 97 दिनों में (872.80 मै.टन प्रतिदिन या 99,500 मै.टन 114 दिनों में)	90.60 (87.28)
		चुकन्दर (क्विंटलों में) 600 मै.टन क्रशिंग/ डिफ्यूजन प्रतिदिन	424.32 मै.टन प्रतिदिन या 15,700 मै.टन 37 दिनों में (515.79 मै.टन प्रतिदिन या 9,800 मै.टन 19 दिनों में	70.72 (85.97)
		रेक्टीफाइड स्प्रीट (एल.पी.एल. में) 17250 प्रतिदिन श्री गंगानगर में	9619 एल.पी.एल. (14675 एल.पी.एल.)	

टिप्पणी:- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते है।

अनु

सांविधिक निगमों के संक्षेपित
दर्शाने वाला विवरण-पत्र
लेखों को अंतिम रूप

(अनुच्छेद 1.3.3 एवं 1.3.7
(कॉलम 6 से 10 तक में दिये

क्रम संख्या	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन की दिनांक	लेखों की अवधि	वर्ष का लाभ(+)/ हानि(-)
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	1 जुलाई 1957	1995-96	(+)80.84
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	यातायात	1 अक्टूबर 1964	1995-96	(+)7.78
3.	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17 जनवरी 1955	1996-97	(-)13.48**
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	कृषि	30 दिसम्बर 1957	1995-96	(+)3.16

नोट: (1) नियोजित पूंजी, वर्ष के अन्त में निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यो को शामिल कर) एवं कार्यकारी पूंजी के योग की द्योतक है।

(2)* नियोजित पूंजी, प्रदत्त-पूंजी, आरक्षित तथा अधिशेष, बॉण्ड्स एवं ऋण पत्रों, उधार तथा निक्षेपों के आरम्भिक शेष तथा अन्तिम शेष के मध्यमान को दर्शाती है।

(3)** वर्ष की हानि शुद्ध हानि में कर के प्रावधान (3.66 करोड़ रुपये) को जोड़ने के पश्चात्।

बन्ध-**VI**

वित्तीय परिणामों को
जिनके नवीनतम वर्ष के
दिया जा चुका है

पृष्ठ 23 एवं 28 में उल्लिखित)
गये आँकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

लाभ-हानि खाते में प्रभारित कुल ब्याज	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज	वर्ष के दौरान नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल (7+8)	नियोजितपूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
375.52	360.18	5230.99	456.36	8.72
9.15	9.15	171.19	16.93	9.89
70.98	70.98	653.43*	57.50	8.80
0.21	0.21	21.39	3.37	15.76

अनुबन्ध-VII

31 मार्च 1997 को निजी निक्षेप खातों में पड़े हुए ऋण, इक्विटी एवं अन्य को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(अनुच्छेद 1.2.3 (स) पृष्ठ संख्या 11 में उल्लिखित)

(रुपये करोड़ों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	31 मार्च 1997 को शेष			
		इक्विटी	ऋण	अन्य	योग
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	1.51 (1.45)	1.51 (1.45)
2.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	– (0.10)	– (–)	– (–)	– (0.10)
3.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	1.14 (–)	1.14 (–)
4.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	0.12 (0.99)	0.12 (0.99)
5.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
6.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	1.69* (शून्य)	41.40 (शून्य)	17.96 (1.96)	61.05 (1.96)
7.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	– (–)	2.20 (–)	0.60 (2.70)	2.80 (2.70)
8.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1.24 (–)	1.13 (–)	0.42 (–)	2.79 (–)
9.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.03 (–)	– (–)	– (–)	0.03 (–)
10.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	– (–)	– (–)	0.09 (–)	0.09 (–)
11.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	2.45 (–)	2.45 (–)
12.	राजस्थान राज्य ग्रेनाइटस एवं मार्बल्स लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
13.	राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
15.	हाई-टेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड	– (–)	– (–)	– (–)	– (–)
16.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	– (–)	– (–)	20.41 (–)	20.41 (–)
17.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	– (–)	0.55 (–)	– (0.01)	0.55 (0.01)
18.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	– (–)	0.45 (–)	6.03 (7.21)	6.48 (7.21)
19.	राजस्थान राज्य पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01 (–)	– (–)	– (–)	0.01 (–)
	कुल योग	2.97 (0.10)	45.73 (शून्य)	50.73 (14.32)	99.43 (14.42)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े ब्याज वहन करने वाले निजी निक्षेप खाते में पड़े शेष से सम्बन्धित है तथा अन्य आंकड़े बिना ब्याज धारित निजी निक्षेप खाते में पड़े शेष से सम्बन्धित है।

* कम्पनी के लेखों में दर्शायेनुसार इसमें अंश आवेदन राशि के 1.40 करोड़ रुपये भी शामिल है।

अनुबन्ध–VIII

ऐसे कार्यों का विस्तृत विवरण जो सामग्री/संयोजी सामग्री के अभाव में निर्धारित समय सारणी में पूर्ण नहीं किये जा सके।

(अनुच्छेद 3.6 पृष्ठ 128 में उल्लिखित)

क्रम संख्या	प्रतिवेदन करने वाले प्राधिकारी का नाम	प्रतिवेदन की दिनांक	किन्हें प्रतिवेदित किया गया	कमी की प्रकृति
(i)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	7 अप्रेल 1993	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	14 ग्रिड सब स्टेशनों में 1992–93 में ही ट्रॉन्सफॉर्मर से टेस्ट चार्ज कर लिये गये किन्तु पॉवर ट्रॉन्सफार्मर, पोटेन्शियल ट्रॉन्सफार्मर करेन्ट ट्रॉन्सफार्मर, सर्किट ब्रेकर्स, लाइटनिंग अरेस्टर, ईबी सहित/रहित आइसोलेटर उपलब्ध नहीं थे फलतः सभी योजनाएँ 1992–93 के दौरान अपूर्ण रही थी।
(ii)	अधिशाषी अभियन्ता, संचरण लाइन, निर्माण खण्ड– I	6 अप्रेल 1993	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	1992–93 में सब-स्टेशन के साथ-साथ 220 के.वी. जी.एस.एस. दौसा पर अन्ता–I फीडर की लाइन के लिए वांछित सामग्री/उपकरण प्राप्त नहीं हुए।
(iii)	सदस्य (टी एण्ड डी)	20 अप्रेल 1993	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	पुराने आदेशों के विरुद्ध ट्रॉन्सफार्मर निरीक्षण के लिए प्रस्तावित थे किन्तु निरीक्षण करने वाले अधिकारी की उपलब्धता की प्रत्याशा में निरीक्षण नहीं किया गया था।
(iv)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	5 मई 1993	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	1992–93 में विशेष तौर पर सब-स्टेशन सामग्री का प्रापण कार्य निश्चित लक्ष्य के अनुरूप नहीं था तथा योजना की आवश्यकता एवं लक्ष्य से मेल नहीं खाता था।
(v)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	19 मई 1993	मुख्य अभियन्ता (एम.एम)	1992–93 में ट्रॉन्सफार्मर प्राप्त हो गये किन्तु स्थापित नहीं किये जा सके क्योंकि अधिकांश आलोच्य मदों यथा – 132 के.वी. सी.टी, 33 के.वी. सीटीएस, 33 के.वी. आइसोलेटर स्टेशन पर प्राप्त हो गये और 2 माह से पड़े रहे क्योंकि रेल्वे रसीद निवृत नहीं की गई।

(vi)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	18 फरवरी 1994	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	मार्च 1994 से पूर्व 6 स्टेशन प्रारम्भ करने एवं 11 जी.एस.एस. का निर्माण करने के लिए 63 एम्पियर के 33 के.वी. आइसोलेटर भण्डार में उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वांछित लक्ष्य पूर्ण करने के लिए क्रय की जाने वाली आवश्यक सामग्री (250 आइसोलेटर आपात आधार पर) उपलब्ध नहीं थी।
(vii)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	26 अप्रैल 1994	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	आलोच्य मदें यथा 132 के.वी. एवं 33 के.वी ट्रान्सफार्मर एवं फीडर सी.टी.एस., 132 के.वी. एवं 33 के.वी. आइसोलेटर, कन्ट्रोल केबल, कन्ट्रोल व रिले पेनल आदि उपलब्ध नहीं थे फलत: 1992-93 के दौरान कार्य अपूर्ण रहा एवं बढ़ा हुआ कार्य 1993-94 तक लिया जाना था।
(viii)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	15 जुलाई 1994	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	सांचोर सब स्टेशन जुलाई 1993-94 में शुरु कर दिया गया (एक वर्ष पूर्व) किन्तु 33 के. वी. फीडर, 33 के.वी.सी.टी. के अभाव में पूर्ण नहीं किया जा सका जबकि पेनल पहले ही लगा दिये गये थे ।
(ix)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	21 अक्टूबर 1995	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	220 के.वी. जी.एस.एस. बाली एवं फालना जी.एस.एस.के मध्य अन्तर सम्बन्ध पूर्ण करने के लिए डी/सी प्रकार के ए व बी टावर की कमी थी फलत: 220 के.वी. जी.एस.एस. बाली पर भार नहीं लिया जा सका।
(x)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	29 अक्टूबर 1996	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	मै.इंग्लिश इलेक्ट्रिक कम्पनी के पेनल उपलब्ध नहीं होने के कारण सब-स्टेशन वर्ष के दौरान (कृषि सत्र के पूर्व) प्रारम्भ नहीं किया जा सका और फर्म ने सूचित किया कि आरेखनों का क्लियरेन्स देरी से होने के कारण पेनल आपूर्ति नहीं की जा सकी।
(xi)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	30 अगस्त 1996	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	220 के.वी. डी/सी बीकानेर रतनगढ़ लाइन ठेके पर दी गई किन्तु कार्य पूर्ण होने में मुख्य रुकावट ए.सी.एस.आर. जेबरा कंडक्टर से सम्बधित कार्य था।
(xii)	मुख्य अभियन्ता (टी एण्ड सी)	10 जुलाई 1995	मुख्य अभियन्ता (एमएम)	जोधपुर भण्डार में के.वी.ए.एच. मीटर उपलब्ध नहीं होने के कारण 43 मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरण में पावर-फैक्टर निर्धारित नहीं किया जा सका।